दृष्टि The Vision

एडिटोरियल

(संग्रह)

मई

2022

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

- चुनाव में 'मुफ्त' का आकर्षण 3
- सेमीकॉन डिप्लोमेसी एक्शन प्लान 5
- MSMEs और वैश्विक मूल्य श्रृंखला 7
- भारत-यूरोप संबंधों में नया आयाम 9
- नई व्यापार नीति 11
- भारत में बिजली संकट 13
- मृत्युदंड की सजा को रोकना 16
- भारतीय विश्वविद्यालयों की कठिन राह 18
- विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन 21
- बढ़ती मुद्रास्फीति 24
- ग्रीष्म लहर से निपटने हेतु उपाय 26
- कृषि पर्यटन 29
- पर्यावरण पर दक्षिण-एशियाई देशों का सहयोग 31
- सेक्शन 124A कितना प्रासंगिक ? 34
- EV हेतु खनिज की उपलब्धता 36
- दुर्लभ संसाधन एवं इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी योजना 38
- कार्बन फार्मिंग: कृषि का भविष्य 40
- जीएसटी और राजकोषीय संघवाद 42
- जैव-विविधता के संरक्षण हेतु बायोस्फीयर 45
- कोविड के दौर में FDI 47
- ईएसजी: महत्त्व एवं संभावनाएँ 49
- खाद्य सुरक्षा तथा वर्तमान परिदृश्य 51
- महिलाओं में पोषण 54
- हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा: महत्त्व 57
- न्याय: बस एक क्लिक भर दूर 59
- दृष्टि मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न 62

नोट :

दृष्टि The Vision

चुनाव में 'मुफ्त' का आकर्षण

संदर्भ

श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था के पतन की हालिया ख़बरों ने राज्य की भूमिका पर एक नई बहस को जन्म दिया है। श्रीलंका की सरकार ने सभी के लिये करों में कटौती और विभिन्न मुफ़्त वस्तुओं एवं सेवाओं के वितरण जैसे कदम उठाए थे। इसके परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ से उसके पतन की स्थिति बनी और पहले से ही भारी कर्ज में डूबे देश के पास अपनी प्रतिबद्धताओं पर डिफॉल्ट दर्ज कराने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा।

- इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में भारतीय राज्यों द्वारा दिए जा रहे मुफ़्त उपहारों या 'फ्रीबीज़' (freebies) के मुद्दे पर भारत में भी एक बहस की शुरुआत हुई है। समय के साथ फ्रीबीज़ भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गए हैं, चाहे वे चुनावी संघर्ष में मतदाताओं को लुभाने के लिये वादे के रूप में हों या उनका उद्देश्य सत्ता में बने रहने के लिये मुफ़्त सुविधाएँ प्रदान करना हो।

फ्रीबीज़ क्या हैं?

- राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिये मुफ़्त बिजली/पानी की आपूर्ति, बेरोज़गारों, दिहाड़ी मज़दूरों एवं महिलाओं के लिये मासिक भत्ते के साथ-साथ लैपटॉप, स्मार्टफोन जैसे गैजेट्स देने का वादा करते हैं।
- राज्यों को फ्रीबीज़ प्रदान करने की आदत ही हो गई है, चाहे वह ऋण माफी के रूप में हो या मुफ़्त बिजली, साइकिल, लैपटॉप, टीवी सेट आदि के रूप में।
- लोकलुभावन दबावों या चुनावों को ध्यान में रखकर किये जाने वाले ऐसे कुछ खर्चों पर निश्चय ही प्रश्न उठाए जा सकते हैं।
- लेकिन यह देखते हुए कि पिछले 30 वर्षों से देश में असमानता बढ़ रही है, सब्सिडी के रूप में आम आबादी को किसी प्रकार की राहत प्रदान करना अनुचित नहीं माना जा सकता, बल्कि वास्तव में अर्थव्यवस्था के विकास पथ पर बने रहने के लिये यह आवश्यक है।

फ्रीबीज़ के पक्ष में तर्क

- विकास को सुगम बनाना: ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जो दिखाते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली, रोज़गार गारंटी योजनाएँ, शिक्षा के लिये सहायता और स्वास्थ्य जैसे विषयों में किये जाने वाले परिव्यय वास्तव में समग्र लाभ का सृजन करते हैं। महामारी के दौरान विशेष रूप से इसकी पुष्टि भी हुई।
- ये जनसंख्या की उत्पादक क्षमता को बढ़ाने में दीर्घकालिक योगदान करते हैं और एक स्वस्थ एवं सशक्त कार्यबल के निर्माण में मदद करते हैं, जो किसी भी विकास रणनीति का एक आवश्यक अंग है।
- शिक्षा या स्वास्थ्य पर राज्य द्वारा किया जाने वाला व्यय भी यही योगदान देता है।
- उद्योगों को बढ़ावा: तमिलनाडु और बिहार जैसे राज्य महिलाओं को सिलाई मशीन, साड़ी और साइकिल जैसे लाभ देते रहे हैं, लेकिन वे इन वस्तुओं की खरीद अपने बजट राजस्व से करते हैं जिससे संबंधित उद्योगों की बिक्री बढ़ाने में भी योगदान करते हैं।
- संबंधित उत्पादन वृद्धि को देखते हुए इसे आपूर्तिकर्त्ता उद्योग के लिये प्रोत्साहन के रूप में देखा जा सकता है, न कि फिज़ूलखर्ची के रूप में।
- अपेक्षाओं की पूर्ति के लिये आवश्यक: भारत जैसे देश में जहाँ राज्यों में विकास का एक निश्चित स्तर पाया जाता है (या नहीं पाया जाता है), चुनावों के समय लोगों की ओर से ऐसी अपेक्षाएँ प्रकट की जाती हैं, जिन्हें फ्रीबीज़ के ऐसे वादों से पूरा किया जाता है।
- इसके अलावा, जब पड़ोस के या देश के अन्य राज्यों (अलग-अलग दलों द्वारा शासित) के लोगों को फ्रीबीज़ प्राप्त हो रहे होते हैं तो इधर भी तुलनात्मक अपेक्षाएँ बढ़ जाती हैं।
- कम विकसित राज्यों की सहायता: गरीबी से पीड़ित आबादी के एक बड़े हिस्से के साथ तुलनात्मक रूप से विकास के निम्न स्तर पर स्थित राज्यों के लिये इस तरह के फ्रीबीज़ आवश्यकता या मांग-आधारित बन जाते हैं और अपने स्वयं के उत्थान हेतु लोगों के लिये इस तरह की सब्सिडी की पेशकश करना आवश्यक हो जाता है।

फ्रीबीज़ के विपक्ष में तर्क

- मैक्रोइकोनॉमिक रूप से असंवहनीय: फ्रीबीज़ मैक्रोइकॉनॉमिक संवहनीयता/स्थिरता के बुनियादी ढाँचे को कमज़ोर करते हैं। फ्रीबीज़ की राजनीति व्यय प्राथमिकताओं को विकृत करती है और परिव्यय के किसी न किसी तरह की सब्सिडी पर केंद्रित बने रहने की प्रवृत्ति उभरती है।

- राज्यों की वित्तीय स्थिति पर प्रभाव: फ्रीबीज़ देने का अंततः राजकोष पर प्रभाव पड़ता है, जबकि भारत के अधिकांश राज्य एक सुदृढ़ वित्तीय स्थिति नहीं रखते और उनके पास राजस्व के मामले में प्रायः अत्यंत सीमित संसाधन ही होते हैं।
- यदि राज्य कथित राजनीतिक लाभ के लिये व्यय करना जारी रखेंगे तो उनकी वित्तीय स्थिति लड़खड़ा जाएगी और राजकोषीय अपव्ययिता की स्थिति बनेगी।
- राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (Fiscal Responsibility and Budget Management- FRBM) नियमों के अनुसार राज्य अपनी क्षमता या सीमा से अधिक उधार नहीं ले सकते और उनके किसी भी विचलन (या अलग मद के खर्च) को केंद्र और केंद्रीय बैंक द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है।
- इस प्रकार, भले ही राज्यों के पास यह लचीलापन है कि वे अपना पैसा कैसे खर्च करना चुनते हैं, वे सामान्य परिस्थितियों में अपनी घाटे की सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकते हैं।
- स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की भावना के विरुद्ध: चुनाव से पहले लोकलुभावन फ्रीबीज़ (सार्वजनिक धन का उपयोग करते हुए) का वादा मतदाताओं को अनुचित रूप से प्रभावित करता है, सभी दलों के लिये समान अवसर की स्थिति में व्यवधान लाता है और चुनाव प्रक्रिया की शुद्धता को मलिन करता है।
- यह एक अनैतिक अभ्यास है जो मतदाताओं को रिश्वत देने के समान है।
- पर्यावरण से एक कदम दूर: जब ये फ्रीबीज़ मुफ़्त बिजली अथवा एक निश्चित मात्रा में मुफ़्त बिजली, पानी और अन्य प्रकार की उपभोग वस्तुओं के रूप में प्रदान किये जाते हैं, तो ये पर्यावरण एवं सतत विकास, नवीकरणीय ऊर्जा और अधिक कुशल सार्वजनिक परिवहन प्रणालियों के मद में किये जा सकने वाले परिव्यय को विचलित करते हैं।
- इसके अलावा, यह एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है कि जब कोई चीज़ 'मुफ़्त' में प्रदान की जाती है तो इनका अत्यधिक उपयोग किया जाता है, इस प्रकार संसाधनों की बर्बादी होती है।
- भविष्य के विनिर्माण पर दुर्बलकारी प्रभाव: फ्रीबीज़ विनिर्माण क्षेत्र में उच्च-गुणक दक्षता को सक्षम करने वाले कुशल एवं प्रतिस्पर्द्धी अवसंरचना को बाधित कर विनिर्माण क्षेत्र की गुणवत्ता एवं प्रतिस्पर्द्धात्मकता को कम कर देते हैं।
- 'क्रेडिट कल्चर' का विनाश: फ्रीबीज़ के रूप में ऋण माफी (Loan Waivers) के अवांछित परिणाम भी सामने आ सकते हैं; जैसे कि यह संपूर्ण क्रेडिट कल्चर को नष्ट कर सकता है और यह इस बुनियादी प्रश्न को धुंधला कर देता है कि ऐसा क्यों है कि किसान समुदाय का एक बड़ा भाग बार-बार कर्ज के जाल में फँसता रहता है।

आगे की राह

- फ्रीबीज़ के आर्थिक प्रभावों को समझना: सवाल यह नहीं कि फ्रीबीज़ कितने सस्ते हैं, बल्कि यह है कि दीर्घावधि में अर्थव्यवस्था, जीवन की गुणवत्ता और सामाजिक सामंजस्य के लिये वे कितने महंगे साबित हो सकते हैं।
- इसके बजाय हमें लोकतंत्र और सशक्त संघवाद की प्रयोगशालाओं के माध्यम से दक्षता की दौड़ के लिये प्रयास करना चाहिये जहाँ राज्य अपने प्राधिकार का उपयोग नवीन विचारों एवं सामान्य समस्याओं के समाधान के लिये करें, जिनका फिर अन्य राज्य भी अनुकरण कर सकते हैं।
- विवेकपूर्ण मांग-आधारित फ्रीबीज़: भारत एक बड़ा देश है और यहाँ अभी भी ऐसे लोगों का एक बड़ा समूह मौजूद है जो गरीबी रेखा से नीचे है। देश की विकास योजना में सभी लोगों को शामिल किया जाना भी ज़रूरी है।
- ऐसे फ्रीबीज़ या सब्सिडी की उचित एवं विवेकपूर्ण पेशकश, जिसे राज्यों के बजट में आसानी से समायोजित किया जा सकता है, अधिक नुकसानदायक नही होगा और इनका लाभ उठाया जा सकता है।
- संसाधनों के बेहतर समग्र उपयोग को सुनिश्चित करने के लिये राज्य व्यय का एक अनुपात निर्धारित किया जाना चाहिये।
- सब्सिडी और फ्रीबीज़ में अंतर करना: फ्रीबीज़ के प्रभावों को आर्थिक नज़रिये और करदाताओं के धन से जोड़कर देखने की ज़रूरत है।
- सब्सिडी और फ्रीबीज़ में अंतर करना भी आवश्यक है क्योंकि सब्सिडी उचित और विशेष रूप से लक्षित लाभ हैं जो मांगों से उत्पन्न होते हैं।
- यद्यपि प्रत्येक राजनीतिक दल को लक्षित ज़रूरतमंद लोगों को लाभ देने के लिये सब्सिडी पारितंत्र के निर्माण का अधिकार है, राज्य या केंद्र सरकार के आर्थिक स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक बोझ नहीं होना चाहिये।

सेमीकॉन डिप्लोमेसी एक्शन प्लान

संदर्भ

सेमीकंडक्टर्स या अर्द्धचालक बुनियादी विनिर्माण पदार्थ हैं जो सभी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिये केंद्रीय इकाई के रूप में कार्य करते हैं। ये सेमीकंडक्टर चिप्स अब समकालीन ऑटोमोबाइल, घरेलू गैजेट्स और ईसीजी मशीन जैसे आवश्यक चिकित्सा उपकरणों का अभिन्न अंग हैं।भारत ने पिछले कुछ वर्षों में सेमीकंडक्टर चिप्स के घरेलू विनिर्माण पर अपना विशेष ध्यान केंद्रित किया है। यद्यपि इस संबंध में की गई कई पहलें सराहनीय हैं, लेकिन ये पर्याप्त नहीं हैं। चिप विनिर्माण में आत्मनिर्भर बनने के लिये भारत को एक 'सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी एक्शन प्लान' (Semiconductor Diplomacy Action Plan) की ज़रूरत है।

सेमीकंडक्टर्स का महत्त्व:

- सेमीकंडक्टर चिप्स आधुनिक सूचना युग की जीवनदायिनी हैं। वे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को क्रियाओं की संगणना को सक्षम बनाते हैं जो हमारे जीवन आसान बनाते हैं।
- सूक्ष्म/कुशल सेमीकंडक्टर चिप्स के विनिर्माण की प्रक्रिया शांतिकालीन वैश्विक सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।
- उदाहरण के लिये, यह कल्पना करना कठिन नहीं है कि हमारे द्वारा उपयोग किये जा रहे उपकरणों में लगा चिप एक जापानी इंजीनियर द्वारा डच मशीनरी पर काम करते हुए वेफर्स के उत्पादन हेतु ताइवान में स्थित एक अमेरिकी फाउंड्री में बनाया गया हो, जिसे पैकेजिंग के लिये मलेशिया भेजा गया हो और फिर वह अंतिम तैयार उत्पाद के रूप में भारत आया हो।
- ये सेमीकंडक्टर चिप्स सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technologies) विकास के चालक हैं और विश्व के वर्तमान 'फ्लैटनिंग' के प्रमुख कारणों में से एक हैं। (उल्लेखनीय है कि थॉमस एल. फ्राइडमैन ने 'World is flattening' वाक्यांश का प्रयोग किया है जिसका अभिप्राय यह है औद्योगिक देशों और उभरते बाज़ार वाले देशों के बीच प्रतिस्पर्द्धी अवसर एक समान स्तर पर आ रहे हैं।)
- सेमीकंडक्टर्स का उपयोग संचार, विद्युत पारेषण जैसे महत्त्वपूर्ण अवसंरचना में किया जाता है, जिनका राष्ट्रीय सुरक्षा प्रभाव पड़ता है।
- 'सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले इकोसिस्टम' (Semiconductor and Display Ecosystem) के विकास का वैश्विक मूल्य शृंखला से गहन एकीकरण के साथ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में गुणक प्रभाव उत्पन्न होगा।

सेमीकंडक्टर बाज़ार की विकास गाथा में भारत की स्थिति

- भारत वर्तमान में सभी चिप्स का आयात करता है और अनुमान है कि वर्ष 2025 तक यह बाज़ार 24 बिलियन डॉलर के वर्तमान स्तर से 100 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाएगा। हालाँकि सेमीकंडक्टर चिप्स के घरेलू विनिर्माण के लिये भारत ने हाल ही में कई पहलों की शुरुआत की है:
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'सेमीकंडक्टर्स एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम' के विकास को समर्थन देने के लिये 76,000 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की है।
- भारत ने इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और सेमीकंडक्टर्स के विनिर्माण के लिये 'इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सेमीकंडक्टरों के विनिर्माण संवर्द्धन की योजना' (Scheme for Promotion of manufacturing of Electronic Components and Semiconductors-SPECS) भी शुरू की है।
- इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव (Design Linked Incentive (DLI) योजना भी शुरू की है ताकि सेमीकंडक्टर डिज़ाइन से संलग्न कम से कम 20 घरेलू कंपनियों का संपोषण किया जा सके और वे अगले 5 वर्षों में 1500 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर हासिल कर सकें।
- चूँकि अनुमान है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक सेमीकंडक्टर बाज़ार 1.2 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा, भारत को इसमें अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिये उपयुक्त रूप से तैयार होने की ज़रूरत है।
- हाल ही में घोषित 'सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम' (Semicon India Programme), जो 10 बिलियन डॉलर की वित्तीय सहायता एवं अन्य गैर-वित्तीय साधन प्रदान करता है, सही दिशा में बढ़ाया गया कदम है।

नोट :

- अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्द्धा एवं संघर्ष तथा अन्य राजनीतिक-सामरिक-आर्थिक कारणों से हाल के समय में कई बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ (MNCs) अपनी उत्पादन गतिविधियों को चीन से बाहर स्थानांतरित कर रही हैं।
- यह उपयुक्त अवसर है कि सेमीकॉन चिप्स के लिये प्रोडक्शन हाउसों की स्थापना के लिये भारत को एक मज़बूत विकल्प के रूप में पेश किया जाए।

सेमीकंडक्टर्स के घरेलू विनिर्माण से संबद्ध समस्याएँ

- कुछ देशों का प्रभुत्व: सेमीकंडक्टर विनिर्माण क्षमता कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में केंद्रित रही है। लगभग समस्त अग्रणी (Sub 10nm) अर्द्धचालक विनिर्माण क्षमता ताइवान एवं दक्षिण कोरिया तक सीमित है और इनमें भी लगभग 92% ताइवान में स्थित है।
- इसके अलावा अर्द्धचालक विनिर्माण क्षमता का 75% पूर्वी एशिया और चीन में केंद्रित है।
- क्षमताओं का यह संकेंद्रण कई चुनौतियाँ उत्पन्न करता है और कई देश कुछ देशों के समक्ष कमज़ोर पड़ जाते हैं।
- आशय यह है कि भारत और प्रमुख शक्तियों के बीच तनाव और संघर्ष के क्षण भी उभर सकते हैं।
- स्वायत्त रहने की क्षमता को बनाए रखने के लिये भारत को न केवल कुशल गठबंधन बल्कि स्वदेशी क्षमता की भी आवश्यकता है।
- पश्चिमी कंपनियों का सहयोग: हालाँकि भारत में चिप डिज़ाइन हेतु कुशल प्रतिभा मौजूद है, इसने कभी भी चिप फैब क्षमता (chip fab capacity) का विनिर्माण नहीं किया। इसके लिये पश्चिमी कंपनियों को भारत में उन्नत सिलिकॉन फैब्स (silicon Fabs) स्थापित करने हेतु राजी करने की भी आवश्यकता होगी।
- हालाँकि भारत में कई सेमीकंडक्टर फैब्स की स्थापना भर ही पर्याप्त नहीं होगी। इस क्षेत्र में वैश्वीकरण को प्रोत्साहन और 'आत्मनिर्भर भारत' के दृष्टिकोण के बीच एक संतुलन बनाए रखने की भी आवश्यकता होगी।

भारत की 'सेमीकंडक्टर डिप्लोमेसी' एवं समस्याएँ

- हालिया अवसरों का लाभ उठाना: वर्तमान दशक भारत के लिये एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करता है, क्योंकि—
- कंपनियाँ अपनी आपूर्ति श्रृंखला में विविधता लाना चाहती हैं और चीन में अपने ठिकानों के लिये विकल्पों की तलाश कर रही हैं।
- कोविड-19 के कारण चिप की कमी से वाहन निर्माताओं को वर्ष 2021 में 110 बिलियन डॉलर की राजस्व हानि पहुँचाई।
- रूस-यूक्रेन संघर्ष और सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला के लिये कच्चे माल की आपूर्ति पर इसके प्रभाव ने भी चिप निर्माताओं को सेमीकॉन आपूर्ति श्रृंखला को सुदृढ़ करने हेतु निवेश करने के लिये प्रेरित किया है।
- भारत को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिये और सेमीकंडक्टर विनिर्माण के लिये एक आकर्षक वैकल्पिक गंतव्य के रूप में उभरना चाहिये।
- 'सेमीकॉन डिप्लोमेसी एक्शन प्लान' की संकल्पना: सेमीकॉन डिप्लोमेसी को भारत की विदेश नीति के केंद्र में रखना रणनीतिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से आवश्यक है।
- अर्द्धचालकों के लिये मूल्य श्रृंखला की स्थापना से समग्र अर्थव्यवस्था पर गुणक प्रभाव सुनिश्चित होगा।
- इसके अलावा, चूँकि इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुएँ तेल एवं पेट्रोलियम उत्पादों के बाद सबसे अधिक आयातित वस्तुओं में से एक हैं, घरेलू उत्पादन भारत के लिये विदेशी मुद्रा की बचत करेगा और भुगतान संतुलन को कम करेगा (विशेष रूप से चीन के परिप्रेक्ष्य में)।
- 'सेमीकॉन डिप्लोमेसी' को 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के साथ संयुक्त करना: सेमीकॉन डिप्लोमेसी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी (Act East Policy) के लिये महत्त्वपूर्ण है जो एशिया-प्रशांत क्षेत्र में लचीले संबंधों के विनिर्माण का लक्ष्य रखता है।
- चूँकि सेमीकंडक्टर विनिर्माण और परीक्षण ठिकाने पूर्वी एशिया में बहुत अधिक केंद्रित हैं, एक्ट ईस्ट नीति क्षेत्र के प्रमुख खिलाड़ियों के साथ संपर्क और संबंधों को मज़बूत बनाने का अवसर प्रदान करती है।
- इसके साथ ही, वृहत लक्ष्य पर नज़र बनाए रखते हुए आसियान (ASEAN) जैसे क्षेत्रीय समूह और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) एवं आसियान क्षेत्रीय मंच (ASEAN regional forum) जैसे मंचों के माध्यम से लगातार तकनीकी सहयोग और आदान-प्रदान लाभप्रद होगा।
- सेमीकॉन डिप्लोमेसी में 'क्वाड' की क्षमता: सेमीकॉन डिप्लोमेसी का लाभ उठाने का एक तरीका यह है कि बहुपक्षीय और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाया जाए। इस संबंध में अपार संभावनाओं वाला एक प्रमुख माध्यम 'क्वाड' (Quad) है।

- अर्द्धचालक के लिये आवश्यक कच्चे माल के मामले में समृद्ध ऑस्ट्रेलिया भारत की कमी को पूरा करने के लिये एक महत्त्वपूर्ण आपूर्तिकर्त्ता साबित हो सकता है।
- क्षमता विनिर्माण के लिये और लॉजिक एवं मेमोरी खंडों में उनकी उन्नत अर्द्धचालक प्रौद्योगिकी के लिये अमेरिका और जापान का लाभ उठाया जा सकता है।
- 'क्वाड सेमीकंडक्टर आपूर्ति शृंखला पहल' (Quad Semiconductor Supply Chain Initiative) एक आशाजनक आरंभिक बिंदु है; भारत को भू-राजनीतिक और भौगोलिक जोखिमों से आपूर्ति शृंखला की प्रतिरक्षा के लिये एक 'क्वाड सप्लाई चेन रेजिलियेशन फंड' (Quad Supply Chain Resilience Fund) की स्थापना पर बल देना चाहिये।
- प्रमुख सेमीकॉन केंद्रों के साथ संलग्नता को मज़बूत करना: वियतनाम के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग पर बल दिया जाना चाहिये क्योंकि वहाँ प्रशिक्षित और कुशल जनशक्ति की अपार उपलब्धता के साथ ही माइक्रोचिप डिज़ाइन एवं विकास के क्षेत्र में कई तकनीकी अनुसंधान एवं शैक्षणिक संस्थान अवस्थित हैं।
- सेमीकंडक्टर डिज़ाइन और विनिर्माण के लिये एक प्रमुख वैश्विक केंद्र ताइवान (जिसकी ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसी अग्रणी चिप उत्पादक कंपनियाँ Apple, Intel, AMD, Nvidia जैसे प्रौद्योगिकी दिग्गजों की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं) के साथ रणनीतिक भागीदारी का विनिर्माण भी इस दिशा में एक अच्छी शुरुआत होगी।

MSMEs और वैश्विक मूल्य शृंखला

संदर्भ

बहुराष्ट्रीय निगमों (MNCs) की तेज़ी से बढ़ती वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ (Global Value Chains- GVCs) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगातार हावी होती जा रही हैं, जिसे भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएँ अनदेखा करने का जोखिम नहीं उठा सकतीं।

GVCs में भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Micro, Small and Medium Enterprises- MSMEs) की सीमित उपस्थिति अंतर्राष्ट्रीयकृत MSMEs की नगण्य हिस्सेदारी का परिणाम है, जो मुख्य रूप से MSMEs के कमज़ोर नेटवर्क से प्रेरित कमज़ोर नवाचार आधार के कारण है।

GVCs के साथ भारतीय MSMEs का एकीकरण MSMEs के लिये वर्तमान समय की आवश्यकता है। भारत को क्षेत्रीय नवाचार प्रणालियों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण और SMEs संकुलों में एक बहुउद्देशीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग की स्थापना के माध्यम से विभिन्न देशों के साथ एक बाज़ार के रूप में संबद्ध MSMEs के लिये एक 'हब' या केंद्र का निर्माण करने की ज़रूरत है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में MSMEs की भूमिका

- MSMEs भारत के आर्थिक विकास में एक आधारभूत भूमिका का निर्वहन करते हैं, जहाँ भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% और इसके निर्यात में लगभग 50% का योगदान करते हैं।
- इस क्षेत्र में 63 मिलियन से अधिक उद्यम शामिल हैं और ये 111 मिलियन से अधिक कामगारों को आजीविका प्रदान करते हैं।
- उद्योग निकायों, शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं द्वारा MSMEs की क्षमता को अत्यंत महत्त्व से चिह्नित किया जाता है।
- हाल ही में संपन्न एक MSMEs संगोष्ठी में एक पूर्ण आपूर्ति शृंखला के निर्माण में (जो उनकी वैश्विक प्रतिस्पर्द्धात्मकता को उन्नत करता है) MSMEs की क्षमता पर प्रकाश डाला गया।

वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ क्या हैं?

- वैश्विक मूल्य शृंखलाएँ अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन साझाकरण को संदर्भित करती हैं—जो ऐसी परिघटना है जहाँ उत्पादन को विभिन्न देशों में संपन्न गतिविधियों और कार्यों में विभाजित किया जाता है।
- हाल के दशकों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बहुराष्ट्रीय निगमों की वैश्विक मूल्य शृंखलाओं का वर्चस्व लगातार बढ़ा है। दो-तिहाई से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब ऐसे GVCs के अंतर्गत संपन्न होता है।
- लगातार बढ़ते GVCs से प्रेरित अंतर्राष्ट्रीयकरण वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार के प्रतिस्पर्द्धी माहौल को तेज़ी से बदल रहा है।
- इसने राष्ट्रीय बाज़ारों को नए प्रतिस्पर्द्धियों के लिये खोल दिया है, जिसके परिणामस्वरूप वृहत एवं लघु दोनों फर्मों के लिये अपार अवसर उत्पन्न हो रहे हैं।

GVCs में MSMEs के एकीकरण का महत्त्व

- रोज़गार सृजन: विश्व बैंक की 'विश्व विकास रिपोर्ट 2020' (WDR 20) से पता चलता है, विकासशील देशों में गहन सुधारों और औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में नीति निरंतरता की स्थिति में GVCs गरीबी को कम करने में मदद कर सकते हैं, जबकि विकास एवं रोज़गार में वृद्धि को भी बनाए रख सकते हैं।
- भारत के आर्थिक सर्वेक्षण ने भी इस बात को रेखांकित किया है कि GVCs में भागीदारी से भारत के विनिर्माण क्षेत्र में वर्ष 2025 तक चार मिलियन नौकरियों की वृद्धि हो सकती है और इस प्रकार 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में मूल्य-वर्द्धित के संदर्भ में यह कुल के एक-चौथाई का योगदान कर सकता है।
- आय में वृद्धि: क्रॉस-कंट्री अनुमान बताते हैं कि GVC भागीदारी में 1% की वृद्धि प्रति व्यक्ति आय में 1% से अधिक की वृद्धि कर सकती है, विशेष रूप से जब विभिन्न देश सीमित और उन्नत विनिर्माण में संलग्न हों।
- उत्पादकता में सुधार: GVC भागीदारी फर्म-स्तरीय उत्पादकता में उल्लेखनीय सुधार ला सकती है।
- WDR 2020 में कहा गया है कि फर्म-स्तरीय पूंजी तीव्रता को नियंत्रित करने के बाद, विनिर्माण गतिविधियों से संलग्न GVC फर्म वन-वे ट्रेडर्स या नॉन-ट्रेडर्स की तुलना में अधिक श्रम उत्पादकता प्रदर्शित करते हैं।
- नवोन्मेष या नवाचार प्रतिस्पर्द्धा का एक अन्य घटक है और MSMEs पायलट मोड में उन्नत प्रौद्योगिकियों का परीक्षण कर सकते हैं।
- अधिक लचीलापन: GVCs में एकीकरण न केवल आर्थिक विकास का समर्थन कर सकता है, बल्कि महामारी के बाद के पुनरोद्धार हेतु एक महत्त्वपूर्ण रणनीति भी बन सकता है।
- GVCs फर्मों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में अधिक लचीले ढंग से ;प्रतिभाग करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वे किसी संपूर्ण उत्पाद के बजाय समग्र आपूर्ति शृंखला के केवल एक छोटे घटक का भी योगदान कर सकते हैं।
- आघात से रक्षा/शॉकप्रूफिंग: OECD के मेट्रो मॉडल से पता चलता है कि स्थानीय व्यवस्थाएँ आघात/झटके के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं और इसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधि का स्तर काफी कम होता है और यहाँ अंत:संबद्ध व्यवस्थाओं (interconnected regimes) की तुलना में राष्ट्रीय आय में गिरावट आती है।
- जबकि अंत:संबद्ध व्यवस्थाएँ उत्पादन नेटवर्क में लचीलापन, स्थिरता और लचीलेपन का निर्माण करती हैं, स्थानीयकृत व्यवस्थाएँ आघात के समायोजन के लिये कुछ ही माध्यम प्रदान करती हैं।

GVC एकीकरण की राह की बाधाएँ

- वित्त तक पहुँच: GVCs में MSMEs का एकीकरण वित्त तक पहुँच पर महत्त्वपूर्ण रूप से निर्भर करता है, लेकिन MSMEs को ऋण आपूर्ति की कमी भारत के MSMEs क्षेत्र के लिये एक बाधा रही है।
- MSMEs क्षेत्र के महत्त्व और इसकी क्षमता के बावजूद यह प्राय: कार्यशील पूंजी की कमी से त्रस्त रहता है, जिससे इसके दिन-प्रतिदिन के कार्यकरण प्रभावित होते हैं।
- वित्त तक बेहतर पहुँच के बिना MSMEs को आपूर्ति शृंखलाओं में एकीकृत करने का लक्ष्य चुनौतीपूर्ण ही बना रहेगा।
- अनौपचारिकरण: चूँकि भारत में 95% MSMEs अनौपचारिक क्षेत्र से संबद्ध हैं, औपचारिक वित्त तक पहुँच एक प्रमुख बाधा बनी हुई है।
- अध्ययनों से पता चलता है कि MSMEs को समग्र रूप से बैंक क्रेडिट का 6% से भी कम प्राप्त होता है।
- विलंबित भुगतान: विलंबित भुगतान निगरानी प्रणाली 'MSME समाधान' में MSMEs द्वारा दायर किये गए आवेदनों की संख्या 1 लाख का आँकड़ा पार कर गई है, जो 26,000 करोड़ रुपए से अधिक से संबंधित हैं।
- कम तकनीकी समझ: इसके अलावा, MSMEs प्राय: सीमित समझ और अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण डिजिटल समाधान अपनाने में संकोच रखते हैं।
- चौथी औद्योगिक क्रांति की नई प्रौद्योगिकियों (AI, डेटा एनालिटिक्स, रोबोटिक्स और संबंधित प्रौद्योगिकियाँ) का उदय संगठित वृहत-स्तरित विनिर्माण की तुलना में MSMEs के लिये अधिक बड़ी चुनौती है।

- अन्य चुनौतियाँ: कुशल कार्यबल, ज्ञान और पर्याप्त भौतिक अवसंरचनाओं की कमी कुछ अन्य बाधाएँ हैं जो MSMEs की दक्षता को बाधित करती हैं और इस प्रकार वैश्विक मूल्य शृंखला में उनके एकीकरण को जटिल बनाती हैं।

GVCs में MSMEs के सुगम एकीकरण के लिये कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?

- MSMEs का डिजिटलीकरण: PayPal द्वारा हाल ही में किये गए MSMEs डिजिटल रेडीनेस सर्वे ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 29% MSMEs ने ऑनलाइन ग्राहकों में वृद्धि देखी और 32% ने बेहतर भुगतान समाधानों का अनुभव किया।
- डिजिटल भुगतान पारितंत्र MSMEs के लिये अपार संभावनाएँ रखता है, जहाँ वह उनके ऑनलाइन ग्राहक आधार का विस्तार करने और धन के तेज़ प्रवाह को सक्षम करने में मदद कर सकता है।
- MSMEs द्वारा डिजिटलीकरण को अपनाने हेतु निश्चय ही अधिक समर्थन और नवीन वित्तीय समाधान प्रदान करने की आवश्यकता है।
- डिजिटल और फिनटेक साक्षरता: डिजिटल रूपांतरण को आसान बनाने हेतु बैंकिंग प्रणालियों के डिजिटलीकरण और उनकी परिचालन गतिशीलता के बारे में MSMEs के बीच प्रशिक्षण और जागरूकता का प्रसार करना आवश्यक है।
- इसके साथ ही, वित्त में अधिक से अधिक डिजिटलीकरण की दिशा में एक मज़बूत प्रोत्साहन प्रदान किया जाना भी समय की आवश्यकता है।
- ऐसा करने से MSMEs की वित्त के अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भरता कम हो जाएगी और इस प्रकार उच्च उधार दरों से मुक्ति के साथ उनकी परिचालन लागत में कमी आएगी।
- बैंकों की भूमिका: GVCs में MSMEs की मदद करने के लिये बैंक अन्य भूमिकाएँ भी निभा सकते हैं, जैसे वे वैश्विक कंपनियों के साथ नेटवर्किंग सत्र की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।
- नियमित बाज़ार अपडेट प्रदान किये जाने चाहिये ताकि MSMEs ऐसे बाज़ारों पर सूचित निर्णय ले सकें। इससे उन्हें जोखिम कम करने में मदद मिल सकती है।
- वैश्विक स्तर पर ग्राहकों को जोड़ने के मामले में भी वैश्विक बैंक एक भूमिका निभा सकते हैं।
- नीतिगत सुधार: GVCs में भागीदारी के लिये श्रम बाज़ारों, व्यापार अवसंरचना में गहन सुधारों के साथ ही समग्र कारोबारी माहौल में सुधार की आवश्यकता है।
- घरेलू MSMEs और बड़ी विदेशी एवं घरेलू फर्मों के बीच ऊर्ध्वाधर GVC लिंकेज को सुविधाजनक बनाने की दिशा में निर्देशित नीतियाँ GVC व्यापार में भारत की सापेक्षिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में दीर्घकालिक योगदान कर सकती हैं।

भारत-यूरोप संबंधों में नया आयाम

संदर्भ

हाल ही में भारत में राजनयिक गतिविधियाँ तेज़ रहीं हैं, विभिन्न देशों के मंत्रियों, वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों और राजनयिकों का दिल्ली आगमन हुआ और वे विभिन्न बैठकों-आयोजनों में अपने भारतीय समकक्षों के साथ वार्ता में संलग्न हुए। भारत पर विश्व का यह विशेष ध्यान यह दर्शाता है कि भारत एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के प्रमुख वास्तुकारों में से एक के रूप में उभर रहा है। इस संदर्भ में भारतीय प्रधानमंत्री का बर्लिन (जर्मनी), कोपेनहेगन (डेनमार्क) और पेरिस (फ्राँस) का वर्तमान दौरा हमें यूरोप में भारत के रणनीतिक भविष्य (रूस पर पश्चिम के प्रतिबंधों के नवीन परिदृश्य में) की एक झलक देता है। अभूतपूर्व पश्चिमी प्रतिबंधों से अलग-थलग पड़े रूस के चीन के और निकट जाने के साथ यूरोप भारत के रणनीतिक समीकरण में पहले से कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण बनता जा रहा है।

भारत और यूरोप (विशेष रूप से जर्मनी और फ्राँस के संबंधों में हालिया प्रगति):

- अप्रैल 2022 में यूरोपीय आयोग (European Commission) के अध्यक्ष ने अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान 'भारत-यूरोप व्यापार एवं प्रौद्योगिकी परिषद' (India-Europe Trade and Technology Council) की शुरुआत कर भारत के साथ यूरोपीय संघ की रणनीतिक साझेदारी के नए रूपों का अनावरण किया। यह यूरोपीय संघ की दूसरी ऐसी परिषद है।
- हालाँकि प्रधानमंत्री की यूरोप यात्रा के दौरान प्रमुख यूरोपीय देशों (जर्मनी और फ्राँस) के अतिरिक्त यूरोप के महत्त्वपूर्ण उत्तरी भाग (जिसे 'Norden' के रूप में जाना जाता है और जिसमें मुख्यत: डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं) के साथ भारत की महत्त्वपूर्ण द्विपक्षीय साझेदारी पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- इस दौरे ने रूस-यूक्रेन युद्ध के कुछ नकारात्मक क्षेत्रीय एवं वैश्विक परिणामों को सीमित करने हेतु तरीके खोजने और प्रमुख यूरोपीय देशों के साथ मज़बूत सहयोग के लिये उभरती संभावनाओं का पता लगाने का अवसर प्रदान किया।
- भारत और फ्राँस के बीच सामरिक अभिसरण एक बहुध्रुवीय विश्व के प्रति दोनों देशों के बुनियादी भरोसे और रणनीतिक स्वायत्तता की अवधारणा पर आधारित है।
- वर्ष 1998 से फ्राँस भारत के साथ खड़ा है, जब भारत ने परमाणु परीक्षण किये थे और पूरी दुनिया भारत के विरोध में थी।
- हाल के समय में फ्राँस भारत के लिये 'नया रूस' बनकर उभरा है, जो उसका सबसे महत्त्वपूर्ण सामरिक/रणनीतिक साझेदार है।
- पिछले कुछ वर्षों में फ्राँस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के हितों के एक मज़बूत रक्षक और विशाल हिंद-प्रशांत गतिविधि क्षेत्र में एक क्षेत्रीय सहयोगी के रूप में उभरा है ।
- फ्राँस भारत को उन्नत हथियारों का प्रमुख आपूर्तिकर्त्ता भी रहा है।
- जर्मनी और भारत के बीच पारंपरिक रणनीतिक साझेदारी नहीं रही है। इनके बीच व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, कार्यात्मक सहयोग, कौशल विकास और संवहनीयता पर आधारित एक 'हरित साझेदारी' रही है।
- भारत-जर्मन ऊर्जा मंच, पर्यावरण मंच, शहरी गतिशीलता पर साझेदारी, कौशल विकास और विज्ञान व प्रौद्योगिकी जैसी कई पहलें हैं, जहाँ दोनों देश साथ आगे बढ़ रहे हैं।
- जनवरी 2022 में जर्मन नौसेना का एक युद्धपोत 'बायर्न' (Bayern) मुंबई पहुँचा था जो भारत-जर्मन संबंधों के लिये एक उल्लेखनीय कदम था। इसने वर्ष 2020 में जर्मनी द्वारा अपनाए गए हिंद-प्रशांत नीति दिशा-निर्देशों के एक ठोस परिणाम को दर्शाया।

भारत-यूरोप संबंधों के लिये यूक्रेन संकट का निहितार्थ:

- जारी रूस-यूक्रेन युद्ध उन प्रमुख बाधाओं में से एक है जो यूरोपीय संघ के साथ भारत के अच्छे संबंधों को प्रभावित कर सकता है। हालाँकि जर्मनी पर पश्चिमी बहस अधिक आलोचनापूर्ण है।
- जर्मनी भारत की तुलना में रूस से कहीं अधिक गहनता से जुड़ा हुआ है, जहाँ वह रूस के साथ लगभग 60 बिलियन डॉलर (भारत के 10 बिलियन डॉलर की तुलना में) का वार्षिक व्यापार करता है।
- रूसी प्राकृतिक गैस पर भारी निर्भरता के साथ जर्मनी रूस पर उल्लेखनीय रणनीतिक निर्भरता भी रखता है।
- अन्य यूरोपीय देशों के विपरीत फ्राँस रूस-यूक्रेन युद्ध पर भारत के रुख को बेहतर समझ सकता है क्योंकि दोनों देशों के प्रमुख इस मुद्दे पर रूसी राष्ट्रपति के साथ लगातार वार्तारत रहे थे।
- रूस पर आरोपित प्रतिबंधों के साथ यूरोपीय संघ के साथ-साथ विश्व व्यापार एवं निवेश के लिये बेहतर विकल्प की तलाश कर रहा है। चीन अपनी आक्रामक विदेश नीतियों के साथ अब एक आदर्श भागीदार नहीं रह गया है।
- भारत अपने सतत् आर्थिक विकास और विशाल बाज़ार के कारण इस दृष्टिकोण से एक महत्त्वपूर्ण भागीदार हो सकता है।
- यूक्रेन संकट ने यूरोप के लिये उसकी 'सहयोग हेतु हिंद-प्रशांत रणनीति' (Indo-Pacific Strategy for Cooperation) के हिस्से के रूप में भारत के साथ जुड़ने की तात्कालिकता ज़ाहिर की है।

आगे की राह

- भारत, यूरोप और हिंद-प्रशांत: भारत को वर्तमान में निकट अतीत की तुलना में यूरोप की अधिक आवश्यकता है, चाहे वह अपनी निवारक क्षमताओं के निर्माण के मामले में हो या अपने स्वयं के आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन को गति देने के मामले में।
- भारत को यूरोप के साथ अपनी सर्वांगीण साझेदारी को गहरा करना चाहिये, रूपांतरित भू-राजनीतिक परिदृश्य के संबंध में एक साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहिये और यूरोप को हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका के निर्वहन के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये।
- भारत और यूरोप क्षेत्रीय अवसंरचना के सतत् विकास के लिये बड़े पैमाने पर आर्थिक संसाधन जुटा सकते हैं, राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंडो-पैसिफिक आख्यान को आकार देने के लिये अपने 'सॉफ्ट पावर' का लाभ उठा सकते हैं।
- जर्मनी के साथ सहयोग के संभावित क्षेत्र: जर्मनी जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा सहित विभिन्न वैश्विक मुद्दों को हल करने के लिये भारत को एक महत्त्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखता है।

- दशकों से रूस के साथ एक महत्त्वपूर्ण संलग्नता के निर्माण के बाद भारत और जर्मनी दोनों पर रूसी संपर्क से अलग होने का दबाव है।
- दोनों देश के प्रमुख रूसी राष्ट्रपति से वार्ता के मामले में संयुक्त रूप से कोई समाधान ढूंढ सकते हैं।
- भारत-जर्मनी द्विपक्षीय संबंधों का विस्तार भी महत्त्वपूर्ण है। जर्मनी के लिये वाणिज्य अत्यंत महत्त्वपूर्ण है जो उसकी अर्थव्यवस्था का संचालन करता है।
- जर्मन पूंजी के लिये (जो अब रूसी और चीनी बाज़ारों में अपनी पहुँच को कम करने के दबाव में है) भारत को एक आकर्षक नया गंतव्य बनाना भारत के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिये।
- फ्राँस के साथ सहयोग के संभावित क्षेत्र: राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों की सत्ता में वापसी भारत के लिये द्विपक्षीय संबंधों के अगले चरण में प्रवेश के लिये एक अच्छा अवसर है।
- निजी और विदेशी पूंजी की वृहत भागीदारी के साथ हथियारों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने की भारत की महत्त्वाकांक्षी योजनाओं को सफल बनाने में फ्राँस महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- फ्राँस हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक अधिमान्य भागीदार भी है। दोनों देशों के बीच वर्ष 2018 में संपन्न हुए 'हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग के लिये संयुक्त रणनीतिक दृष्टिकोण' (Joint Strategic Vision for cooperation in the Indian Ocean Region) के साथ फ्राँस की इस भूमिका की और अधिक पुष्टि हुई है।
- परमाणु ऊर्जा के संदर्भ में दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से महाराष्ट्र के जैतापुर में बनाए जा रहे विश्व के सबसे बड़े परमाणु पार्क की कार्य-प्रगति की समीक्षा की जानी चाहिये।
- इस परियोजना में कुछ बाधा आई है और राजनीतिक प्रेरणा के साथ इस बाधा को दूर किया जा सकता है।
- पारंपरिक क्षेत्रों के अलावा कनेक्टिविटी, जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे सहयोग के नए क्षेत्रों में भी दोनों देशों के नेताओं के बीच वार्ता होनी चाहिये।
- नॉर्डिक देशों से संलग्नता: 'नॉर्डिक फाइव'—डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन की आबादी मात्र 25 मिलियन है, लेकिन उनका सकल घरेलू उत्पाद 1.8 ट्रिलियन डॉलर है जो रूस से कहीं अधिक है।
- पिछले कुछ वर्षों में भारत ने तथ्य की पहचान की है कि यूरोपीय देशों में से प्रत्येक भारत के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।
- छोटा सा देश लक्जमबर्ग वृहत वित्तीय शक्ति रखता है, नॉर्वे प्रभावशाली समुद्री प्रौद्योगिकियाँ रखता है, एस्टोनिया एक साइबर शक्ति है, चेकिया ऑप्टोइलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में प्रमुख शक्ति है, पुर्तगाल 'लुसोफोन वर्ल्ड' में प्रमुख स्थान रखता है और स्लोवेनिया कोपर में स्थित अपने एड्रियाटिक समुद्री बंदरगाह के माध्यम से यूरोप के मुख्य भाग तक वाणिज्यिक पहुँच प्रदान करता है।
- नॉर्डिक देशों, विशेष रूप से डेनमार्क के साथ भारत अद्वितीय द्विपक्षीय हरित रणनीतिक साझेदारी का निर्माण कर सकता है।

नई व्यापार नीति

संदर्भ

वित्त वर्ष 2021-22 भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये एक उत्साहजनक स्थिति के साथ पूर्ण हुआ। भारतीय निर्यात ने न केवल कोविड संकट को सहने और उससे उबर लेने के संकेत दिये, बल्कि 419.65 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड राजस्व के साथ मज़बूत वृद्धि भी दर्ज की, जिसे निर्यात में तेज़ पुनरुद्धार के लक्षण के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात के साथ संपन्न मुक्त व्यापार समझौतों (Free Trade Agreements- FTA) को भी नीति-निर्माताओं द्वारा भारतीय उद्यमियों के लिये व्यापक अवसरों के प्रवेश द्वार के रूप में देखा जा रहा है। हालाँकि इन सभी उपलब्धियों के बावजूद इस तथ्य की अनदेखी नहीं की जानी चाहिये कि भारत के लिये एक नई विदेश व्यापार नीति (Foreign Trade Policy- FTP) अभी भी लंबे समय से प्रतीक्षित है। पिछली विदेश व्यापार नीति वर्ष 2015 में अधिसूचित की गई थी और एक नई नीति अप्रैल 2020 में पेश की जानी थी, लेकिन तब से इसे आगे की अवधि के लिये बार-बार टाला जा रहा है। हाल के भू-राजनीतिक घटनाक्रमों, स्थानीय विनिर्माण पर ज़ोर और द्विपक्षीय व्यापार अभिसमयों पर एक दिशा को देखते हुए एक नई नीति का लाया जाना अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

विदेश व्यापार नीति का महत्त्व:

- विदेश व्यापार नीति भारत सरकार द्वारा जारी एक कानूनी दस्तावेज़ है, जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत प्रवर्तनीय है।
- वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से पंचवर्षीय रूप से पुनरीक्षित और अधिसूचित विदेश व्यापार नीति सभी हितधारकों के लिये मार्गदर्शक रही है।
- विदेश व्यापार नीति का मुख्य उद्देश्य लेन-देन और पारगमन लागत, समय को कम करके व्यापार को सुविधाजनक बनाना है।
- विदेश व्यापार नीति सीमा-पार व्यापार नियमों को निर्धारित करती है और प्रौद्योगिकी प्रवाह, अप्रत्क्ष संपत्ति आदि जैसे कई सहवर्ती लेकिन महत्त्वपूर्ण नीतिगत चरों पर सरकार की स्थिति को उजागर करती है।

विदेश व्यापार नीति का महत्त्व:

- वैश्विक स्तर पर भारत के रुख को स्पष्ट करना: 'लोकल फॉर ग्लोबल' और PLI (Production Linked Incentive) योजनाओं जैसे प्रमुख कार्यक्रमों, भारत की निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के विरुद्ध विश्व व्यापार संगठन के निर्णय, विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) योजना की अतिदेय समीक्षा, भारत की निर्यात टोकरी के भौगोलिक प्रोफाइल में परिवर्तन और FTAs के निहितार्थों के संबंध में भारत की स्थिति और संरेखण को स्पष्ट करना आवश्यक है ।
- वर्ष 2019 में WTO के एक विवाद समाधान पैनल ने माना था कि FTP के तहत निर्यात प्रोत्साहन (Export Incentives) भारत की WTO प्रतिबद्धता का उल्लंघन है।
- निर्यात-उन्मुख व्यवसायों पर प्रभाव: FTP के जीर्णोद्धार का एक अन्य कारण यह है कि कुछ निर्यात-उन्मुख व्यवसाय वर्ष 2015 की नीति में कुछ तदर्थ, विरोधाभासी और गलत समय पर किये गए परिवर्तनों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं।
- वर्ष 2015 की FTP ने निर्यात के अनुपात में प्रत्यक्षत: 'ड्यूटी-क्रेडिट स्क्रिप' (Duty-Credit Scrips- DCS) जारी कर निर्यात को प्रोत्साहित किया था। ।
- इसके अलावा, सेवा प्रोत्साहन के लिये परिवर्तन को सितंबर 2021 में पूर्वव्यापी रूप से अधिसूचित किया गया था, जिसे अप्रैल 2019 से लागू किया जाना था।
- परिव्यय और प्रोत्साहन में कमी: भारत से पण्य वस्तु निर्यात योजना (MEIS) और भारत से सेवा निर्यात योजना (SEIS) जैसे 51,012 करोड़ रुपए के वार्षिक निर्यात प्रोत्साहनों को 12,454 करोड़ रुपये के RoDTEP योजना प्रोत्साहन के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है।
- शेष 38,558 करोड़ रुपए को कुछ क्षेत्रों को लाभ प्रदान करने के लिये PLI की ओर मोड़ दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त पहले ट्रैक्टर जैसे कृषि उपकरणों पर 3% निर्यात प्रोत्साहन प्रदान किया जाता था, जिसे घटाकर 0.7% कर दिया गया है।
- अवसंरचनात्मक असफलताएँ: बंदरगाहों, गोदामों और आपूर्ति श्रृंखलाओं जैसी अपर्याप्त रूप से उन्नत निर्यात अवसंरचनाओं के कारण भारत में जहाज़ों के लिये औसत 'टर्नअराउंड टाइम' लगभग तीन दिनों का है जबकि वैश्विक औसत 24 घंटे का है।
- MSMEs का संकट: सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 29% और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में 40% के योगदान के साथ MSMEs क्षेत्र महत्त्वाकांक्षी निर्यात लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रमुख अभिकर्त्ता हैं। लेकिन इनपुट और ईंधन लागतों में वृद्धि MSMEs के निचले स्तर पर स्थित उद्यमों को प्रभावित कर रही है।
- इस्पात और प्लास्टिक जैसे कच्चे मालों की कीमतों में वृद्धि के साथ ही शिपिंग कंटेनरों और श्रम की कमी के कारण MSMEs के लिये वैश्विक मांग में वृद्धि का पूरा लाभ उठा सकना कठिन होता जा रहा है।

नई व्यापार नीति में में संभावित संशोधन संबंधी सुझाव

- MSMEs संकट का समाधान करना: भारत में SEIS के अंतर्गत अधिसूचित सेवाओं के सेवा निर्यातकों को शुद्ध विदेशी मुद्रा आय का 3-7% प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है।
- नई नीति में योजना के तहत दावा योग्य शुद्ध विदेशी मुद्रा आय के लिये न्यूनतम सीमा में संशोधन और वैश्विक सेवाओं के लिये द्रुत 'जीएसटी रिफंड' सुविधा का होना बेहद आवश्यक है।

नोट :

- सरकार को MSMEs की मौजूदा टैरिफ लाइनों में निर्यात क्षमता का दोहन करने में भी मदद करनी चाहिये और निर्यातक MSMEs की संख्या बढ़ाने के लिये तथा वर्ष 2022-23 में MSME निर्यात को 50% तक बढ़ाने के लिये नीतिगत सहायता प्रदान करनी चाहिये।
- निर्यातकों के लिये अधिक प्रोत्साहन: नई FTP से निर्यातकों को लाभ हो सकता है यदि MSME श्रेणी के दायरे में खुदरा और थोक व्यापारियों को मिलने वाले प्रोत्साहन उन्हें भी दिया जाए।
- नई नीति को निर्यातकों को इस दृष्टिकोण से सक्षम बनाना चाहिये कि वे विदेशी व्यापार के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का लाभ उठा सकें। यह MSMEs के लिये अपने वैश्विक समकक्षों के साथ प्रतिस्पर्द्धा कर सकने में विशेष रूप से मदद करेगा।
- अवसंरचना उन्नयन: गोदामों, बंदरगाहों, SEZs, गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं, प्रमाणन केंद्र आदि के रूप में एक कुशल और व्यापक अवसंरचना नेटवर्क अत्यधिक प्रतिस्पर्द्धी बाज़ार में निर्यातकों को टिके रहने में सहायता देगा।
- भारत को चीन जैसे प्रौद्योगिकी उन्नत देशों से आगे बढ़ने के लिये निर्यात अवसंरचना के उन्नयन में निवेश करने की आवश्यकता है।
- इसे आधुनिक व्यापार अभ्यासों को अपनाने की भी आवश्यकता है जिन्हें निर्यात प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण के माध्यम से लागू किया जा सके। इससे समय और लागत दोनों की बचत होगी।
- GST निर्यात लाभ: GST के अंतर्गत निर्यात लाभ वर्तमान में FTP के दायरे से बाहर है, जिसके परिणामस्वरूप निर्यातकों के कुछ वर्गों को निर्यात लाभ से वंचित कर दिया गया है।
- इस परिदृश्य में दोनों नीतियों के बीच की खाई को पाटने की तत्काल आवश्यकता है। इसके अलावा बिना प्रशासनिक देरी के जीएसटी रिफंड का निर्बाध वितरण भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।
- विश्व व्यापार संगठन की नीतियों का अनुपालन करने वाली योजनाएँ: यह दृष्टिकोण FTP के मूल में है। विश्व व्यापार संगठन सरकारों को अपने निर्यातकों को भारी सब्सिडी देने से रोकने की दिशा में कार्य करता है ताकि सभी देशों को एक समान अवसर मिल सके।
- भारत सरकार विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के भीतर बने रहने की आवश्यकता से अच्छी तरह अवगत है और उसने सब्सिडीयुक्त योजनाओं को वापस लेने के लिये पहले ही कई उल्लेखनीय कदम उठाए हैं।
- हालाँकि निर्यात को बढ़ावा देने और यह सुनिश्चित करने के लिये कि वैश्विक बाज़ार में भारतीय निर्यात प्रतिस्पर्द्धी बने रहें, बुनियादी स्तर पर और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।
- अन्य उपाय: नीति-निर्माताओं को सभी हितधारकों के साथ संलग्न होने के लिये विचार-परिधि का तत्काल विस्तार करना चाहिये ताकि एक सचेत रूप से तैयार और निर्देशित नीति दृष्टिकोण सामने आ सके, जो देश की आर्थिक प्रगति के लिये केंद्र और निजी व्यवसायों दोनों का मार्गदर्शन करे।
- इस विचार-परिधि में ईंधन-आयात प्रतिस्थापन की प्रखर आवश्यकता, तात्कालिक लॉजिस्टिक्स का लाभ उठाने और उद्यमशीलता अभियान को बढ़ावा देने जैसे समकालीन प्रतिमानों को भी शामिल किया जाना चाहिये।
- महामारी के कारण उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाई को देखते हुए नई विदेशी व्यापार नीति को निर्यात बाधाओं को दूर करने के लिये चरणबद्ध तरीके से कार्य करना होगा, पारगमन लागत को कम करने के लिये नियामक एवं परिचालन ढाँचे की समीक्षा करनी होगी और विकसित लॉजिस्टिक्स एवं उपयोगिता अवसंरचना के माध्यम से निम्न लागतपूर्ण परिचालन वातावरण का सृजन करना होगा।

भारत में बिजली संकट

संदर्भ

हाल ही में भारत तब बिजली संकट की चपेट में आ गया जब डेली पीक पावर शॉर्टेज 10,778 मेगावाट तक बढ़ गया और राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा की कमी 5% तक पहुँच गई। देश के कुछ राज्यों को 15% तक की भारी कमी का सामना करना पड़ा। इसके परिणामस्वरूप बिजली वितरण कंपनियों/डिस्कॉम ने लोड-शेडिंग का सहारा लिया, जिससे घरों के लिये लंबे समय तक आउटेज की स्थिति बनी और आर्थिक गतिविधियों के लिये राशनबद्ध आपूर्ति की गई।

- ताप विद्युत संयंत्रों के लिये कोयले की आपूर्ति में कमी से यह संकट उत्पन्न हुआ। हालाँकि यह कोई नई घटना नहीं है। प्राय: हर साल कमी की यह समस्या उभरती है और सरकार विभिन्न उपायों को अपनाने के बावजूद इस समस्या पर काबू पाने में सफल नहीं हो पाई है।

नोट :

- जब तक अंतर्निहित मुद्दों और संरचनात्मक समस्याओं का समाधान नहीं किया जाएगा तब तक यह संकट सामने आता रहेगा। इसका सरल समाधान यह सुनिश्चित करना है कि कोयला बिजली संयंत्रों के पास पर्याप्त ईंधन का भंडार हो।

भारत में बिजली के लिये कोयले पर निर्भरता की स्थिति:

- सितंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार भारत की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में ताप विद्युत (कोयला, गैस और पेट्रोलियम के दहन से उत्पन्न बिजली) की हिस्सेदारी 60% थी।
- कोयला आधारित बिजली उत्पादन (कुल 396 GW में से लगभग 210 GW की क्षमता के साथ) भारत की कुल बिजली क्षमता में लगभग 53% की हिस्सेदारी रखता है (मार्च 2022 तक की स्थिति)।
- भारत ताप विद्युत हेतु कोयले की अपनी आवश्यकताओं का लगभग 20% आयात करता है।
- ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (Council on Energy, Environment and Water- CEEW) के एक आकलन के अनुसार उत्पादन का एक विषम भाग पुराने अक्षम संयंत्रों से प्राप्त होता है, जबकि नए और कुशल संयंत्र अनुकूल कोयला आपूर्ति अनुबंधों या बिजली खरीद समझौतों के अभाव में निष्क्रिय बने हुए हैं।

बिजली संकट के संभावित कारण

- आर्थिक गतिविधियों का पुनरुद्धार: कोविड-19 व्यवधानों के बाद आर्थिक गतिविधियों के पुनरुद्धार और ग्रीष्म लहर (heatwaves) ने बिजली की मांग में वृद्धि कर दी।
- अप्रैल 2022 में औसत दैनिक ऊर्जा आवश्यकता अप्रैल 2021 के 3,941 मिलियन यूनिट (MU) से बढ़कर 4,512 मिलियन यूनिट हो गई जो वर्ष-दर-वर्ष लगभग 5% औसत वृद्धि की तुलना में 14.5% की वृद्धि को दर्शाती है। मार्च से अप्रैल के बीच यह छलांग 6.5% रही।
- रेलवे (जो लंबी दूरी के परिवहन का मुख्य माध्यम है) को भी साझा ट्रैक पर उच्च यात्री यातायात का सामना करना पड़ रहा है।
- ताप विद्युत संयंत्रों की अक्षमता: अपनी क्षमता से पर्याप्त कम पर (59% क्षमता उपयोग पर) संचालित ताप विद्युत संयंत्रों (Thermal Power Plants- TPPs) के 236 GW के साथ भारत थर्मल उत्पादन को बढ़ाकर इस मांग में वृद्धि को प्रबंधित कर सकता था।
- बिजली उत्पादन में तेज़ी ला सकने में TPPs की अक्षमता को संयंत्र स्थलों पर कोयला भंडार के महत्त्वपूर्ण स्तरों के संदर्भ में समझा जा सकता है।
- जबकि TPPs को ईंधन आवश्यकता के दो-तीन सप्ताह के भंडार को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, 100 से अधिक संयंत्र आवश्यक स्तर के 25% से भी कम ईंधन स्टॉक के साथ संचालित हैं, जबकि इनमें से आधे से अधिक के पास 10% से भी कम स्टॉक है।
- बिजली क्षेत्र में नकदी प्रवाह की समस्या: लागत वसूल कर सकने में डिस्कॉम की अक्षमता के कारण बिजली उत्पादन कंपनियों का 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का बकाया हो गया है। नतीजतन, बिजली उत्पादन कंपनियाँ (power generation companies- GenCos) कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) को भुगतान के मामले में डिफ़ॉल्ट पर हैं।
- यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्पॉट मार्केट कोयला मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है और वे वर्ष 2020 में लगभग 50 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 400 डॉलर प्रति टन तक हो गए हैं।
- डिस्कॉम की हानियाँ: दो दशकों से जारी क्षेत्रीय सुधारों के बावजूद डिस्कॉम की कुल हानि 21% तक पहुँच गई है (वर्ष 2019-20)।
- यह परिचालन अक्षमता और उपभोक्ताओं (राज्य सरकारों और नगर निकायों से संबद्ध उपभोक्ताओं सहित) से बकाया राशि की वसूली की बदतर स्थिति, दोनों को दर्शाता है।
- इन हानियों के कारण भी डिस्कॉम समय पर बिजली उत्पादकों को भुगतान करने में सक्षम नहीं हो पा रहे, जिसके परिणामस्वरूप कोल इंडिया को भुगतान में देरी की स्थिति बनी है और इसके कारण कोल इंडिया अनुरोध पर कोयले की आपूर्ति करने के प्रति अनिच्छुक बना हुआ है।
- विभिन्न संरचनात्मक दोष: सर्वप्रथम, डिस्कॉम गंभीर अशोधन (Insolvency) के शिकार हैं, जिसने अपस्ट्रीम आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया है।
- दूसरा दोष यह है कि ये निकाय प्रभावी संसाधन नियोजन नहीं करते हैं।
- इसके अलावा, ऐसे मामलों में दोषारोपण अपरिहार्य है; हर संकट के समय राज्य दोषपूर्ण कोयला आवंटन और प्रेषण के लिये केंद्र को दोषी ठहराते है तो केंद्र अपस्ट्रीम आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान करने में राज्यों की अक्षमता को दोषी ठहराता है।

- संरचनात्मक दोष रेखाओं को ठीक करने के बजाय संकट को तत्काल टाल सकने के लिये अस्थायी समाधानों (Band-aid Solutions) का सहारा लिया जाता है।

आगे की राह

- योजना-निर्माण और नीतिगत सुधार: हमारे योजना-निर्माण में परिवर्तन लाना आवश्यक है जहाँ मुख्यत: कमी का प्रबंधन करने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए लचीली प्रत्यास्थता (Fexible Resiliency) का दृष्टिकोण अपनाया जाए।
- हमें पारितंत्र में 'फीडबैक लूप' (Feedback Loops) भी शुरू करने की आवश्यकता है ताकि हितधारकों के पास पुरस्कार और दंड दोनों विकल्प मौजूद हों; यानी अनुपालन की पूर्ति या अनुपालन से अधिक के लिये प्रोत्साहन (Incentives), लेकिन इसमें चुकने पर इसके परिणाम भुगतने होंगे।
- नीतिगत मुख्य ध्यान दीर्घकालिक संरचनात्मक समाधानों पर होना चाहिये जो वितरण संबंधी वित्तीय व्यवहार्यता और संसाधन नियोजन के लिये एक सुदृढ़ तंत्र को संबोधित करे।
- पारितंत्र को सक्षम बनाना: बिजली संयंत्रों के कुशलतापूर्वक कार्य कर सकने के लिये एक सक्षम पारितंत्र का निर्माण करने की आवश्यकता है।
- चूँकि दीर्घावधिक अनुबंधों के माध्यम से 90% से अधिक बिजली की खरीद की जाती है, डिस्कॉम के पास गतिशील रूप से मांग का आकलन और प्रबंधन कर सकने के लिये बहुत कम प्रोत्साहन या प्रेरणा होती है।
- डिस्कॉम को स्मार्ट मूल्यांकन और मांग के प्रबंधन के लिये सक्षम बनाया जाना चाहिये।
- ईंधन आवंटन पर पुनर्विचार और कुशल संयंत्रों के प्राथमिकता प्रेषण को समर्थन से भारत को हमारी वार्षिक आवश्यकता के 6% तक कोयले की मांग को कम करने में मदद मिल सकती है और संकट के समय के लिये अधिक कोयले को अलग से भंडारित किया जा सकता है।
- रणनीतिक ऊर्जा संक्रमण: मौजूदा संकट पर आनन-फानन की प्रतिक्रिया जीवाश्म संसाधनों की ओर निवेश को पुनर्निर्देशित करने का दबाव उत्पन्न कर सकती है, जिससे भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा संक्रमण प्रयासों को नुकसान पहुँचेगा। कोयले पर निर्भरता न तो अपेक्षित है, न ही यह लागत-प्रभावी है।
- लगातार जारी बिजली की कमी की समस्या को दूर करने के लिये ऊर्जा संक्रमण का ऐसा रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाना होगा जो नवीकरणीय ऊर्जा के निम्न-लागत बिजली वादे और ऊर्जा मिश्रण में विविधीकरण के अवसरों का दोहन करता हो।
- संकट का मध्यावधिक समाधान: जबकि अपेक्षित है कि भारत कोयले की कमी की मौजूदा समस्या से जल्द ही निपट लेगा, देश की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एकमात्र उपाय यह है कि नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन में तेज़ी लाई जाए।
- हालाँकि, मध्यम अवधि में कोयला खनन सुविधाओं में अवसंरचनाओं का उन्नयन और कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिये खनन हेतु मौजूदा खदानों को निजी क्षेत्र के लिये खोलना भी अनिवार्य है।
- ऐसा नहीं होने पर आपूर्ति में असंतुलन का संकट उत्पन्न होता रहेगा जिसके हानिकारक 'ट्रिकल-डाउन इफेक्ट' भी दीखते रहेंगे।
- घरेलू उत्पादन बढ़ाना और आयात कम करना: आयात को कम करने या उससे पूरी तरह मुक्त होने के लिये घरेलू उत्पादन बढ़ाना अनिवार्य है। इसके लिये आवश्यक होगा कि नए पर्यावरण मंज़ूरी की आवश्यकता से छूट दी जाए।
- भारत को संपूर्ण कोयला मूल्य शृंखला में स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों के उपयोग में निवेश बढ़ाना चाहिये।
- निजी वाणिज्यिक खनन के अब वैध होने के साथ निजी क्षेत्र को आवंटित खनन ब्लॉक में जल्द से जल्द उत्पादन शुरू करने हेतु मदद दी जा सकती है।
- ऐसा करने से उच्च कोयला आयात की आवश्यकता और परिणामी भारी वित्तीय बोझ को कम किया जा सकता है।

निष्कर्ष

- देश की विकास आकांक्षाओं को देखते हुए, बिजली की मांग में भारी वृद्धि होना और इसका अधिकाधिक परिवर्तनीय या अस्थिर होना तय है। बढ़ती जलवायु और भू-राजनीतिक अनिश्चितताएँ ऊर्जा के उत्पादन, वितरण और उपभोग के तरीके में अधिक कुशल बनने की आवश्यकता को रेखांकित करती हैं। भारत के बिजली क्षेत्र की दीर्घकालिक प्रत्यास्थता के लिये ज़रूरी कदम उठाने का यह उपयुक्त समय है।

नोट :

मृत्युदंड की सजा को रोकना

संदर्भ

भारत में मृत्युदंड या मौत की सज़ा (Death Penalty/Aapital Punishment) के संबंध में न्यायशास्त्र के विकास की एक हालिया प्रवृत्ति इस दंड के संबंध में न्यायिक दृष्टिकोण को रूपांतरित कर सकती है तथा इसका मृत्युदंड के निर्णयन पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ सकता है। हाल ही में मृत्युदंड की पुष्टि के विरुद्ध अपीलों पर सुनवाई के दौरान भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने शमनकारी परिस्थितियों के दृष्टिकोण से दंड देने की पद्धति पर अधिक सूक्ष्मता से विचार किया। मृत्युदंड देने के संबंध में हमारी समझ के प्रमुख पहलुओं पर इन मुद्दों पर गहराई से विचार करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय ने एक स्वत: संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) की भी पहल की। न्यायिक दृष्टिकोण का यह वर्तमान प्रक्षेपवक्र 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' सिद्धांत (Rarest Of Rare Principle) के मूलभूत बिंदुओं की पुन: पुष्टि करेगा तथा मृत्युदंड के संबंध में जुरिस्प्रूडन्स या न्यायशास्त्र के दृष्टि में एक नए दृष्टिकोण का नेतृत्व करेगा।

मृत्युदंड:

- मृत्युदंड या मौत की सज़ा किसी जघन्य आपराधिक कृत्य के मामले में दोषसिद्धि के बाद न्यायालय द्वारा दी जाने वाली फाँसी की सज़ा है।
- यह न्यायालय द्वारा किसी आरोपित को दिया जाने वाला उच्चतम और कठोरतम दंड है।
- भारत में मृत्युदंड दुर्लभतम या 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' मामलों तक सीमित है जैसे भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 121 (राज्य के विरुद्ध हथियार उठाना) और धारा 302 (हत्या) के अंतर्गत निर्णित मामलें।
- मृत्युदंड को जघन्यतम अपराधों के लिये सबसे उपयुक्त दंड और प्रभावी निवारक उपाय के रूप में देखा जाता है।

भारतीय संदर्भ में मृत्युदंड की स्थिति

- दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (CrPC), 1955 से पूर्व भारत में मृत्युदंड नियम(rule) था, जबकि आजीवन कारावास एक अपवाद था।
- वर्ष 1955 के संशोधन के बाद अदालतें अपने विवेक से मृत्युदंड या आजीवन कारावास देने के लिये स्वतंत्र हो गईं।
- सीआरपीसी, 1973 की धारा 354 (3) के अनुसार न्यायालयों को उच्चतम/अधिकतम दंड देने के कारण को लिखित रूप से बताना आवश्यक है।
- स्थिति को अब उलट दिया गया है जहाँ आजीवन कारावास 'नियम' है, जबकि जघन्यतम अपराध के लिये मृत्युदंड एक अपवाद है।
- कानून (CrPC) के अंतर्गत सत्र न्यायालय/दंड न्यायालय (Court Of Sessions/Sentencing Court) द्वारा दिये गए मृत्युदंड का उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार (Jurisdictional High Court/ "Confirming Court") द्वारा पुष्टि किया जाना आवश्यक है।
- ट्रायल कोर्ट द्वारा दिये गए मृत्युदंड पर तब तक अमल नहीं किया जा सकता जब तक कि इसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं की गई हो।

दुर्लभ से दुर्लभतम मामलें:

- जब हत्या बेहद क्रूर, हास्यास्पद, शैतानी, विद्रोही, या निंदनीय तरीके से की जाती है ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो।
- जब हत्या के पीछे का मकसद पूरी तरह से भ्रष्टता और क्रूरता है।

मृत्युदंड देने के मामले में न्यायपालिका का रुख

मृत्युदंड के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का मत:

- बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 'मीटिगेटिंग' एवं 'एग्रेवेटिंग' परिस्थितियों (Mitigating and Aggravating Circumstances) को एक-दूसरे के साथ संतुलित किया जाना चाहिये और इस सिद्धांत की स्थापना की कि मृत्युदंड तब तक नहीं दिया जाना चाहिये जब तक कि आजीवन कारावास का विकल्प ''निर्विवाद रूप से अनुपलब्ध'' (Unquestionably Foreclosed) न हो।

- मोफिल खान बनाम झारखंड राज्य (2021) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि "राज्य का कर्तव्य है कि वह यह साबित करने हेतु साक्ष्य हासिल करे कि आरोपी के सुधार और पुनर्वास की कोई संभावना नहीं है।"

अन्य मत

- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली के प्रोजेक्ट 39A (जिसे पहले 'सेंटर ऑन द डेथ पेनल्टी' के नाम से जाना जाता था) की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में मृत्युदंड देने के संबंध में कोई न्यायिक एकरूपता या निरंतरता नहीं रही है।
- 'डेथ पेनेल्टी सेन्टन्सिंग इन ट्रायल कोर्ट' (Death Penalty Sentencing in Trial Court)' शीर्षक रिपोर्ट (प्रोजेक्ट 39A) में दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में वर्ष 2000 से वर्ष 2015 के बीच मृत्युदंड से जुड़े मामलों के एक अध्ययन के आधार पर बताया गया कि अदालतें सज़ा सुनाते समय अपराधियों में सुधार की संभावना के पहलू पर विचार करने के मामले में सजग नहीं रही हैं।
- रावजी बनाम राजस्थान राज्य (1995) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि दंड का निर्णय करते समय अपराधी के बजाय अपराध की प्रकृति पर विचार करना उचित है। न्यायालय का यह मत वस्तुत: बचन सिंह मामले में स्थापित मत के सर्वथा विपरीत है।
- मच्छी सिंह बनाम पंजाब राज्य (1983) मामले में न्यायालय ने संकेत दिया कि अन्य दंडों की अपर्याप्तता मृत्युदंड को उचित ठहरा सकती है।

मृत्युदंड के पक्ष में तर्क:

- प्रतिशोध: प्रतिशोध के प्रमुख सिद्धांतों में से एक यह है कि लोगों को उनके अपराध की गंभीरता के अनुपात में वह सज़ा मिलनी चाहिये जिसके वे हकदार हैं।
- इस तर्क में कहा गया है कि हत्या करने वाला व्यक्ति किसी के जीवन जीने का अधिकार छीन लेता है जिसके कारण उसके जीवन का अधिकार भी समाप्त हो जाता है। इस प्रकार मृत्युदंड एक प्रकार का प्रतिकार होता है।
- निवारण: मृत्युदंड को अक्सर इस तर्क के साथ उचित ठहराया जाता है कि सज़ायाफ्ता हत्यारों को मृत्युदंड देकर हम हत्यारों को लोगों को मारने से रोक सकते हैं।
- समापन : सामान्यतय: यह तर्क दिया जाता है कि मृत्युदंड पीड़ितों के परिवारों को एक समापन का अवसर देता है।

मृत्युदंड को समाप्त करने की आवश्यकता:

- 'दंड के सिद्धांत' के विपरीत: वैश्विक स्तर पर आपराधिक न्याय प्रणाली में, सजा के तत्व को 'दंड के सिद्धांत' (Theory of Punishment) के रूप में रेखांकित किया जाता है
- यह निर्धारित करता है कि राज्य द्वारा अधिरोपित व्यवस्थित दंड में चार तत्त्व शामिल होने चाहिये:
- समाज की रक्षा।
- अपराध की रोकथाम।
- अपराधी का पुनर्वास और सुधार।
- पीड़ितों और समाज के लिये प्रतिकारी प्रभाव।
- मृत्युदंड, अपने सार में 'दंड के सिद्धांत' की भावना और इससे आगे प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध सिद्ध होता है।
- जो लोग मृत्युदंड का विरोध करते हैं, उनका विचार है कि प्रतिकार (Retribution) अनैतिक है और यह प्रतिशोध (Vengeance) का ही एक रूप है।
- मृत्युदंड कैदी का पुनर्वास नहीं करता और उन्हें समाज में वापस जाने का अवसर नहीं देता है।
- जिन लोगों को मृत्युदंड दिया जाता है संभव है उनमें से कुछ मानसिक रोग या दोष के कारण अपराध करने के परिणामों के प्रति भय महसूस न करते हों।
- मानव जीवन का संरक्षण: यद्यपि मृत्युदंड उपयुक्त मामलों में उचित सजा की समाज की मांग पर जवाब के रूप में कार्य करता है, दंड के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने हेतु विकसित हुए हैं अर्थात मानव जीवन को संरक्षित करने के लिये, चाहे वह अभियुक्त का हो (जब तक कि उसकी समाप्ति अपरिहार्य न हो) और अन्य सामाजिक कारणों एवं समाज के सामूहिक विवेक की पूर्ति के लिये हो।

- मृत्युदंड के विरुद्ध सामाजिक कारक: मौत की सज़ा को समाप्त करने के संभावित कारणों का एक विश्लेषण लोचन श्रीवस बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (2021) और भागचंद्र बनाम मध्य प्रदेश राज्य (2021) जैसे हालिया फैसलों की एक श्रृंखला में परिलक्षित हुआ है।
- इन कारणों में सामाजिक-आर्थिक पिछड़ापन, मानसिक स्वास्थ्य, आनुवंशिकता, पालन-पोषण, समाजीकरण, शिक्षा आदि शामिल हो सकते हैं।
- वर्ग विशेष के प्रति भेदभावपूर्ण: तथ्य यह भी है कि अमीरों के बजाय प्राय: गरीबों को ही फाँसी दी गई है।
- मृत्युदंड पाने वाले अशिक्षित और अनपढ़ लोगों की संख्या शिक्षित और साक्षर लोगों से कहीं अधिक है।
- इसके साथ ही शमनकारी घटकों (Mitigating Factors) को उजागर करने में (जिससे मृत्युदंड से बचा जा सकता था) बचाव पक्ष के वकील की विफलता विधिक सहायता को अप्रभावी बना देती है।
- भारत में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे गरीबों को मिलने वाली विधिक सहायता संतोषजनक नहीं है।

आगे की राह

- अभियुक्त का मनो-सामाजिक विश्लेषण: भारत में मृत्युदंड देने के विषय पर अधिक विचार नहीं किया गया है।
- सज़ा सुनाते समय शमन विश्लेषण (Mitigation Analysis) को शामिल करने और कैदी की मनो-सामाजिक रिपोर्टों पर विचार करने के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समयबद्ध और आवश्यक हस्तक्षेप किया गया है।
- इस संदर्भ में भारतीय न्यायपालिका को सामाजिक कार्य, मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान, नृविज्ञान, आदि क्षेत्र के विशेषज्ञों से अभियुक्तों की सामाजिक-आर्थिक और वंशानुगत पृष्ठभूमि से संबंधित एक व्यापक रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु एक कानूनी साधन भी विकसित करने की आवश्यकता है।
- 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' के सिद्धांत को सशक्त करना: बचन सिंह मामले में प्रस्तुत किये गए 'रेयरेस्ट ऑफ रेयर' के सिद्धांत अर्थात् दुर्लभ से दुर्लभतम मामलों को सशक्त करना और मृत्युदंड के निर्णयन में निष्पक्षता बहाल करना महत्त्वपूर्ण है।
- बचन सिंह मामले में न्यायालय ने बलपूर्वक यह मत दिया था कि कोई भी व्यक्ति अनिवार्य रूप से 'अपरिवर्तनीय' नहीं है।
- निवारण (Deterrence) को सच्चे अर्थों में सुनिश्चित करना: जब अपराध के तुरंत बाद सज़ा दी जाती है तो निवारण या अवरोध सर्वाधिक प्रभावी होता है। कानूनी प्रक्रिया अपराध और दंड के बीच जितनी दूरी उत्पन्न करती है (समय के संदर्भ में या निश्चितता के संदर्भ में), वह दंड उतना कम प्रभावी निवारक हो सकता है।
- इस परिप्रेक्ष्य में हमारी कानूनी प्रणाली में जनता के विश्वास को सुदृढ़ करने के लिये फास्ट ट्रैक ट्रायल द्वारा समर्थित एक सुप्रशिक्षित एवं सुसज्जित पुलिस प्रणाली के हाथों जाँच में तेज़ी लाये जाने की आवश्यकता है।
- सामाजिक सुधार: केवल दंड बढ़ाने के बजाय महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों से निपटने के लिये व्यापक सामाजिक सुधारों, सतत शासन प्रयासों और जाँच व रिपोर्टिंग तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता है।

भारतीय विश्वविद्यालयों की कठिन राह

संदर्भ

लंबे समय से यह धारणा रही है कि शिक्षा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत और विदेशों में किये गए विभिन्न अध्ययनों से इस धारणा की पुष्टि होती है कि उच्च शिक्षा से बेहतर वित्तीय परिणाम प्राप्त होते हैं। इस दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए भारत सरकार ने भारतीय विश्वविद्यालयों के उत्थान के लिये कई कदम उठाए हैं जैसे 'इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस' योजना (20 संस्थानों को विश्वस्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में स्थापित/अपग्रेड करने के लिये), IMPRINT पहल (प्रमुख इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी चुनौतियों को हल करने के लिये अनुसंधान हेतु एक रोडमैप विकसित करना) तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy-NEP), 2020। इस तरह के प्रयासों के बावजूद कभी अपनी उत्कृष्टता पर रहे भारतीय शिक्षण संस्थान कई संकटों से घिरे हुए हैं जैसे- विश्वविद्यालय स्तर पर वित्तीय बदहाली, शिक्षकों के लिये अनुसंधान के अवसरों में कमी, बदतर अवसंरचनाएँ और छात्रों के लिये गुणवत्ताहीन सीखने की प्रक्रिय (लर्निंग आउटकम)।

वैश्विक स्तर पर भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थिति:

- 'टाइम्स हायर एजुकेशन' (Times Higher Education-THE) ने सितंबर 2021 में अपना 'वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022' (World University Rankings 2022) संस्करण जारी किया, जिसमें पाया गया कि विश्व के शीर्ष 1000 विश्वविद्यालयों में से भारत के 35 विश्वविद्यालय शामिल हैं। इस रैंकिंग में भारतीय विश्वविद्यालयों की यह दूसरी सर्वाधिक संख्या है।
- इन 35 संस्थानों में से भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc) शीर्ष पर था, जिसके बाद IIT रोपड़ और जेएसएस उच्च शिक्षा और अनुसंधान अकादमी का स्थान था।
- इससे पहले जुलाई 2021 में 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022' (QS World University Rankings 2022) में 22 भारतीय संस्थानों ने (वर्ष 2021 की रैंकिंग में 21 संस्थानों की तुलना में) शीर्ष 1,000 विश्वविद्यालयों की सूची में स्थान प्राप्त किया था जहाँ गुवाहाटी, कानपुर, खड़गपुर और मद्रास में अवस्थित IIT संस्थानों ने रैंकिंग में प्रमुख जगह पाई।

भारतीय विश्वविद्यालयों के संकट के कारण:

- खराब शासन संरचना: भारतीय शिक्षा का प्रबंधन अति-केंद्रीकरण, नौकरशाही संरचनाओं और जवाबदेही, पारदर्शिता एवं पेशेवर रवैये की चुनौतियों का सामना कर रहा है।
- शिक्षा मंत्रालय उच्च शिक्षा संस्थानों पर 25% प्रवेश क्षमता बढ़ाने पर ज़ोर दे रहा है, जबकि वित्त मंत्रालय नए शिक्षण पदों के सृजन पर प्रतिबंध की अपेक्षा रखता है।
- इसके साथ ही उच्च शिक्षा पर व्यय (सरकारी व्यय के प्रतिशत के रूप में) वर्ष 2012 से ही 1.3-1.5% की एकसमान स्थिति पर बना रहा है।
- खराब अवसंरचना: भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली के समक्ष खराब अवसंरचना एक अन्य चुनौती है; विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा संचालित संस्थानों में भौतिक सुविधाओं और अवसंरचनाओं का अभाव बना हुआ है।
- अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में अत्यधिक भीड़-भाड़ और खराब वातन की सुविधा एवं कम स्वच्छ क्लासरूम पाए जाते हैं साथ ही छात्रावास सुविधा भी असंतोषजनक है।
- खराब शिक्षण क्षमता: 'क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022' से खुलासा हुआ कि हालाँकि भारतीय विश्वविद्यालयों ने अकादमिक प्रतिष्ठा मीट्रिक और शोध प्रभाव पर अपने प्रदर्शन में सुधार किया है फिर भी वे शिक्षण क्षमता मीट्रिक स्तर पर संघर्षरत ही बने हुए हैं।
- कोई भी भारतीय विश्वविद्यालय संकाय-छात्र अनुपात (Faculty-Student Ratio) के मामले में शीर्ष 250 में शामिल नहीं है।
- शिक्षण क्षमता के संबंध में खराब प्रदर्शन भर्ती/नियुक्ति दर में गिरावट के कारण नहीं है बल्कि छात्रों की संख्या में वृद्धि के कारण है जो परिदृश्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिये सरकार द्वारा आरक्षण लागू करने के कारण उत्पन्न हुआ है।
- अपर्याप्त अनुसंधान अनुदान: अपर्याप्त संसाधन और सुविधाओं के अतिरिक्त छात्रों को सलाह देने के लिये सीमित संख्या में गुणवत्तापूर्ण संकाय ही उपलब्ध हैं। अधिकांश शोधार्थी फेलोशिप के बिना शोधरत हैं या उन्हें समय पर फेलोशिप प्राप्त नहीं हो रही है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उनके शोधकार्य को प्रभावित करता है।
- इसके अलावा, यूजीसी की लघु और बृहत् अनुसंधान परियोजना योजनाओं के तहत प्रदत्त अनुदान वित्त वर्ष 2016-17 में 42.7 करोड़ रुपए से घटकर वित्त वर्ष 2020-21 में मात्र 38 लाख रुपए रह गया है।
- भारत में 1,040 से अधिक विश्वविद्यालय हैं लेकिन 2.7% में ही पीएचडी कार्यक्रमों का संचालन किया जाता हैं क्योंकि वे वित्तपोषण की कमी और खराब अवसंरचना से ग्रस्त हैं।
- विश्वविद्यालयों में अनुसंधान अवसंरचना में सुधार लाने पर लक्षित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (NRF) को अभी तक मंज़ूरी प्राप्त नहीं हुई है।
- शैक्षणिक मानकों में गिरावट: शैक्षणिक मानकों और प्रक्रियाओं को बहाल नहीं किया जा रहा है। परीक्षाओं का पेपर लीक होना एक आम सी बात हो गई है।
- परीक्षार्थियों ने समय-समय पर उजागर किया है कि परीक्षा केंद्र संचालक उम्मीदवारों को पास कराने में मदद करने के लिये मोटी रकम वसूलते हैं।

नोट :

विश्वविद्यालयों की वित्तीय समस्या की गंभीरता

- विश्वविद्यालय के बुनियादी ढाँचे में निवेश घटा है। केंद्रीय स्तर पर वित्त वर्ष 2022-23 में छात्र वित्तीय सहायता को घटाकर 2,078 करोड़ रुपए कर दिया गया (वित्त वर्ष 2021-22 में 2,482 करोड़ रुपए) अनुसंधान और नवाचार हेतु आवंटन में 8% की कमी आई जो वर्तमान में 218 करोड़ रुपए रह गया है।
- उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (Higher Education Financing Agency- HEFA)—जो संस्थानों को सभी अवसंरचना ऋणों के लिये धन मुहैया कराती है, के बजट को वित्त वर्ष 20-21 में 2,000 करोड़ रुपए से घटाकर वित्त वर्ष 21-22 में 1 करोड़ रुपए कर दिया गया। कुछ सीमित विकल्पों के साथ विश्वविद्यालयों को ऋण लेने के लिये विवश किया गया है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission- UGC) को वित्त वर्ष 2021-22 में 4,693 करोड़ रुपए की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में 4,900 करोड़ रुपए आवंटित किये गए लेकिन नकदी प्रवाह में कमी के कारण डीम्ड/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वेतन भुगतान में देरी हुई।
- संकाय सदस्यों को वेतन प्राप्त होने में महीनों तक देरी का सामना करना पड़ता है।
- अधिकांश विश्वविद्यालय घाटे में चल रहे हैं। मद्रास विश्वविद्यालय को 100 करोड़ रुपए से अधिक का संचित घाटा झेलना पड़ा, जिससे उसे राज्य सरकार से 88 करोड़ रुपए का अनुदान लेने हेतु विवश होना पड़ा।
- दिल्ली विश्वविद्यालय के बारह कॉलेजों को वित्तीय कमी का सामना करना पड़ा है जहाँ राज्य द्वारा आवंटन लगभग आधे भाग तक कम हो गया है।
- इससे विवेकाधीन व्यय में कटौती की स्थिति बनी है। दिल्ली के कई कॉलेज बुनियादी डेटाबेस और पत्रिकाओं की सदस्यता लेने में असमर्थ हैं।

आगे की राह

- बेहतर वित्तपोषण: अवसंरचना अनुदान/ऋण और वित्तीय सहायता के लिये समर्पित वित्तपोषण धारा स्थापित करने के साथ-साथ वित्तपोषण में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है।
- स्टार्ट-अप रॉयल्टी और विज्ञापन जैसे अन्य राजस्व धाराओं का उपयोग करने के लिये भी विश्वविद्यालयों को छूट दी जानी चाहिये।
- NRF की स्थापना: NRF की स्थापना से उम्मीद है कि शिक्षा जगत का मंत्रालयों और उद्योगों से संपर्क बनेगा तथा स्थानीय आवश्यकताओं के लिये प्रासंगिक अनुसंधान को धन दिया जा सकेगा।
- अनुसंधान/शोध के लिये वित्तपोषण में उल्लेखनीय वृद्धि की आवश्यकता है, जहाँ NRF जैसे संस्थान मौजूदा योजनाओं (विज्ञान मंत्रालय की योजनाओं सहित) को पूरकता प्रदान करें (न कि उन्हें प्रतिस्थापित करें)।
- स्नातक से नीचे के छात्रों के लिये पाठ्यक्रम-आधारित अनुसंधान अनुभवों को साझा करने हेतु भी धन आवंटित किया जाना चाहिये।
- इसके अलावा NRF शोधकर्त्ताओं के लिये सुपरिभाषित समस्याएँ प्रस्तुत कर सकेगा, ताकि वे लक्ष्य-उन्मुख और समयबद्ध तरीके से समाधान ढूँढ सकें।
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बनाए रखना: यह देखना निराशाजनक है कि उच्च शिक्षा संस्थान अपनी परीक्षाओं के निष्पक्ष क्रियान्वयन में विफल रहे हैं।
- इसमें सुधार के लिये विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी जहाँ विश्वविद्यालयों को अकादमिक कार्यक्रमों, पदोन्नति, समूह के आकार आदि पर निर्णय ले सकने की अनुमति दी जाए।
- मौजूदा HEIs का उन्नयन: वर्ष 2035 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrollment Ratio- GER) को मौजूदा 27% से बढ़ाकर 50% करने के लक्ष्य के साथ भारत को न केवल नए उच्च शिक्षा संस्थान (HEIs) और विश्वविद्यालय खोलने की ज़रूरत है, बल्कि मौजूदा HEIs के उन्नयन की भी आवश्यकता है।
- इस व्यापक विस्तार के लिये न केवल अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता होगी बल्कि एक नए शासन मॉडल की भी आवश्यकता होगी।
- इसके साथ ही, हमारे संस्थानों को अपने कार्यक्षेत्र एवं पेशकश में बहु-विषयक बनने और आपस में सहयोग करने की आवश्यकता है।

नोट :

- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना: शिक्षा की लागत को उत्पाद की गुणवत्ता के साथ जोड़ना इस दिशा में पहला कदम होगा।
- रोज़गार योग्यता (Employability) के दृष्टिकोण से शिक्षा की गुणवत्ता का आकलन करना यह सुनिश्चित करेगा कि हम 'बेरोज़गार स्नातकों' की समस्या का समाधान कर रहे हैं।
- छात्र विश्वविद्यालयों के चयन में रोज़गार योग्यता को प्राथमिकतादी जाती है। प्रौद्योगिकी में तेज़ी से बदलाव के साथ भविष्य की नौकरियों को अभी तक परिभाषित नहीं किया गया है। इसलिये उद्योग से निरंतर प्रतिक्रिया/फीडबैक ग्रहण करते हुए कार्यक्रमों को डिज़ाइन करने की आवश्यकता है।
- एक रोज़गार योग्यता स्कोरकार्ड छात्रों को एक सूचित निर्णय लेने में मदद करने हेतु दीर्घकालिक योगदान दे सकता है। इसका उपयोग विश्वविद्यालयों की निरंतर मान्यता के लिये भी किया जा सकता है।

निष्कर्ष

NEP 2020 ने सामाजिक, नैतिक और भावनात्मक क्षमताओं एवं प्रकृति के साथ-साथ आलोचनात्मक चिंतन एवं समस्या समाधान का संपोषण करने की परिकल्पना की है। इसे साकार करने के लिये एक प्रोत्साहनकारी पारितंत्र की आवश्यकता होगी, जहाँ विश्वविद्यालयों (और छात्रों/संकाय की गतिविधियों) के लिये वृहत वित्तपोषण, स्वायत्तता और सहिष्णुता की स्थिति हो। इसके बिना प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों का विदेश पलायन होता रहेगा और नीति-निर्माता भारत के 'ब्रेन-ड्रेन' का शोक मनाते रहेंगे।

विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन

संदर्भ

विनिर्माण क्षेत्र पर देश द्वारा नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने हेतु वर्ष 2014 में सरकार द्वारा 'मेक इन इंडिया' (Make in India) पहल शुरू की गई। इस क्रम में भारत में विनिर्माण, डिज़ाइन, नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिये कई सुधार किये गए।

- वर्ष 2020 में घोषित 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान भी भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के अपने घोषित लक्ष्य के तहत स्थानीय विनिर्माण को प्रोत्साहन देने का उद्देश्य रखता है।
- भारत के जनसांख्यिकीय लाभांश और सस्ते श्रम बल की उपलब्धता के कारण देश में विनिर्माण क्षेत्र में वृहत संभावनाएँ मौजूद हैं। हालाँकि वृहत निवेश, कार्यबल की अपस्किलिंग और अवसंरचना उन्नयन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ अभी अधिकाधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है।

भारत में विनिर्माण क्षेत्र की स्थिति

- विनिर्माण प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में से एक है जिसमें मूल्य वर्द्धन (Value Addition) शामिल है और जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में विश्व का पाँचवाँ सबसे बड़ा विनिर्माण आधार मौजूद है।
- केंद्रीय श्रम मंत्रालय द्वारा आयोजित तिमाही रोज़गार सर्वेक्षण की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार चयनित नौ क्षेत्रों में सृजित सभी रोज़गार अवसरों में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान लगभग 39% है।
- भारत में 45% से अधिक विनिर्माण उत्पादन MSME क्षेत्र से प्राप्त होता है।
- भारत में विभिन्न कौशल स्तरों पर उपलब्ध मानव पूंजी का विशाल पूल उन फर्मों को एक विशिष्ट प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्रदान करता है जो भारत के भीतर विनिर्माण गतिविधियों का संचालन करते हैं।
- गुज़रते वर्षों में निश्चित रूप से कुछ ऐसे क्षेत्र उभरे हैं जहाँ भारत ने विनिर्माण में नेतृत्वकारी स्थिति प्राप्त कर ली है, जैसे परिधान एवं सहायक साज-सज्जा, वस्त्र, ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स, पेट्रोलियम उत्पादों और मोटर वाहन।
- हालाँकि सेवाओं के निर्यात में भारत की सफलता जैसी उपलब्धि विनिर्माण क्षेत्र में पाने के लिये भारत को अभी लंबी यात्रा तय करनी है।

भारत में विनिर्माण के प्रोत्साहन के लिये उठाए गए कदम

- अवसंरचना विकास परियोजनाएँ: उदाहरण के लिये, 'संपूर्ण सरकार दृष्टिकोण' (Whole-of-Government Approach) पर निर्मित राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (National Infrastructure Pipeline- NIP) पहले से ही मौजूद है जो वित्त वर्ष 2019-20 से 2024-25 को कवर करती है।

- 'इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड' पर उपलब्ध आँकड़े बताते हैं कि 5 मई, 2022 तक की स्थिति के अनुसार कुल 15,454 परियोजनाएँ उपलब्ध हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 1,981.83 बिलियन डॉलर है।
- मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी के साथ 'प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर' वाले औद्योगिक स्मार्ट शहरों के एकीकृत विकास को सुविधाजनक बनाने के लिये राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम (National Industrial Corridor Development Programme) लॉन्च किया गया था।
- इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रों के लिये वर्ष 2020 से कई उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजनाओं की घोषणा की गई है, जो 'आत्मनिर्भर भारत' बनाने के लक्ष्य के साथ विनिर्माण को प्रोत्साहित करते हैं।
- वेयरहाउस मैन्युफैक्चरिंग (Warehouses Manufacturing): केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने बॉन्डेड वेयरहाउसों (bonded warehouses) में विनिर्माण और अन्य कार्यों पर केंद्रित कार्यक्रम का एक नया एवं बेहतर संस्करण प्रस्तुत किया है।
- 'वेयरहाउस मैन्युफैक्चरिंग' से कार्यशील पूंजी की बचत होती है, जो आमतौर पर छोटे उद्यमों के मामले में दुर्लभ होती है और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में वितरण कार्यक्रम को संक्षिप्त कर अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में MSMEs को बेहतर स्थिति प्राप्त करने में मदद करती है।
- संगठनों को प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु CBIC द्वारा 'बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम' (Bonded Manufacturing Scheme) को नया रूप दिया गया है।
- सीमा शुल्क नियम: भारत के भीतर घरेलू विनिर्माण को सीमा शुल्क (शुल्क की रियायती दर पर माल का आयात) नियम जैसे वैधानिक उपायों के माध्यम से भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसे समय-समय पर उद्योग और व्यापार की गतिशील आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संशोधित किया गया है।

'बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम'

- 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का समर्थन करने के लिये CBIC ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत बॉन्डेड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम शुरू की है।
- इस कार्यक्रम के अंतर्गत कोई विनिर्माण इकाई बिना किसी ब्याज देयता के सीमा शुल्क आस्थगन (Customs duty deferment) के तहत माल (इनपुट और पूंजीगत सामान दोनों) का आयात कर सकती है।
- इस योजना में कोई निवेश सीमा और निर्यात दायित्व नहीं है।
- यदि बॉन्डेड वेयरहाउसों में किये गए ऐसे विनिर्माण कार्यों के परिणामस्वरूप माल का निर्यात किया जाता है तो शुल्क पूरी तरह से हटा दिया जाता है।
- आयात शुल्क केवल उस स्थिति में देय होता है जहाँ तैयार माल या आयातित माल घरेलू बाज़ार में अनुमति पाता है (एक्स-बॉन्डिंग)।
- बॉन्डेड विनिर्माण कार्यक्रम की ऑनबोर्डिंग पूरी तरह से डिजिटल है और इसके लिये माइक्रोसाइट 'इन्वेस्ट इंडिया' पोर्टल पर उपलब्ध है।

विनिर्माण क्षेत्र के समक्ष विद्यमान चुनौतियाँ:

- प्रमाणित कारखानों की कमी: दुनिया भर के निगम ISO या BSI प्रमाणित कारखानों से वस्तु खरीदना पसंद करते हैं।
- चीन में अधिकांश कारखाने ISO या BSI प्रमाणित हैं, लेकिन भारत के कारखानों की यह स्थिति नहीं है। उनमें से अधिकांश किसी भी बुनियादी निरीक्षण मानकों को पूरा नहीं करते हैं।
- इस तरह के व्यावहारिक मुद्दे गंभीर अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को भारत को सोर्सिंग गंतव्य के रूप में देखने से हतोत्साहित करने के लिये पर्याप्त हैं।
- अविकसित विनिर्माण क्षेत्र: जबकि पड़ोसी के साथ-साथ प्रतिस्पर्द्धी देश चीन वर्तमान में एक 10-वर्षीय रूपांतरणकारी अभियान 'मेड इन चाइना 2025' के मध्य में है और श्रम-गहन विनिर्माण से परे रोबोटिक्स एवं एरोस्पेस जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, भारत अभी भी पुरानी सोच और ढर्रे पर आधारित श्रम-गहन विनिर्माण को अपनी ऐसी अर्थव्यवस्था में लाने का लक्ष्य बना रहा है, जहाँ लाखों नए रोज़गार सृजित करने की सख्त ज़रूरत है।
- यह छोटा सा लक्ष्य भी पिछले दो वर्षों में लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुआ है।

नोट :

- कमज़ोर अवसंरचना: भारत की कमज़ोर अवसंरचना विनिर्माण क्षेत्र के लिये एक प्रभावपूर्ण दोष बनी हुई है।
- भारत हर साल अवसंरचना निर्माण के लिये अपने सकल घरेलू उत्पाद का केवल 3% उपयोग करता है (चीन के सकल घरेलू उत्पाद के 20% की तुलना में)।
- आज भी भारत की भूतल परिवहन प्रणालियाँ आधुनिक हाई-स्पीड लॉजिस्टिक्स (जो कुशल विनिर्माण की रीढ़ है) की अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर सकती हैं।
- अपर्याप्त बिजली आपूर्ति: बाधित और अनिश्चित बिजली आपूर्ति एक और दोष है जो देश के विनिर्माताओं को विशेष हानि की स्थिति में रखती है।
- भारत का वार्षिक बिजली अंतराल 10% से अधिक है और यहाँ विश्व में सबसे कम प्रति व्यक्ति बिजली खपत में से एक की स्थिति है।
- योजनाओं की भरमार: इन घोषणाओं में दो प्रमुख कमियाँ थीं-
- सर्वप्रथम, विनिर्माण संबंधी योजनाओं में से अधिकांश निवेश के लिये विदेशी पूंजी और उत्पादन के लिये वैश्विक बाज़ारों तक पहुँच पर बहुत अधिक निर्भर रहे हैं।
- इसने एक अंतर्निहित अनिश्चितता उत्पन्न की, क्योंकि घरेलू उत्पादन की योजना कहीं और मांग एवं आपूर्ति की स्थिति के अनुसार बनाई जानी थी।
- दूसरा, नीति-निर्माताओं ने अर्थव्यवस्था में तीसरे घाटे की उपेक्षा की जो कि कार्यान्वयन है।

भारत में विनिर्माण के प्रोत्साहन के लिये किये जा सकने वाले उपाय

- अवसंरचना में निवेश: वृहत अवसंरचना निवेश पर अधिकाधिक ध्यान केंद्रित करते हुए विनिर्माण का समर्थन करने के लिये एक बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिये क्योंकि यह स्वयं ही विकास के वृहत अवसर उत्पन्न करेगा।
- अनुसंधान से पता चला है कि दृढ़ अवसंरचना में निवेश से विनिर्माण की रसद लागत में भी कमी आती है।
- नीतिगत हस्तक्षेप: भारत की विनिर्माण रणनीति का एक अंतिम वैचारिक खंड यह होना चाहिये कि नीतियों का ऐसा रूपाकार हो जो श्रमिकों के कौशल की वृद्धि करता हो और फर्मों के लिये वित्त तक पहुँच को बेहतर बनाता हो।
- फर्मों की वित्त तक अधिकाधिक पहुँच अर्थव्यवस्था में एक सामान्य आवश्यकता है, लेकिन निर्माण फर्मों को निश्चित पूंजी निवेश की आवश्यकता होने की अधिक संभावना रहती है, जबकि विस्तार, उन्नयन या कार्यशील पूंजी के लिये पर्याप्त वित्त की कमी से वे अधिक आघात पाते हैं।
- विवेकपूर्ण आयात नीति: आयात नीति के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से देश के भीतर उत्पादन को नियंत्रित किया जा सकता है ताकि अर्थव्यवस्था में अधिक से अधिक रोजगार पैदा करने के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके।
- अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में निर्यात (सीमा शुल्क के समर्थन के साथ) को देश के भीतर विनिर्माण क्षमता से उत्पन्न घरेलू अधिशेष से भी बढ़ाया जा सकता है।
- 'पॉलिसी कैजुअलनेस' को खत्म करना: कार्यान्वित कर सकने की तैयारी के बिना ही नीति घोषणाओं का सिलसिला 'पॉलिसी कैजुअलनेस' या नीति-अनौपचारिकता का परिदृश्य बनाता है। सरकार को अपने निर्णयों में कार्यान्वयन घाटे के निहितार्थों को भी ध्यान में रखना होगा।
- सुदृढ़ और सावधानीपूर्वक तैयार किये गए नीति कार्यान्वयन से भारत के समग्र निवेश माहौल में सुधार आएगा, जिससे निवेश, रोज़गार अवसरों और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- स्थिर बिजली आपूर्ति: उद्योगों के विकास को बढ़ावा देने के लिये स्थिर, कम लागतपूर्ण और निर्बाध बिजली की आपूर्ति महत्त्वपूर्ण है।
- यद्यपि बिजली की उपलब्धता में काफी हद तक सुधार हुआ है, लेकिन भारत को विनिर्माण विकास के लाभों को प्राप्त करने के लिये औद्योगिक स्तर पर इसे जल्द से जल्द सुनिश्चित करना चाहिये।
- राज्य विशिष्ट योजनाएँ: वर्तमान में विनिर्माण मुख्य रूप से महाराष्ट्र और गुजरात जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को कवर करते हैं।
- आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भी वृहत भूमि क्षेत्र उपलब्ध हैं जो भारतीय विनिर्माण की सफलता की कहानियों में योगदान कर सकते हैं।

- इन राज्यों में निम्न विनिर्माण गतिविधि के कारणों की सावधानीपूर्वक जाँच की जानी चाहिये और इसके आधार पर केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय रूप से समर्थन देते हुए राज्य विशिष्ट औद्योगीकरण रणनीतियों को मिशन मोड में तैयार और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।
- कौशल प्रदान करना: स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षण की गुणवत्ता में सुधार किया जाना चाहिये। शिक्षा प्रणाली के भीतर उच्च गुणवत्तापूर्ण व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये।
- भारत की श्रम उत्पादकता पिछले दशक में बढ़ी है, लेकिन चीन की तुलना में यह कम है। वैश्विक बाज़ार में प्रतिस्पर्धा के लिये इसे संबोधित किया जाना चाहिये। नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की शुरूआत एक स्वागतयोग्य कदम है।

बढ़ती मुद्रास्फीति

संदर्भ

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो दर को 40 आधार अंक और नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को 50 आधार अंक तक बढ़ाने की हालिया कार्रवाई देश में मुद्रास्फीति की गंभीर स्थिति की पहचान करती है और इसे दूर करने का संकल्प व्यक्त करती है।

- लगभग सभी देशों में मुद्रास्फीति चिंताजनक स्तर पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थिति सबसे खराब है जहाँ उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति (Consumer Price Inflation) 8.56% के स्तर पर पहुँच गई है जैसा पिछले कई दशकों से नहीं हुआ था। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति95% के स्तर पर थी (मार्च 2022 की स्थिति)। आगामी माहों में इसके और बढ़ने का अनुमान किया गया है।
- दूसरी ओर, थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति अप्रैल 2021 से दोहरे अंकों में बनी रही है। वर्ष 2021-22 के लिये जीडीपी अंतर्निहित मूल्य अपस्फीतिकारक आधारित मुद्रास्फीति दर (GDP Implicit Price Deflator-based Inflation Rate) 9.6% है।
- इस संदर्भ में मुद्रास्फीति की समस्या और इसे नियंत्रित करने के लिये किये जा सकने वाले उपायों पर विचार करना आवश्यक है।

भारत में हाल ही में बढ़ती मुद्रास्फीति के कारण क्या हैं?

- भारत में मुद्रास्फीति को केवल लागत-प्रेरित (Cost-Push) नहीं माना जा सकता। तरलता (liquidity) की प्रचुरता भी एक महत्त्वपूर्ण कारक है।
- अप्रैल के मौद्रिक नीति वक्तव्य में5 लाख करोड़ रुपए तक के 'लिक्विडिटी ओवरहैंग' की बात कही गई थी ।
- एक सीमा से आगे मुद्रास्फीति स्वयं विकास के लिये बाधक बन सकती है। बचत पर ब्याज की ऋणात्मक वास्तविक दरें वृद्धि के अनुकूल नहीं होती हैं। यदि हम मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना चाहते हैं तो जमा और ऋण पर ब्याज दर में सहवर्ती वृद्धि के साथ तरलता पर कार्रवाई करना बेहद आवश्यक है।
- मार्च 2022 में मुद्रास्फीति की उच्च दर मुख्य रूप से कच्चे पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, मूल धातुओं आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण थी जो रूस-यूक्रेन संघर्ष से वैश्विक आपूर्ति शृंखला में आए व्यवधान से प्रेरित थी।
- दूसरी ओर, खुदरा मुद्रास्फीति मुख्य रूप से 'तेल एवं वसा', सब्जियों और 'मांस एवं मछली' (प्रोटीन-समृद्ध उत्पादों) जैसे आवश्यक खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि के कारण बढ़ी।
- CPI आँकड़े के अनुसार, मार्च माह में 'तेल एवं वसा' में मुद्रास्फीति बढ़कर79% हो गई क्योंकि रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण उत्पन्न भू-राजनीतिक संकट ने खाद्य तेल की कीमतों को उच्च कर दिया।
- यूक्रेन सूरजमुखी तेल का प्रमुख निर्यातक है। सब्जियों के मामले में मुद्रास्फीति मार्च में बढ़कर64 प्रतिशत हो गई, जबकि 'मांस एवं मछली' उत्पादों के मामले में फ़रवरी 2022 की तुलना में मूल्य वृद्धि की दर 9.63 रही।
- दुनिया भर में पण्य/कमोडिटी की कीमतों में तेज़ वृद्धि भारत में मुद्रास्फीति की वृद्धि का एक प्रमुख कारण है। यह कुछ महत्त्वपूर्ण उपभोग्य सामग्रियों के लिये आयात लागत में वृद्धि कर रहा है, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ती जा रही है।

नोट :

रेपो रेट और CRR

- रेपो रेट RBI द्वारा तब लिया जाने वाला ब्याज है जब वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को अपनी प्रतिभूतियों को बेचकर उनसे उधार लेते हैं। अनिवार्यत: यह RBI द्वारा तब वसूला जाने वाला ब्याज है जब बैंक उनसे उधार लेते हैं, ठीक वैसे ही जैसे वाणिज्यिक बैंक हमसे कार ऋण या गृह ऋण के लिये ब्याज लेते हैं।
- नकद आरक्षित अनुपात (CRR) के अंतर्गत वाणिज्यिक बैंकों को केंद्रीय बैंक के पास जमा राशि की एक निश्चित न्यूनतम राशि आरक्षित रखनी होती है। बैंक की कुल जमाराशियों के मुकाबले भंडार में रखे जाने के लिये आवश्यक नकदी का प्रतिशत नकद आरक्षित अनुपात कहलाता है।

भारत में उच्च मुद्रास्फीति का प्रभाव

- रेपो दर:
- इससे अपेक्षा रहती है कि बैंकिंग प्रणाली में ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी। घर, वाहन और अन्य व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट ऋणों पर मासिक किस्त (EMIs) बढ़ने की संभावना रहती है।
- जमा दरों, मुख्य रूप से निश्चित अवधि की दरों में भी वृद्धि होना तय होता है।
- रेपो रेट में बढ़ोतरी से खपत और मांग पर असर पड़ सकता है।

CRR:

- CRR में बढ़ोतरी से बैंकिंग प्रणाली से 87 हज़ार करोड़ रुपये का नुकसान होगा। बैंकों के उधार देने योग्य संसाधन तदनुसार कम हो जाएँगे।
- इसका अर्थ यह भी है कि फंड की लागत बढ़ जाएगी और बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन (Net interest margin- NIM) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- NIM एक बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा अर्जित ब्याज आय और अपने उधारदाताओं (उदाहरण के लिये, जमाकर्त्ताओं) को भुगतान किये जाने वाले ब्याज के बीच के अंतर की माप है जो ब्याज अर्जित करने वाली उनकी परिसंपत्ति के मान के सापेक्ष है।

बढ़ती मुद्रास्फीति से निपटने में चुनौतियाँ

- मौजूदा परिदृश्य में यह तर्क दिया जाता है कि यदि कच्चे तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी का कुछ हिस्सा सरकार वहन कर लेती है तो मुद्रास्फीति कम हो जाएगी। पेट्रोलियम उत्पादों पर शुल्क कम करने का एक सरल कारण यह हो सकता है कि आबादी के एक हिस्से को अत्यधिक बोझ से बचाया जाए। खाद्य कीमतों के मामले में भी यही दृष्टिकोण लागू होता है।
- लेकिन यह मानना गलत होगा कि यह कोई जादू की छड़ी है जिससे मुद्रास्फीति को टाला जा सकता है। यदि सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले अतिरिक्त बोझ (राजस्व की हानि के माध्यम से) को व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित नहीं किया जाता है तो समग्र घाटा और बढ़ जाएगा।
- उधार कार्यक्रम में वृद्धि होगी और अतिरिक्त तरलता सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है।
- केंद्रीय बैंक ब्याज दरों का आदेश नहीं दे सकते। ब्याज दर में वृद्धि को रोकने के लिये तरलता को कम करने हेतु उचित कार्रवाई की जानी चाहिये। CRR में वृद्धि से इसी उद्देश्य की पूर्ति होगी। CRR में वृद्धि के अभाव में खुले बाज़ार परिचालनों को तरलता को सोखना होगा।
- RBI गवर्नर ने अपने बयान में कहा भी था कि ''तरलता की स्थिति को नीतिगत कार्रवाई और रुख के अनुरूप संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि शेष अर्थव्यवस्था में उनका पूर्ण और कुशल संचरण सुनिश्चित हो सके।''

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिये क्या किया जा सकता है?

- ईंधन शुल्क में कटौती:
- विशेषज्ञों के अनुसार शुल्क में कम से कम 5 रुपये प्रति लीटर की कटौती की जानी चाहिये।
- यह मुद्रास्फीति को 15-20 bps तक कम कर सकता है।
- इसका बिजली, परिवहन लागत पर तत्काल और द्वितीयक प्रभाव पड़ेगा।
- तेल (इंडियन बास्केट) में 1% की वृद्धि WPI को 8 bps तक बढ़ा सकती है।

- खाद्य कीमतें:
- जमाखोरी की स्थिति में आपूर्ति पक्ष पर कार्रवाई की जानी चाहिये
- दलहन, तिलहन पर आयात सीमा को सरल किया जाना चाहिये
- शुल्क में और कटौती:
- खाद्य तेल आयात के लिये शुल्क में और कटौती की आवश्यकता है। हालाँकि इसे25% से घटाकर 13.75% कर दिया गया था।
- बफर स्टॉक:
- यदि मुद्रास्फीति का विस्तार खाद्यान्न तक होता है तो बफर स्टॉक का उपयोग करने के लिये तैयार रहना चाहिये
- WPI प्राथमिक खाद्य कीमतों में 1% की वृद्धि से CPI 48 bps तक बढ़ सकती है
- अन्य उपाय:
- तेज़ विकास पर बल: 10% अधिक औद्योगिक उत्पादन खुदरा मुद्रास्फीति को 40 bps तक कम कर सकता है
- आपूर्ति बाधाओं को संबोधित करना
- निम्न आय परिवारों पर बोझ कम करने के लिये आय सृजन क्षमता को बढ़ावा देना

ग्रीष्म लहर से निपटने हेतु उपाय

संदर्भ

भारत लगातार जारी ग्रीष्म लहरों (Heat Waves) के चपेट में है। अप्रैल 2022 में उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में तापमान पिछले 122 वर्षों में सर्वाधिक उच्च स्तर पर दर्ज किया गया।

- ग्रीष्म लहर भारत के लिये कोई नई परिघटना नहीं है, लेकिन इस वर्ष उल्लेखनीय यह है कि उसका समयपूर्व आगमन हुआ है और देश के उत्तर-पश्चिमी से दक्षिण-पूर्वी हिस्सों तक उसका व्यापक स्थानिक प्रसार रहा है।
- यह उपयुक्त समय है कि देश को ग्रीष्म लहरों और संबद्ध चरम मौसमी घटनाओं से निपटने के लिये ठोस योजनाओं का निर्माण करना चाहिये। ग्रीष्म लहरों के जानलेवा प्रभावों को कम करने के लिये पूर्व-चेतावनी प्रणाली, हीट-प्रूफ शेल्टर और व्यापक रूप से वृक्षारोपण महत्त्वपूर्ण है।

ग्रीष्म लहरें क्या हैं और इसकी उत्पत्ति के क्या कारण हैं?

- ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है जो भारत के उत्तर-पश्चिमी और दक्षिण-मध्य भागों में ग्रीष्मकाल के दौरान उत्पन्न होती है। यह वायु के तापमान की वह स्थिति है जिसके संपर्क में आना मानव शरीर के लिये घातक हो जाता है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department- IMD) उस स्थिति को ग्रीष्म लहर के रूप में वर्गीकृत करता है जब मैदानी इलाकों में तापमान कम से कम 40°C (और पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम 30°C) तक पहुँच जाए और यह सामान्य तापमान से कम से कम 5-6°C की वृद्धि को इंगित करता हो।
- भीषण गर्मी का आसन्न कारण वर्षा-युक्त पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbances) या उष्णकटिबंधीय तूफान की अनुपस्थिति है जो उत्तर भारत में भूमध्यसागर से वर्षा लाते हैं।
- भारत में पहले से ही गर्म शहरों में ग्लोबल वार्मिंग और जनसंख्या वृद्धि का संयोजन बढ़ते हुए 'हीट एक्सपोज़र' का प्राथमिक चालक है।
- 'अर्बन हीट आइलैंड' (UHI) शहरों के भीतर भी तापमान की वृद्धि करता है, जिसकी त्वरा ग्रीष्म लहरों के दौरान और बढ़ जाती है।
- यह स्थिति तब बनती है जब जब शहर प्राकृतिक भूमि आवरण को फुटपाथ, इमारतों और अन्य ठोस सतहों के घने सांद्रता से प्रतिस्थापित कर देते हैं जो गर्मी को अवशोषित करते हैं और देर तक बनाए रखते हैं।

भारत में ग्रीष्म लहरों की तीव्रता कितनी बढ़ गई है?

- मई-जून के माह में भारत में ग्रीष्म लहरों की उपस्थिति एक सामान्य घटना है, लेकिन देश के कई हिस्सों में धीरे-धीरे बढ़ते अधिकतम तापमान के कारण वर्ष 2022 में ग्रीष्म लहरों की समय-पूर्व उत्पत्ति की स्थिति बनी।

- IMD के अनुसार भारत में ग्रीष्म लहर दिवसों (heatwave days) की संख्या वर्ष 1981-1990 के 413 से बढ़कर वर्ष 2011-2020 में 600 हो गई है।
- ग्रीष्म लहर दिवसों की संख्या में यह तेज़ वृद्धि जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव के कारण घटित हुई है।
- ग्रीष्म लहरों के कारण जान गँवाने वाले लोगों की संख्या भी वर्ष 1981-1990 में 5,457 से बढ़कर वर्ष 2011-2020 में 11,555 हो गई है। वर्ष 1967 से अब तक पूरे भारत में ग्रीष्म लहरों के कारण 39,815 लोगों की मौत हो चुकी है।

ग्रीष्म लहरों की तीव्रता का राज्य-विशिष्ट परिदृश्य

- भू-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के कारण सबसे अधिक मौतें उत्तर प्रदेश (6,745) में हुई हैं; इसके बाद आंध्र प्रदेश (5,088), बिहार (3,364), महाराष्ट्र (2,974), पंजाब (2,720), मध्य प्रदेश (2,607), पश्चिम बंगाल (2,570), ओडिशा (2,406), गुजरात (2,049), राजस्थान (1,951), तमिलनाडु (1,443), हरियाणा (1,116), तेलंगाना (1,067), दिल्ली (996), झारखंड (855), कर्नाटक (560), असम (348) आदि राज्यों का स्थान है, जबकि शेष 12 राज्यों में 954 लोग मौत के शिकार हुए।
- महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस साल भीषण गर्मी ने राज्य में 25 लोगों की जान ले ली है।

ये ग्रीष्म लहरें कितनी हानिकारक हैं ?

- मानव मृत्यु दर: बढ़ते तापमान, जन जागरूकता कार्यक्रमों की कमी और अपर्याप्त दीर्घकालिक शमन उपायों के कारण ग्रीष्म लहरों से मृत्यु की स्थिति बनती है।
- टाटा सेंटर फॉर डेवलपमेंट और शिकागो विश्वविद्यालय की वर्ष 2019 की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2100 तक जलवायु परिवर्तन से प्रेरित अत्यधिक ताप के कारण सालाना5 मिलियन से अधिक लोगों के मरने की संभावना होगी।
- बढ़ी हुई गर्मी से मधुमेह और परिसंचरण एवं श्वसन संबंधी रोगों के साथ ही मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं में वृद्धि होगी।
- अर्थव्यवस्था पर प्रभाव: ग्रीष्म लहरों की लगातार घटनाएँ अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं। उदाहरण के लिये, कार्य दिवसों के नुकसान के कारण गरीब और सीमांत किसानों की आजीविका नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। ग्रीष्म लहरों का इन श्रमिकों की उत्पादकता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है।
- वर्ष 2019 की ILO रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 1995 में 'हीट स्ट्रेस' (heat stress) के कारण लगभग3% कार्य घंटे गंवाए थे और वर्ष 2030 में इससे 5.8% कार्य घंटे गंवा देने की संभावना है।
- रिपोर्ट में बताया गया है कि वर्ष 2030 में हीट स्ट्रेस के कारण कृषि और निर्माण क्षेत्र दोनों में से प्रत्येक में04% कार्य घंटों का नुकसान हो सकता है।
- फसल की क्षति और खाद्य असुरक्षा: अत्यधिक गर्मी और सूखे की घटनाओं से फसल उत्पादन का नुकसान हो रहा है और वृक्ष सूख रहे हैं।
- चरम गर्मी से प्रेरित श्रम उत्पादकता हानि से खाद्य उत्पादन को अचानक लगने वाले झटके से स्वास्थ्य एवं खाद्य उत्पादन के लिये जोखिम और अधिक गंभीर हो जाएँगे।
- ये परस्पर प्रभाव खाद्य कीमतों में वृद्धि करेंगे, घरेलू आय को कम कर देंगे और विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कुपोषण और जलवायु संबंधी मौतों को बढ़ावा देंगे।
- श्रमिकों पर प्रभाव: वर्ष 2030 में कृषि और निर्माण जैसे क्षेत्रों से संलग्न श्रमिक गंभीर रूप से प्रभावित होंगे क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी अपनी आजीविका के लिये इन क्षेत्रों पर निर्भर है।
- भारत के लिये इस पर विचार करना भी उचित होगा कि अनिश्चित श्रम बाज़ार स्थिति वाले देशों और क्षेत्रों को इस तरह की चरम गर्मी के साथ उच्च उत्पादकता हानियों का सामना करना पड़ सकता है।
- समग्र रूप से भारत में हीट स्ट्रेस के कारण वर्ष 2030 में लगभग 34 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों का नुकसान हो सकता है।
- कमज़ोर वर्गों पर विशेष प्रभाव: जलवायु विज्ञान समुदाय ने वृहत साक्ष्यों के साथ दावा किया है कि ग्रीनहाउस गैसों और एरोसोल के उत्सर्जन में वैश्विक स्तर पर उल्लेखनीय कटौती नहीं की जाएगी तो ग्रीष्म लहर जैसी चरम घटनाओं के भविष्य में और अधिक तीव्र, आवर्ती और दीर्घावधिक होने की ही संभावना है।

नोट :

- यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि भारत में ग्रीष्म लहर की घटनाओं (जैसी स्थिति अभी है) में हज़ारों कमज़ोर और गरीब लोगों को प्रभावित करने की क्षमता है, जबकि जलवायु संकट में उन्होंने सबसे कम योगदान किया है।

ग्रीष्म लहर प्रभाव शमन रणनीति के मामले में भारत की स्थिति

- ऐसी आपदाओं से निपटने के लिये वर्ष 2015 से पहले कोई राष्ट्रस्तरीय 'हीटवेव एक्शन प्लान' मौजूद नहीं था।
- क्षेत्रीय स्तर पर अहमदाबाद नगर निगम (AMC) ने वर्ष 2010 में विनाशकारी ग्रीष्म लहरों से हुई मौतों के बाद वर्ष 2013 में पहला हीट एक्शन प्लान तैयार किया था।
- वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) ने ग्रीष्म लहरों के प्रभाव को कम करने हेतु राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख रणनीति तैयार करने के लिये व्यापक दिशानिर्देश जारी किये थे।
- हालाँकि चरम मौसम संबंधी आघातों के शमन और उनके प्रति अनुकूलन के लिये कुछ निवारक उपाय किये गए हैं, लेकिन इस तरह की पहलें ग्रीष्म लहरों से लोगों की मौतों को रोकने के लिये अपर्याप्त ही साबित हुई हैं क्योंकि निवारक उपायों, शमन और तैयारी कार्यों को लागू करना जटिल बना हुआ है।

ग्रीष्म लहरों के प्रभावों को कम करने के लिये भारत को कौन-सी दीर्घकालिक रणनीतियाँ अपनाने की आवश्यकता है?

- 'हीटवेव एक्शन प्लान': ग्रीष्म लहरों के प्रतिकूल प्रभाव से संकेत मिलता है कि 'हीटवेव ज़ोन' में ग्रीष्म लहरों के प्रभाव को कम करने हेतु प्रभावी आपदा अनुकूलन रणनीतियों और अधिक सुदृढ़ आपदा प्रबंधन नीतियों की आवश्यकता है।
- चूँकि ग्रीष्म लहरों के कारण होने वाली मौतों को रोका जा सकता है, इसलिये सरकार को मानव जीवन, पशुधन और वन्यजीवों की सुरक्षा के लिये दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करने को प्राथमिकता देनी चाहिये।
- समय की आवश्यकता है कि 'आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिये सेंडाई फ्रेमवर्क 2015-30' (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-30) का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए जिसमें राज्य प्रमुख भूमिका निभाए और अन्य हितधारकों के साथ ज़िम्मेदारी साझा करे।
- पूर्व-चेतावनी प्रणाली: बेहतर पूर्व-चेतावनी प्रणाली की स्थापना के साथ ग्रीष्म लहरों से होने वाली मौतों को रोका जा सकता है। यह प्रणाली ग्रीष्म लहर संबंधी खतरों की सूचना देने, विभिन्न निवारक उपायों की सिफारिश करने और आपदा प्रभावों को कम करने की दिशा में उल्लेखनीय योगदान कर सकती है।
- प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से जन जागरूकता के प्रसार, ग्रीष्मकाल के दौरान हीट-प्रूफ आश्रय सुविधाएँ उपलब्ध कराने, सार्वजनिक पेयजल तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने और शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक वनीकरण से ग्रीष्म लहर से होने वाली मौतों को कम करने में मदद मिलेगी।
- ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा घोषित करना: ग्रीष्म लहर को प्रमुख आपदा घोषित करना समय की मांग है। भारत को जन जागरूकता के निर्माण में, विशेष रूप से व्यक्तियों और स्थानीय समुदाय द्वारा स्वयं की देखभाल कर सकने के संदर्भ में, अभी भी लंबा रास्ता तय करना है।
- इसके अलावा, स्कूलों में गर्मी छुट्टी की घोषणा अथवा घरों में आवश्यक शीतलन हेतु प्रबंधों अथवा घर से बाहर रह सकने (यदि बाहर रहना अपरिहार्य ही हो) की अधिकतम समय सीमा आदि के बारे में स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है।
- स्थानीय स्तर पर तैयारी: ग्रीष्म लहर बाढ़ के बाद भारत की दूसरी सबसे घातक आपदा है। ग्रीष्म लहर को प्राकृतिक आपदा घोषित किये जाने से राज्य और ज़िला प्रशासन को क्षेत्रीय स्तर पर हीटवेव एक्शन प्लान तैयार करने में मदद मिलेगी।
- यह प्रत्यास्थी अवसंरचना के निर्माण, पूर्व-चेतावनी अवसंरचना के विकास और जन जागरूकता के सृजन में सहायता करेगा।
- ग्रीष्म लहर के कारण मौत का शिकार हुए लोगों के संबंध में आयु, लिंग और व्यवसाय के आधार पर ज़िला-स्तरीय डेटाबेस तैयार करना भी महत्त्वपूर्ण है।
- UHIs को कम करने के लिये 'पैसिव कूलिंग': पैसिव कूलिंग प्रौद्योगिकी—जो प्राकृतिक रूप से हवादार इमारतों के निर्माण में व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति है, आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के लिये अर्बन हीट आइलैंड की समस्या को संबोधित करने हेतु एक बेहद उपयोगी विकल्प हो सकती है।
- IPCC की AR6 रिपोर्ट में प्राचीन भारतीय भवन डिज़ाइनों का हवाला दिया गया है जहाँ इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया गया है। इसे ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में आधुनिक भवनों के अनुकूल बनाया जा सकता है।

नोट :

- 'डार्क रूफ्स' को प्रतिस्थापित करना: ग्रामीण इलाकों की तुलना में शहरों के अत्यधिक गर्म होने का एक बड़ा कारण यह भी है कि वे गहरे रंग की छतों, सड़कों और पार्किंग स्थलों से ढके हुए हैं जो गर्मी को अवशोषित करते हैं और उन्हें देर तक बनाए रखते हैं।
- दीर्घकालिक समाधानों में से एक यह होगा कि गहरे रंग की इन सतहों को हल्के रंग के और अधिक हल्का और परावर्तक सामग्री से प्रतिस्थापित किया जाए; यह अपेक्षाकृत शीतल वातावरण का निर्माण करेगा।

कृषि पर्यटन

संदर्भ

संवहनीय व्यवसायों और विकास प्रतिमान में तीन कारक अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं—'प्लेनेट' यानी हमारी पृथ्वी, 'पीपुल' यानी लोग और 'प्रॉफिट' यानी कारोबारी मुनाफा। संवहनीयता के लिये कृषि और ग्रामीण पारितंत्र सेवाएँ, विशेष रूप से कृषि-पर्यटन (Agri-Tourism) अधिक मूल्यह्रास या मूल्य क्षरण के बिना 'ग्रीनफील्ड' (वाणिज्यिक विकास या दोहन के लिये अभी तक अप्रयुक्त या अविकसित स्थल/क्षेत्र) बनी हुई हैं।

- कृषि-पर्यटन, जो पहले एक छोटा क्षेत्र रहा था, अब तेज़ी से विस्तार कर रहा है और इसे पर्यटन मंत्रालय की ओर से वृहत प्रोत्साहन मिल रहा है। कृषि-पर्यटन के फलने-फूलने के लिये एक सक्षम वातावरण की आवश्यकता है और यह पर्यटन उद्योग में कम से कम 15-20% हिस्सेदारी रखता है।

कृषि-पर्यटन क्या है ?

- कृषि-पर्यटन को वाणिज्यिक उद्यम के एक प्रकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो कृषि उत्पादन और/या प्रसंस्करण को पर्यटन के साथ जोड़ता है, जहाँ आगंतुकों को मनोरंजन देने और/या शिक्षित करने के उद्देश्य से एक फार्म, रैंच या अन्य कृषि व्यवसाय स्थलों की ओर आकर्षित किया जाता है और इस प्रकार आय का सृजन किया जाता है।
- कृषि-पर्यटन को पर्यटन और कृषि का चौराहा कहा जा सकता है।
- यह एक गैर-शहरी आतिथ्य उत्पाद (Non-Urban Hospitality Product) है जो प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के साथ कृषि जीवन शैली, संस्कृति और विरासत की पूर्ति करता है। कृषि-पर्यटन ने पर्यटन उद्योग में पर्याप्त आकर्षण प्राप्त किया है।

कृषि-पर्यटन उद्योग का विकास दर परिदृश्य

- कृषि-पर्यटन पर्यटन उद्योग का एक अलग और उभरता हुआ बाज़ार खंड है। वर्ष 2019 में वैश्विक स्तर पर कृषि-पर्यटन बाज़ार का मूल्य46 बिलियन डॉलर था और वर्ष 2020-27 के बीच 13.4% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) के साथ वर्ष 2027 तक इसके 62.98 बिलियन डॉलर तक पहुँच जाने की उम्मीद है।
- भारत में कृषि-पर्यटन की नींव सर्वप्रथम महाराष्ट्र के बारामती में स्थित कृषि पर्यटन विकास निगम (Agri Tourism Development Corporation- ATDC) एटीडीसी) के गठन के साथ पड़ी थी।
- ATDC की स्थापना वर्ष 2004 में कृषक समुदाय के एक उद्यमी पांडुरंग तवारे ने की थी।
- वर्तमान में कृषि-पर्यटन से भारत का राजस्व 20% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है।

कृषि-पर्यटन का महत्त्व क्यों बढ़ रहा है ?

- पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन: जलवायु परिवर्तन की तेज़ गति और पर्यटन प्रेरित प्रदूषण स्तर एवं ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के परिणामस्वरूप पर्यटन आकर्षण के रूप में प्राकृतिक एवं ग्रामीण स्थलों की मांग बढ़ रही है और यह कृषि-पर्यटन जैसे पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन अनुभवों को मुख्यधारा व्यवसाय बना सकता है।
- ग्रामीण 'पतन' को संबोधित करने की क्षमता: बढ़ती हुई इनपुट लागत, अस्थिर रिटर्न, जलवायु प्रतिकूलता, भूमि विखंडन आदि के कारण भारतीय कृषि तनाव में है।
- यद्यपि यह अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है, किसान वैकल्पिक आजीविका और आय विविधीकरण की तलाश में अन्य उद्योगों की ओर पलायन कर रहे हैं।

- कृषि-पर्यटन ग्रामीण पतन के 'होलोइंग आउट इफ़ेक्ट' (Hollowing Out Effect) को दूर कर सकता है और कृषि एवं पारिस्थितिकी तंत्र आधारित सेवाओं में किसानों के भरोसे को पुनर्बहाल कर सकता है।
- किसानों को कई गुना लाभ: कृषि-पर्यटन किसानों के आय समर्थन में मदद करता है।
- यह कृषि के प्रति किसानों के दृष्टिकोण या प्राथमिकताओं को बदलने के लिये एक प्रोत्साहक और एक अवरोधक दोनों के ही रूप में कार्य करता है।
- यह किसानों को उस भूमि का उपयोग करने के लिये प्रोत्साहित करता है जिसे अन्यथा परती या बंजर छोड़ दिया जाएगा।
- इसके विपरीत, यह कृषि-पर्यटन में लगे किसान को उपलब्ध कृषि भूमि के एक हिस्से पर खेती करने से रोकता भी है और खेती के बजाय इसका उपयोग पर्यटन गतिविधियों के लिये करने हेतु प्रोत्साहित करता है।
- समुदायों के लिये लाभ: सामुदायिक दृष्टिकोण से कृषि पर्यटन निम्नलिखित विषयों में एक साधन की तरह कार्य कर सकता है:
- पर्यटकों के माध्यम से स्थानीय व्यवसायों और सेवाओं के लिये अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करना;
- निवासियों और आगंतुकों के लिये सामुदायिक सुविधाओं का उन्नयन/पुनरुद्धार करना;
- पर्यटकों और निवासियों के लिये ग्रामीण भूदृश्य और प्राकृतिक वातावरण की सुरक्षा बढ़ाना;
- स्थानीय परंपराओं, कला और शिल्प को संरक्षित एवं पुनर्जीवित करने में मदद करना;
- अंतर-क्षेत्रीय, अंतर-सांस्कृतिक संचार और समझ को बढ़ावा देना।
- पर्यटन संचालकों के लिये लाभ: पर्यटन उद्योग के दृष्टिकोण से कृषि पर्यटन निम्नलिखित रूप में में योगदान कर सकता है:
- आगंतुकों के लिये उपलब्ध पर्यटन उत्पादों और सेवाओं के मिश्रण में विविधता लाना;
- आकर्षक ग्रामीण क्षेत्रों की ओर पर्यटन प्रवाह की वृद्धि करना;
- परंपरागत रूप से ऑफ-पीक व्यावसायिक अवधि के दौरान पर्यटन मौसम का विस्तार करना;
- प्रमुख पर्यटन बाज़ारों में ग्रामीण क्षेत्रों की विशिष्ट स्थिति का निर्माण;
- स्थानीय व्यवसायों के लिये अधिकाधिक बाह्य मुद्राओं का प्रवेश।

अंतर्निहित चुनौतियाँ

- कृषि से संलग्न किसान कृषि गतिविधियों की अनदेखी कर सकते हैं यदि कृषि-पर्यटन की ओर उनका ध्यान बढ़ जाए और यह उनके लिये आय का अधिक आकर्षक स्रोत बन जाए।
- पर्यटक उन कृषि-पर्यटन केंद्रों का दौरा करना पसंद करते हैं जो आकार में बड़े हों और जहाँ कई मनोरंजक एवं अन्य गतिविधियों का अवसर हो।
- यह कृषि-पर्यटन के मूल उद्देश्य के विपरीत है जो छोटे एवं सीमांत किसानों के समर्थन का लक्ष्य रखता है। वे विभिन्न सुविधाओं और बड़े आकार वाले कृषि-पर्यटन केंद्र की पेशकश कर सकने में अक्षम होते हैं।
- भाषाई चुनौतियों को पर्यटन क्षमता की वृद्धि में एक बाधा पाया गया है।
- पर्यटकों के साथ बातचीत कर सकने के लिये लोगों में हिंदी, अंग्रेजी या यहाँ तक कि स्थानीय बोली में भी उचित प्रवाह की कमी पाई जाती है।
- अपर्याप्त वित्तीय सहायता क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को बाधित कर सकती है, जिससे लोगों को स्थानीय संस्कृति, परंपराओं, विरासत, कला-रूपों आदि को संरक्षित कर सकने में मदद मिलती।
- ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की पूरी अवधारणा ही बेहद देशी है। यद्यपि स्थानीय युवाओं द्वारा आरंभिक प्रयास किये गए हैं, फिर भी व्यावसायिकता की कमी है।
- पर्यटन के दृष्टिकोण से उपयुक्त तरीके से पेश कर सकने के लिये उनके पास उचित प्रशिक्षण का अभाव है।
- कुछ क्षेत्र कृषि-पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होने की व्यापक संभावनाएँ रखते हैं। हालाँकि, व्यवसाय नियोजन कौशल की कमी इस राह एक और बड़ी बाधा है।

कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये क्या किया जा सकता है ?

- नीतिगत ध्यान: कृषि-पर्यटन विकासशील देशों में अधिक नीतिगत ध्यान की आवश्यकता रखता है जहाँ अधिकांश आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है।
- अनिश्चित नकदी प्रवाह, आवर्ती ऋण जाल और अप्रत्याशित जलवायु जैसी सतत प्रतिकूलताओं के साथ कृषि-पर्यटन को किसानों के लिये आय-सृजन गतिविधि के रूप में बढ़ावा दिया जा सकता है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक प्रत्यास्थता को सुदृढ़ किया जा सकता है।
- भूमि संबंधी मामलों को संबोधित करना: कृषि-पर्यटन का समर्थन करने के लिये लघु/अपर्याप्त भूमि के मुद्दे को सरकार द्वारा संबोधित किया जाना महत्त्वपूर्ण है ।
- पर्यटन बाज़ार की आवश्यकता पूर्ति का एक तरीका संकुल आधारित खेती या 'एक ज़िला एक फसल' सेवाओं के माध्यम से भूमि समेकन में निहित है।
- राज्य एजेंसियों/निवेशकों की भूमिका: कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र आधारित सेवाओं के लिये व्यावसायिक वातावरण को सक्षम करने हेतु राज्य एजेंसियाँ कृषि कार्यों पर किसानों की आर्थिक निर्भरता और कृषि-पर्यटन गतिविधियों की कथित लोकप्रियता के बीच एक भूमिका निभा सकती हैं।
- सामाजिक या प्रभाव निवेशक (Social or Impact Investors) व्यवसाय के चरण और कृषि-उद्यमियों द्वारा अपनाए गए व्यवसाय मॉडल के आधार पर कृषि-पर्यटन में निजी इक्विटी जुटा सकते हैं।
- ATDC भारत में कृषि-पर्यटन परिदृश्य की व्यावसायिक क्षमता का दोहन करने के लिये स्टार्ट-अप को आकर्षित कर सकता है और निवेशकों को प्रभावित कर सकता है।
- कृषि-पर्यटन के लिये अनुसंधान एवं विकास : कृषि-पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये ग्रामीण पर्यटन, पारिस्थितिकी-पर्यटन, स्वास्थ्य पर्यटन, साहसिक पर्यटन और खाद्य-संबंधी अभियान (Culinary Adventures) के साथ वैचारिक अभिसरण की आवश्यकता है।
- अनुसंधान किसी भी विषय में विकास के प्रमुख कारकों में से एक होता है क्योंकि यह छात्रों और इसके अभ्यास से संलग्न लोगों को उनकी रुचि के क्षेत्रों में शामिल होने और स्थानीय समुदायों के लाभ के लिये सभी संभावित समाधानों की खोज करने में मदद करता है।

किसान कृषि-पर्यटन को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं ?

कृषि-पर्यटन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये किसानों को चाहिये कि:

- अख़बारों, टीवी आदि के माध्यम से अपने पर्यटन केन्द्र का व्यापक प्रचार-प्रसार करें तथा विद्यालयों, महाविद्यालयों, गैर-सरकारी संगठनों, क्लबों, संघों, संगठनों आदि से संपर्क विकसित करें।
- कृषि-पर्यटकों के स्वागत और आतिथ्य के लिये अपने कर्मचारियों या परिवार के सदस्यों को प्रशिक्षित करें।
- ग्राहकों की मांगों और उनकी अपेक्षाओं को समझें और तदनुसार उनकी सेवा करें।
- वाणिज्यिक आधार पर सुविधाओं/सेवाओं के लिये इष्टतम किराया और शुल्क वसूलें।
- विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये एक वेबसाइट विकसित करें और समय-समय पर इसे अपडेट करें। सेवाओं के बारे में उनके फीडबैक लें और आगे के विकास एवं संशोधन हेतु उनसे सुझाव आमंत्रित करें।
- विभिन्न प्रकार के पर्यटकों और उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप विभिन्न कृषि-पर्यटन पैकेज का विकास करें।
- छोटे किसान सहकारी समिति के आधार पर अपने कृषि-पर्यटन केंद्रों का विकास कर सकते हैं।

पर्यावरण पर दक्षिण-एशियाई देशों का सहयोग

संदर्भ

दक्षिण-एशिया में क्षेत्रीय सहयोग से उम्मीदें तो की गई लेकिन इसके परिणाम इष्टतम नहीं रहे हैं। जारी जलवायु संकट इस दिशा में एक आदर्श बदलाव लाने के महत्त्वपूर्ण अवसर के रूप में कार्य कर सकता है।

नोट :

- दक्षिण एशिया कई जलवायु चुनौतियों का सामना कर रहा है, हालाँकि चुनौतियों की समानता और राष्ट्रों की अनुपूरक शक्ति के साथ ही उनके साझा भूगोल, सामाजिक आर्थिक विशेषताएँ और संस्कृति दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग के अवसर भी प्रदान कर रहे हैं।
- इस भू-भाग को सतत् विकास लक्ष्यों (SDGs) को आगे बढ़ाने के अपने प्रयासों को दोगुना करने की ज़रूरत है। भारत जलवायु प्रत्यास्थता कार्यक्रमों को संयुक्त रूप से डिज़ाइन, वित्तपोषित और कार्यान्वित करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसियों के साथ सहयोग कर इसमें एक योगदान कर सकता है जहाँ अन्य दक्षिण एशियाई देश भारत की विकास सहायता का लाभ उठा सकते हैं।

दक्षिण एशिया और जलवायु परिवर्तन

उत्सर्जन में दक्षिण एशिया की हिस्सेदारी

- वैश्विक आबादी के लगभग एक चौथाई भाग के साथ यह भू-भाग ऐतिहासिक वैश्विक ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन के 4% के लिये ज़िम्मेदार है।
- वर्ष 2019 में इसका वार्षिक प्रति व्यक्ति GHG उत्सर्जन6 टन CO_2 समतुल्य था, जो विश्व स्तर पर किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में न्यूनतम था, जबकि वर्ष 2020 में प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (क्रय शक्ति समता) 5,814 डॉलर था, जो विश्व स्तर पर अफ्रीका के बाद सबसे कम था।

दक्षिण एशिया पर प्रभाव

- दक्षिण एशियाई देश जलवायु परिवर्तन प्रभावों के संदर्भ में वैश्विक स्तर पर सबसे कमज़ोर/संवेदनशील देशों में शामिल हैं।
- चरम जलवायु संबंधी घटनाएँ हर साल क्षेत्र की आधी से अधिक आबादी को प्रभावित करती हैं और दक्षिण एशियाई देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर बोझ डालती रहती हैं।
- विश्व में निम्नतम ऊँचाई पर स्थित देश (Lowest Lying Country) मालदीव इसी भूभाग में स्थित है जिस पर निकट भविष्य में डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है।
- IPCC की AR6 रिपोर्ट ने दक्षिण एशिया के लिये चिंताजनक अनुमान प्रकट किये हैं। इसमें कहा गया है कि अगले दो दशक में ग्लोबल वार्मिंग में लगभग5 °C की वृद्धि के साथ यह भूभाग गर्म मौसम, दीर्घकालिक मानसून और सूखा की घटनाओं में वृद्धि का सामना करेगा।
- 21वीं सदी की कालावधि में दक्षिण एशिया में ग्रीष्म लहर (Heatwaves) और आर्द्र हीट स्ट्रेस (humid heat stress) की अधिक तीव्र और आवर्ती स्थिति रहेगी।
- विश्व बैंक के अनुसार, पिछले दशक में कम से कम एक जलवायु संबंधी आपदा से लगभग 700 मिलियन लोग (दक्षिण एशिया की आबादी की लगभग आधी) प्रभावित हुए हैं।
- 'जर्मनवाच' (Germanwatch) के 'ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2020' में 21वीं सदी में जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित 20 देशों में भारत और पाकिस्तान को भी रखा गया है।
- मैकिन्से ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु प्रभाव वर्ष 2050 तक दक्षिण एशियाई देशों के सकल घरेलू उत्पाद को 13% तक नष्ट कर सकता है।

क्षेत्रीय सहयोग के संबंध में संबद्ध चुनौतियाँ

- पर्यावरणीय मुद्दों पर एकमतता का अभाव: पर्यावरण संबंधी प्रमुख निर्णयों पर आम सहमति का निर्माण एक चुनौती बनी हुई है। हवा, भूमिगत जल जलभृत और जैव विविधता जैसे महत्त्वपूर्ण साझा संसाधन प्रायः अनियंत्रित बने हुए हैं।
- एक क्षेत्रीय बिजली व्यापार तंत्र (regional electricity trading mechanism), जो नवीकरणीय ऊर्जा के युग में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकता है, के लिये लगातार बदलती योजनाएँ राजनयिक कड़वाहट का विषय रही हैं।
- जलवायु परिवर्तन पर सार्क कार्य योजना (SAARC Action Plan on Climate Change) और वर्ष 2008 में ढाका में दक्षिण एशियाई पर्यावरण मंत्रियों की संयुक्त घोषणा जैसे आशाजनक क्षणों को भी जल्द ही भुला दिया गया।
- भू-राजनीति की चुनौतियाँ: हाल की भू-राजनीति के उतार-चढ़ाव के साथ दक्षिण एशिया का मूल विचार ही नष्ट हो गया है। चीन के आर्थिक प्रभुत्व और इस क्षेत्र में नए गठबंधनों ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देशों के बीच तनाव की वृद्धि की है।

- प्रतीत होने लगा है कि सार्क जैसी संस्थाएँ अपनी पूर्वस्थिति में नहीं लौट सकेंगी।
- सीमा संबंधी समस्याएँ: राष्ट्रीय सीमाओं की मनमानी प्रकृति ने जलवायु परिवर्तन को प्रबंधित करना कठिन बना दिया है। वे राजनीति से निर्धारित होते हैं और प्राय: पारिस्थितिक सीमाओं और ग्रहीय प्रणालियों की पूरी तरह से उपेक्षा करते हैं।
- दक्षिण एशिया की कठोर सीमाएँ, जिन्हें 20वीं सदी के मध्य में जल्दबाजी में परिभाषित किया गया था, 21वीं सदी की समस्याओं के लिये अनुपयुक्त हैं।

आगे की राह

- अप्रयुक्त ऊर्जा संसाधनों का उपयोग: अफगानिस्तान, भूटान, भारत, नेपाल और पाकिस्तान जैसे हिमालय क्षेत्र के देशों में वृहत अप्रयुक्त जलविद्युत संसाधन मौजूद हैं।
- प्रौद्योगिकियों एवं वित्त के विषय में सहयोग और एक साझा दक्षिण एशियाई बिजली बाज़ार के विकास से ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि हो सकती है, जबकि साथ ही बिजली लागत और GHG उत्सर्जन में कमी आएगी।
- सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की बढ़त अन्य देशों को भी सस्ते और प्रमुख ऊर्जा स्रोत के रूप में इस नवीकरणीय संसाधन के विकास में मदद दे सकती है।
- संभावित क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग: जलवायु संकट की चुनौतियों और वर्तमान पहलों के आधार पर पाँच प्रमुख विषयों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया जा सकता है:
- संवहनीय/सतत शहरीकरण (Sustainable Urbanisation)- समावेशी संवहनीय नगरनिकाय सेवाएँ, हरित परिवहन, प्रदूषण उपशमन एवं रोकथाम।
- जलवायु-कुशल कृषि (Climate-smart Agriculture)- जल एवं संसाधन दक्षता, खाद्य की बर्बादी को न्यूनतम करना, परिवहन लॉजिस्टिक्स एवं कोल्ड चेन और खाद्य प्रसंस्करण।
- आपदा प्रत्यास्थता (Disaster Resilience)- जलीय-मौसम विज्ञान संबंधी घटनाओं के लिये संयुक्त एवं समन्वित पूर्व-चेतावनी प्रणाली, तटीय क्षेत्रों में रसायन एवं तेल रिसाव, जंगल की आग सहित विभिन्न आपदाओं के लिये साझा प्रतिक्रिया तंत्र।
- नवीकरणीय एवं स्वच्छ ऊर्जा (Renewable and Clean Energy)- सौर एवं पवन ऊर्जा, बिजली भंडारण प्रौद्योगिकियाँ, जल-विद्युत परियोजनाओं का संयुक्त विकास, क्षेत्रीय ऊर्जा बाज़ार और उद्योगों, खेतों, संस्थानों, कार्यालयों एवं घरों में ऊर्जा दक्षता की वृद्धि करना।
- 'डाउनस्केल्ड क्लाइमेट मॉडलिंग' (Downscaled Climate Modelling) – लघु-आवधिक से लेकर दीर्घावधिक प्रभावों का आकलन करने और जन-उन्मुख अनुकूलन योजनाओं को लागू करने के लिये।
- निजी क्षेत्र की भागीदारी: जलवायु अनुकूलन और शमन में निजी क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका होगी।
- इस प्रकार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नियमों में छूट से विशेष रूप से हरित प्रौद्योगिकियों, डिजिटल फर्मों, उद्योग0 प्रौद्योगिकियों, अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचार, आपदा प्रत्यास्थता बढ़ाने वाली प्रक्रियाओं, और प्रौद्योगिकियों (जलवायु-प्रत्यास्थी सड़कों और जल परिवहन जैसे अवसंरचना क्षेत्रों में उपयुक्त प्रौद्योगिकियों सहित) के लिये मदद मिलेगी।
- सार्क जलवायु कोष: भूभाग के देश एक सार्क जलवायु कोष (SAARC Climate Fund) भी स्थापित कर सकते हैं जो नवाचारों, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, ज्ञान के आदान-प्रदान और क्षमता निर्माण पर प्रमुखता से ध्यान देने के साथ अनुकूलन एवं शमन पहलों के लिये धन की पूर्ति कर सकता है।
- यह कोष निजी फाउंडेशनों एवं व्यक्तियों, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) पहलों और द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय एजेंसियों से भी धन जुटा सकता है।
- जलवायु शिक्षा: जलवायु शिक्षा समुदायों को ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को समझने एवं इन्हें संबोधित करने, व्यवहार परिवर्तन को प्रोत्साहित करने और उन्हें जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने में मदद करेगी।
- राष्ट्रीय पाठ्यचर्या में जलवायु शिक्षा को शामिल करने से दक्षिण एशियाई देशों के बच्चों एवं युवाओं को आवश्यक ज्ञान एवं कौशल के साथ एक हरित, संवहनीय एवं जलवायु-प्रत्यास्थी भविष्य के निर्माण के लिये सशक्त किया जा सकेगा।

सेक्शन 124A कितना प्रासंगिक?

संदर्भ

एस.जी. वोम्बटकेरे बनाम भारत संघ मामले में में दिये गए एक संक्षिप्त आदेश में सर्वोच्च न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की खंडपीठ ने भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 124A के कार्यान्वयन को प्रभावी ढंग से निलंबित कर दिया। देशद्रोह (Sedition) को अपराध घोषित करने वाले इस प्रावधान का इस्तेमाल आज़ादी के बाद के क्रमिक शासनों द्वारा लोकतांत्रिक असंतोष के दमन के लिये किया गया है।

- इससे पूर्व मौखिक सुनवाई के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने संकेत दिया था कि वह इस कानून को कालदोष या औपनिवेशिक युग के अवशेष के रूप में देखती है।
- अब हाल ही के एक आदेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्यों दोनों स्तर पर सरकारों को निर्देश दिया है कि वे धारा 124A के तहत लगाए गए आरोप से उत्पन्न ''सभी लंबित परीक्षण, अपील और कार्यवाही'' को 'स्थगित' रखें।
- इस संदर्भ में देशद्रोह कानून (IPC की धारा 124A) की गहराई से जाँच करना और उसके गुण-दोषों को सामने लाना अनिवार्य है।

देशद्रोह कानून क्या है?

- धारा 124A देशद्रोह को ऐसे कृत्य रूप में परिभाषित करता है जो "बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा, भारत में विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करेगा या पैदा करने का प्रयत्न करेगा, असंतोष (Disaffection) उत्पन्न करेगा या करने का प्रयत्न करेगा।
- प्रावधान के अनुसार असंतोष (Disaffection) शब्द में निष्ठाहीनता और शत्रुता की सभी भावनाएँ शामिल हैं। हालाँकि घृणा, अवमानना या असंतोष उत्पन्न करने का प्रयास किये बिना की गई टिप्पणी इस धारा के तहत अपराध नहीं होगी।

देशद्रोह कानून पर विचार का आधार क्या है?

- देशद्रोह कानून पर विचार करने का निर्देश तब जारी हुआ जब केंद्र सरकार द्वारा एक हलफनामा दायर कर सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया गया कि उसने कानून की पुन: जाँच करने का फैसला किया है।
- इस वक्तव्य ने स्वयं में इस बात की कोई दृढ़ प्रतिबद्धता नहीं जताई कि सरकार संसद को धारा 124A को पूरी तरह से हटाने की सिफारिश करेगी।
- लेकिन खंडपीठ ने माना कि सरकार द्वारा प्रावधान पर पुनर्विचार करने की पेशकश कम से कम यह दर्शाती है कि सरकार इस मामले पर न्यायालय की प्रथम दृष्टया राय के साथ व्यापक रूप से सहमत है कि यह खंड ''वर्तमान सामाजिक परिवेश के अनुरूप नहीं है और उस समय के लिये अभिप्रेत था जब देश औपनिवेशिक शासन के अधीन था।''

संविधान सभा में देशद्रोह कानून को लेकर क्या बहस हुई थी?

- के.एम. मुंशी ने स्वतंत्र अभिव्यक्ति पर अनुमत प्रतिबंध के रूप में द्वयर्थक शब्द 'देशद्रोह' (sedition) के उपयोग को हटाने के लिये संविधान सभा में ज़ोरदार बहस की।
- के.एम. मुंशी के अनुसार यदि इस शब्द को संविधान के प्रारूप से नहीं हटाया गया तो एक ग़लत धारणा बनेगी कि हम IPC के 124A को कायम रखना चाहते हैं।
- जैसा कि बेहद स्पष्ट है, इस कानून का उपयोग हमेशा असहमति पर नियंत्रण के रूप में किया जाना था ताकि सरकार के विरुद्ध किसी भी प्रकार के विरोध का दमन किया जा सके।
- मुंशीजी का संशोधन पारित हो गया। अंगीकृत संविधान देशद्रोह के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध की अनुमति नहीं देता है।
- लेकिन इसके बावजूद, देश भर की सरकारों ने लोगों पर इस अपराध का आरोप लगाना जारी रखा।
- 1950 के दशक में दो अलग-अलग उच्च न्यायालयों ने धारा 124A को स्वतंत्रता का उल्लंघन मानते हुए निरस्त कर दिया था। लेकिन वर्ष 1962 में केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय की पाँच न्यायाधीशों की पीठ ने इन फैसलों को उलट दिया।
- न्यायालय ने पाया कि धारा 124A लोक व्यवस्था के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर एक वैध प्रतिबंध के रूप में बचाव-योग्य है।

- हालाँकि इस खंड को बरकरार रखते हुए न्यायालय ने इसके अनुप्रयोग को ''अव्यवस्था पैदा करने की मंशा या प्रवृत्ति, या विधि-व्यवस्था की गड़बड़ी, या हिंसा के लिये उकसाने वाले कृत्यों'' तक सीमित कर दिया।
- न्यायालय का निर्णय 'सरकार के प्रति असंतोष' जैसे शब्दों को चिह्नित करने में विफल रहा, जो बुनियादी से अस्पष्ट हैं, इनका दंडात्मक संविधि में कोई स्थान नहीं होना चाहिये, और यह कि इन सभी बातों के साथ देशद्रोह को अपराध घोषित करने के पीछे का इरादा असहमति के अधिकार को समाप्त करना था।

देशद्रोह कानून की अंतर्निहित चुनौतियाँ

- मूल संरचना के विरुद्ध: जैसा कि मुंशीजी ने संविधान सभा में कहा था, 'लोकतंत्र का सार सरकार की आलोचना है।' देशद्रोह कानून इस मूल भावना की अवहेलना करता है। यह निंदा और विरोध का अपराधीकरण करता है और एक लोकतांत्रिक गणराज्य की मूल संरचना को इसकी ऊर्जाविहीनता की स्थिति तक निष्क्रिय कर देता है।
- हाशिये पर स्थित लोगों पर सर्वाधिक प्रभाव: कानून प्रवर्तन द्वारा इसके अनुप्रयोग में केदारनाथ सिंह मामले में आरोपित सीमाओं का शायद ही कभी पालन किया जाता है। हाल के वर्षों में इस कानून के दुरुपयोग में वृद्धि की प्रवृत्ति नज़र आई है जहाँ विपक्ष के सबसे सौम्य कृत्यों पर भी देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया।
- जैसा कि प्राय: इस तरह के दुरुपयोगों के मामले में होता है, समाज के सबसे हाशिये पर स्थित तबकों को अधिक हानि उठानी पड़ी है।
- धारा 124A औपनिवेशिक विरासत का अवशेष है और एक लोकतंत्र में अनुपयुक्त है। यह वाक् और अभिव्यक्ति की संवैधानिक गारंटीकृत स्वतंत्रता के वैध अभ्यास में एक अवरोध है।
- सरकार से असहमति और उसकी आलोचना एक जीवंत लोकतंत्र में मज़बूत सार्वजनिक बहस के आवश्यक तत्व हैं। उन्हें देशद्रोह के रूप में नहीं देखा जाना चाहिये।
- प्रश्न करने, आलोचना करने और शासकों को बदलने का अधिकार लोकतंत्र के विचार के लिये अत्यंत आधारभूत है।
- भारतीयों के दमन के लिये देशद्रोह कानून लाने वाले अंग्रेज़ों ने स्वयं अपने देश में इस कानून को समाप्त कर दिया है। ऐसा कोई कारण नहीं मौजूद नहीं है कि भारत को इस धारा को निरस्त क्यों नहीं करना चाहिये।
- धारा 124A में मौजूद 'असंतोष' जैसे शब्द अस्पष्ट है और जाँच अधिकारियों की अपनी मनमर्ज़ी की व्याख्याओं के अधीन हैं।
- IPC और गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम (UAPA), 2019 में ऐसे प्रावधान मौजूद हैं जो 'लोक व्यवस्था को बाधित करने' या 'हिंसा और अवैध तरीकों से सरकार को उखाड़ फेंकने' के लिये दंडित करते हैं। राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा के लिये ये पर्याप्त हैं; इस प्रकार, धारा 124A की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।
- देशद्रोह कानून का दुरुपयोग राजनीतिक असंतोष के दमन के लिये एक उपकरण के रूप में किया जा रहा है। इसमें एक व्यापक और केंद्रित कार्यकारी विवेक अंतर्निहित है जो खुले तौर पर दुरुपयोग की अनुमति देता है।
- वर्ष 1979 में भारत ने 'नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध' (International Covenant on Civil and Political Rights- ICCPR) की पुष्टि की, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों को निर्धारित करता है। देशद्रोह कानून का दुरुपयोग और मनमाने ढंग से आरोप लगाना भारत की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप नहीं है।

देशद्रोह कानून के पक्ष में तर्क

- IPC की धारा 124A राष्ट्रविरोधी, अलगाववादी और आतंकवादी तत्वों से निपटने हेतु एक उपयोगिता रखती है।
- यह चुनी हुई सरकार को हिंसा और अवैध तरीकों से उखाड़ फेंकने के प्रयासों से बचाता है। विधि द्वारा स्थापित सरकार का निरंतर अस्तित्व राज्य की स्थिरता के लिये एक अनिवार्य शर्त है।
- यदि न्यायालय की अवमानना दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करती है तो सरकार की अवमानना पर भी दंड की व्यवस्था उपयुक्त है।
- विभिन्न राज्यों के कई ज़िले माओवादी विद्रोह का सामना कर रहे हैं और विद्रोही समूह वस्तुत: एक समानांतर प्रशासन चला रहे हैं। ये समूह खुले तौर पर क्रांति द्वारा राज्य सरकार को उखाड़ फेंकने की वकालत करते हैं।

नोट :

- इस पृष्ठभूमि में धारा 124A को समाप्त करना केवल इस आधार पर विवेकपूर्ण नहीं होगा कि कुछ अत्यधिक प्रचारित मामलों में इसे गलत तरीके से लागू किया गया।

आगे की राह

- देशद्रोह कानून में सुधार: इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसी कानून को केवल इसलिये अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका दुरुपयोग किया गया है। लेकिन देशद्रोह के मामले में केदारनाथ सिंह निर्णय का औचित्य और धारा 124A का अस्तित्व दोनों ही समय के साथ असमर्थनीय हो गए हैं।
- वर्ष 1962 में इस निर्णय के बाद से सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक अधिकारों के पठन में एक परिवर्तनकारी बदलाव आ चुका है।
- उदाहरण के लिये, हाल के समय में न्यायालय ने अन्य बातों के अलावा भाषा में अशुद्धि के आधार पर और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों के भारी प्रभाव के आधार पर कई दंडात्मक कानूनों को रद्द किया है।
- भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार लोकतंत्र का एक अनिवार्य घटक है। जो अभिव्यक्ति या विचार वर्तमान सरकार की नीति के अनुरूप नहीं है उसे देशद्रोह नहीं माना जाना चाहिये।
- धारा 124A का दुरुपयोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के लिये एक उपकरण के रूप में नहीं किया जाना चाहिये। इस कानून के तहत अभियोजन में केदारनाथ सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई चेतावनी इसके दुरुपयोग को नियंत्रित कर सकती है। इसे बदले हुए तथ्यों एवं परिस्थितियों के तहत और आवश्यकता, आनुपातिकता एवं मनमानी के निरंतर विकसित होते परीक्षणों की कसौटी पर कसने की आवश्यकता है।
- उच्च न्यायपालिका को अपनी पर्यवेक्षी शक्तियों का उपयोग मजिस्ट्रेट और पुलिस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधानों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिये करना चाहिये।
- देशद्रोह की परिभाषा को संकुचित किया जाना चाहिये, जिसमें केवल भारत की क्षेत्रीय अखंडता के साथ-साथ देश की संप्रभुता से संबंधित मुद्दों को ही शामिल किया जाए।
- 'देशद्रोह' अत्यंत सूक्ष्म शब्द है और इसे सावधानी के साथ लागू करने की आवश्यकता है। यह एक तोप की तरह है जिसका उपयोग चूहे को मारने के लिये नहीं किया जाना चाहिये। निश्चय ही शस्त्रागार में तोप भी होने चाहिये लेकिन वे प्राय: निवारक के रूप में हों और कभी-कभी उनका इस्तेमाल गोले दागने के लिये किया जाए।
- लोकतंत्र की रक्षा के लिये हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता की संवैधानिक गारंटी व्यर्थ न जाए। इसके लिये हमारे प्रत्येक दंडात्मक कानून को समानता, न्याय और निष्पक्षता की चिंता से प्रेरित होना चाहिये।

EV हेतु खनिज की उपलब्धता

संदर्भ

इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles- EVs) जैसे वैकल्पिक और निम्न ऊर्जा मांग वाले विकल्पों की ओर आगे बढ़ने के प्रयासों के साथ भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग एक आमूलचूल परिवर्तन से गुज़र रहा है। शुद्ध-शून्य भविष्य (Net-Zero Future) की ओर बढ़ने की दिशा में पेट्रोल वाहनों से EVs की ओर संक्रमण एक महत्त्वपूर्ण कदम है।

- हालाँकि इसके साथ ही EV विनिर्माण हेतु उपयोग किये जाने वाले खनिजों के लिये भारत की आयात निर्भरता भी एक तथ्य के रूप में उभरी है। विभिन्न निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों की तरह EVs भी अपने डिज़ाइन में कई दुर्लभ धातुओं का उपयोग करते हैं, जिनमें से कई EVs के प्रभावी कार्यकरण के लिये महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं।
- जबकि सरकार ने EVs बिक्री के लिये एक उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है, भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे कई दुर्लभ खनिजों का अभाव रखता है। इन खनिजों का उपयोग लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी सेल के निर्माण के लिये किया जाता है, जो फिर इलेक्ट्रिक कार बैटरी के निर्माण में इस्तेमाल किये जाते हैं।

इन तत्त्वों के उत्पादन की स्थिति

- वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया 49% वैश्विक लिथियम उत्पादन के लिये ज़िम्मेदार था, जबकि चीन में 65% ग्रेफाइट, कांगो में 68% कोबाल्ट और इंडोनेशिया में 33% निकेल का उत्पादन किया जा रहा था।
- ग्रेफाइट और निकेल (जहाँ भारत वैश्विक स्तर पर क्रमश: 3% एवं32% की हिस्सेदारी रखता है और शीर्ष पाँच उत्पादकों में शामिल है) के अलावा अन्य तत्वों की देश में भारी कमी है।

EVs विनिर्माण में इनका महत्त्व

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के सतत विकास परिदृश्य के अनुसार EV उद्योग में ग्रेफाइट, निकेल, तांबा, कोबाल्ट और मैंगनीज की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि अपेक्षित है, जबकि लिथियम की सबसे अधिक मांग की जा रही है।
- इलेक्ट्रिक यात्री वाहन में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य लिथियम-आयन बैटरी में 8 किलोग्राम लिथियम, 35 किलोग्राम निकल, 20 किलोग्राम मैंगनीज और 14 किलोग्राम कोबाल्ट मौजूद होता है।
- Li-ion बैटरियों में एनोड को ग्रेफाइट की आवश्यकता होती है और प्रकटत: इसका कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं हैं।
- Li-ion की ही आवश्यकता रखने वाले कैथोड में निकेल मौजूद होता है जो उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है, जिससे वाहन को और आगे बढ़ने में मदद मिलती है।
- EVs के लिये कोबाल्ट भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह कैथोड को गर्म होने से रोकता है और बैटरी के जीवन-काल को बढ़ाता है।
- दूसरी ओर, मैंगनीज बैटरी की कैथोड आवश्यकताओं में 61% योगदान देता है।
- IEA के अनुसार, एक इलेक्ट्रिक कार के लिये आवश्यक खनिजों की मात्रा एक पारंपरिक पेट्रोल और डीजल वाहन की तुलना में कम से कम छह गुना अधिक होगी।
- इस प्रकार, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये आवश्यक विशिष्ट वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी।

अंतर्निहित मुद्दे

- EVs विनिर्माण के लिये इनपुट के रूप में चुनिंदा दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता को देखते हुए यह बढ़ती मांग भी चिंता का कारण बन सकती है, जो फिर आर्थिक लागत में वृद्धि कर सकता है।
- इसके साथ ही, चूँकि भारत के पास लिथियम, निकेल या कोबाल्ट का अधिक भंडार नहीं है, इसलिये उसे इसकी प्राप्ति अन्य खनन स्रोतों से करनी होगी। इसमें उच्च सामाजिक और पर्यावरणीय लागत शामिल होगी।
- उदाहरण के लिये, अनुमान लगाया गया है कि एक टन लिथियम के उत्पादन के लिये दो मिलियन लीटर जल की आवश्यकता होती है। यह देश के किसानों को उनके लिये अत्यधिक आवश्यक जल से वंचित करता है।
- वर्ष 2021 के अंत में शुरू हुई सेमीकंडक्टर की कमी की समस्या अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है और इसने कई उद्योगों को बाधित किया है। उच्च मूल्य अस्थिरता और इन तत्वों की आपूर्ति में व्यवधान के मामले में इसी तरह की चुनौती भारत के उभरते EV उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है

संभावित उपाय

- खनिजों की प्राप्ति की सुनिश्चितता के लिये सहयोग: राज्य द्वारा संचालित कुछ कंपनियाँ खनिज संसाधनों (जिनकी वर्ष 2030 तक वृहत स्तर पर EVs को अपनाए जाने के लिये पर्याप्त मांग होगी) की सुनिश्चितता के लिये एक संयुक्त उद्यम का निर्माण कर सकती हैं।
- चीन पर निर्भरता कम करने के लिये कई जापानी कंपनियाँ खनन परियोजनाओं के विकास हेतु ऑस्ट्रेलिया और कजाकिस्तान में कई फर्मों के साथ सहयोग कर रही हैं।
- भारतीय अन्वेषण कंपनियों को भी इस क्षेत्र में और संयुक्त अन्वेषण, शोधन एवं महत्त्वपूर्ण खनिजों के व्यापार के क्षेत्र में इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तलाश करनी चाहिये।
- नियमित निगरानी के लिये तंत्र: दुर्लभ मृदा और अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता की नियमित निगरानी के लिये भारत सरकार द्वारा खान मंत्रालय के अंतर्गत एक समर्पित संकोष्ठ की स्थापना की जा सकती है।

नोट :

- इस परिप्रेक्ष्य में, यह देखा गया है कि जापान जैसे देशों ने दुर्लभ मृदा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने के लिये5 बिलियन डॉलर का कोष निर्धारित किया है और वे संयुक्त उद्यम भागीदारी पर बल देते हैं।
- इसी तरह, अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2019 में 'महत्त्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संघीय रणनीति' का विकास किया।
- 'क्वाड' का लाभ उठाना: कुछ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी खनिज एजेंसियों ने अपने महत्त्वपूर्ण खनिज भंडारों के संबंध में संयुक्त रूप से बेहतर समझ विकसित करने और इस क्रम में अन्य भागों में उनके अस्तित्व का पता लगाने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- भारत भविष्य की अपनी आवश्यताओं की सुरक्षा के लिये क्वाड प्लेटफॉर्म के तहत द्विपक्षीय संलग्नता की राह पर आगे बढ़ सकता है।
- जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ सहयोग से भारत को अपने दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements- REE) उद्योग को बढ़ावा देने के लिये प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय व्यवहार्यता अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग: भारत अपने EV उद्योग के विकास हेतु सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विश्व के विकासशील दक्षिण के बीच एक अंररसरकारी निकाय (वर्ष 1960 में गठित 'ओपेक' जैसा निकाय) का गठन कर सकने की संभावना का पता लगा सकता है।
- इसमें भारत के साथ लैटिन अमेरिका से चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, क्यूबा; अफ्रीका से कांगो, गैबॉन, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक एवं दक्षिण अफ्रीका; और इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा रूस जैसे देश शामिल हो सकते हैं।
- कुशल बैटरियों की आवश्यकता: यह सुनिश्चित करने के लिये भी कार्य करने की आवश्यकता है कि लिथियम-आयन बैटरी भारत की गर्म/आर्द्र परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक कार्य कर सके और उनका जीवनकाल दीर्घ हो। सरकार को बैटरियों के शत प्रतिशत पुनर्चक्रण को भी अनिवार्य बनाना चाहिये और बैटरी का डिज़ाइन पुनर्चक्रण-अनुकूल हो।
- यह उपाय करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि बैटरी के जीवनकाल का विस्तार न करने और आक्रामक रूप से इसका पुनर्चक्रण न करने के परिदृश्य में भारत की ऊर्जा निर्भरता पश्चिम एशिया से चीन (जो बैटरी के लिये आवश्यक अधिकांश दुर्लभ मृदा धातुओं पर नियंत्रण रखता है) की ओर स्थानांतरित हो जाएगी ।
- इसके अलावा, एक बड़ा कदम यह होगा कि भारत में ऐसी बैटरियों के निर्माण के लिये अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाए जहाँ कोबाल्ट और निकेल को अन्य धातुओं से प्रतिस्थापित किया जा सके।

दुर्लभ संसाधन एवं इलेक्ट्रिक वाहन संबंधी योजना

संदर्भ

इलेक्ट्रिक वाहनों (Electric Vehicles- EVs) जैसे वैकल्पिक और निम्न ऊर्जा मांग वाले विकल्पों की ओर आगे बढ़ने के प्रयासों के साथ भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग एक आमूलचूल परिवर्तन से गुज़र रहा है। शुद्ध-शून्य भविष्य (Net-Zero Future) की ओर बढ़ने की दिशा में पेट्रोल वाहनों से EVs की ओर संक्रमण एक महत्त्वपूर्ण कदम है। हालाँकि इसके साथ ही EV विनिर्माण हेतु उपयोग किये जाने वाले खनिजों के लिये भारत की आयात निर्भरता भी एक तथ्य के रूप में उभरी है। विभिन्न निम्न कार्बन प्रौद्योगिकियों की तरह EVs भी अपने डिज़ाइन में कई दुर्लभ धातुओं का उपयोग करते हैं, जिनमें से कई EVs के प्रभावी कार्यकरण के लिये महत्त्वपूर्ण माने जाते हैं। जबकि सरकार ने EVs बिक्री के लिये एक उच्च लक्ष्य निर्धारित किया है, भारत में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे कई दुर्लभ खनिजों का अभाव है। इन खनिजों का उपयोग लिथियम-आयन (Li-ion) बैटरी सेल के निर्माण के लिये किया जाता है, जो फिर इलेक्ट्रिक कार बैटरी के निर्माण में इस्तेमाल किये जाते हैं।

इन तत्वों के उत्पादन की स्थिति:

- वर्ष 2020 में ऑस्ट्रेलिया कुल वैश्विक लिथियम उत्पादन के 49% लिये ज़िम्मेदार था, जबकि चीन में 65% ग्रेफाइट, कांगो में 68% कोबाल्ट और इंडोनेशिया में 33% निकेल का उत्पादन किया जा रहा था।
- ग्रेफाइट और निकेल (जहाँ भारत वैश्विक स्तर पर क्रमशः 3% एवं 5.32% की हिस्सेदारी रखता है और शीर्ष पाँच उत्पादकों में शामिल है) के अलावा अन्य तत्त्वों की देश में भारी कमी है।

EVs विनिर्माण में इनका महत्त्व:

- अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के सतत् विकास परिदृश्य के अनुसार EV उद्योग में ग्रेफाइट, निकेल, तांबा, कोबाल्ट और मैंगनीज की मांग में अभूतपूर्व वृद्धि अपेक्षित है, जबकि लिथियम की सबसे अधिक मांग की जा रही है।
- इलेक्ट्रिक यात्री वाहन में उपयोग की जाने वाली एक सामान्य लिथियम-आयन बैटरी में 8 किलोग्राम लिथियम, 35 किलोग्राम निकल, 20 किलोग्राम मैंगनीज़ और 14 किलोग्राम कोबाल्ट मौजूद होता है।
- लिथियम-आयन बैटरियों में एनोड को ग्रेफाइट की आवश्यकता होती है और प्रकटत: इसका कोई अन्य विकल्प मौजूद नहीं हैं।
- लिथियम-आयन की ही आवश्यकता रखने वाले कैथोड में निकेल मौजूद होता है जो उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है, जिससे वाहन को और आगे बढ़ने में मदद मिलती है।
- EVs के लिये कोबाल्ट भी महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह कैथोड को गर्म होने से रोकता है और बैटरी के जीवन-काल को बढ़ाता है।
- दूसरी ओर मैंगनीज़ का बैटरी की कैथोड आवश्यकताओं में 61% योगदान है।
- IEA के अनुसार, एक इलेक्ट्रिक कार के लिये आवश्यक खनिजों की मात्रा एक पारंपरिक पेट्रोल और डीज़ल वाहन की तुलना में कम-से-कम छह गुना अधिक होगी।
- इस प्रकार, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिये आवश्यक विशिष्ट वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी।

अंतर्निहित मुद्दे

- EVs विनिर्माण के लिये इनपुट के रूप में चुनिंदा दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता को देखते हुए यह बढ़ती मांग भी चिंता का कारण बन सकती है, जो फिर आर्थिक लागत में वृद्धि कर सकता है।
- इसके साथ ही भारत के पास लिथियम, निकेल या कोबाल्ट का अधिक भंडार नहीं है, इसलिये उसे इसकी प्राप्ति अन्य खनन स्रोतों से करनी होगी। इसमें उच्च सामाजिक और पर्यावरणीय लागत शामिल होगी।
- उदाहरण के लिये, अनुमान लगाया गया है कि एक टन लिथियम के उत्पादन के लिये दो मिलियन लीटर जल की आवश्यकता होती है। यह देश के किसानों को उनके लिये अत्यधिक आवश्यक जल से वंचित करता है।
- वर्ष 2021 के अंत में शुरू हुई सेमीकंडक्टर की कमी की समस्या अभी भी पूरी तरह से दूर नहीं हुई है और इसने कई उद्योगों को बाधित किया है। उच्च मूल्य अस्थिरता और इन तत्वों की आपूर्ति में व्यवधान के मामले में इसी तरह की चुनौती भारत के उभरते EV उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है।

संभावित उपाय:

- खनिजों की प्राप्ति की सुनिश्चितता के लिये सहयोग: राज्य द्वारा संचालित कुछ कंपनियाँ खनिज संसाधनों (जिनकी वर्ष 2030 तक वृहत स्तर पर EVs को अपनाए जाने के लिये पर्याप्त मांग होगी) की सुनिश्चितता के लिये एक संयुक्त उद्यम का निर्माण कर सकती हैं।
- चीन पर निर्भरता कम करने के लिये कई जापानी कंपनियाँ खनन परियोजनाओं के विकास हेतु ऑस्ट्रेलिया और कज़ाखस्तान में कई फर्मों के साथ सहयोग कर रही हैं।
- भारतीय अन्वेषण कंपनियों को भी इस क्षेत्र में और संयुक्त अन्वेषण, शोधन एवं महत्त्वपूर्ण खनिजों के व्यापार के क्षेत्र में इसी तरह के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तलाश करनी चाहिये।
- नियमित निगरानी के लिये तंत्र: दुर्लभ मृदा और अन्य महत्त्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता की नियमित निगरानी के लिये भारत सरकार द्वारा खान मंत्रालय के अंतर्गत एक समर्पित संकोष्ठ की स्थापना की जा सकती है।
- इस परिप्रेक्ष्य में यह देखा गया है कि जापान जैसे देशों ने दुर्लभ मृदा के वैकल्पिक स्रोतों को विकसित करने के लिये 1.5 बिलियन डॉलर का कोष निर्धारित किया है और वे संयुक्त उद्यम भागीदारी पर बल देते हैं।
- इसी तरह, अमेरिका-चीन व्यापार तनाव के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका ने वर्ष 2019 में 'महत्त्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित और विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु संघीय रणनीति' का विकास किया।

- 'क्वाड' का लाभ उठाना: कुछ वर्ष पहले ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी खनिज एजेंसियों ने अपने महत्त्वपूर्ण खनिज भंडारों के संबंध में संयुक्त रूप से बेहतर समझ विकसित करने और इस क्रम में अन्य भागों में उनके अस्तित्व का पता लगाने के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये।
- भारत भविष्य की अपनी आवश्यताओं की सुरक्षा के लिये क्वाड प्लेटफॉर्म के तहत द्विपक्षीय संलग्नता की राह पर आगे बढ़ सकता है।
- जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ सहयोग से भारत को अपने दुर्लभ मृदा तत्व (Rare Earth Elements- REE) उद्योग को बढ़ावा देने के लिये प्रौद्योगिकी एवं वित्तीय व्यवहार्यता अंतर को पाटने में मदद मिल सकती है।
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग: भारत अपने EV उद्योग के विकास हेतु सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विश्व के विकासशील दक्षिण के बीच एक अंतरसरकारी निकाय (वर्ष 1960 में गठित 'ओपेक' जैसा निकाय) का गठन कर सकने की संभावना का पता लगा सकता है।
- इसमें भारत के साथ लैटिन अमेरिका से चिली, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, क्यूबा; अफ्रीका से कांगो, गैबॉन, मेडागास्कर, मोज़ाम्बिक एवं दक्षिण अफ्रीका; और इंडोनेशिया, फिलीपींस तथा रूस जैसे देश शामिल हो सकते हैं।
- कुशल बैटरियों की आवश्यकता: यह सुनिश्चित करने के लिये भी कार्य करने की आवश्यकता है कि लिथियम-आयन बैटरी भारत की गर्म/आर्द्र परिस्थितियों में कुशलतापूर्वक कार्य कर सके और उनका जीवनकाल दीर्घ हो। सरकार को बैटरियों के शत-प्रतिशत पुनर्चक्रण को भी अनिवार्य बनाना चाहिये जिसमें बैटरी का डिज़ाइन पुनर्चक्रण-अनुकूल हो।
- यह उपाय करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि बैटरी के जीवनकाल का विस्तार न करने और आक्रामक रूप से इसका पुनर्चक्रण न करने के परिदृश्य में भारत की ऊर्जा निर्भरता पश्चिम एशिया से चीन (जो बैटरी के लिये आवश्यक अधिकांश दुर्लभ मृदा धातुओं पर नियंत्रण रखता है) की ओर स्थानांतरित हो जाएगी ।
- इसके अलावा, एक बड़ा कदम यह होगा कि भारत में ऐसी बैटरियों के निर्माण के लिये अनुसंधान को प्रोत्साहन दिया जाए जहाँ कोबाल्ट और निकेल को अन्य धातुओं से प्रतिस्थापित किया जा सके।

कार्बन फार्मिंग: कृषि का भविष्य

संदर्भ

इसमें कोई संदेह नहीं है कि औद्योगिक कृषि के परिणामस्वरूप भूमि से कम खाद्य की प्राप्ति होती है, उनमें पोषक तत्त्वों की कमी होती है, वे कम कुशल एवं अधिक महँगे होते हैं और लघु एवं जैविक खेती की तुलना में अधिक पर्यावरणीय विनाश का कारण बनते हैं, और

यद्यपि वैश्विक व्यापार ने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, इसने विभिन्न तरीकों से पृथ्वी पर एक उपनिवेशवादी छाप भी छोड़ी है। पौष्टिक खाद्य तक विभेदित पहुँच, हमारे आहार की जैव विविधता में कमी, मोनोक्रॉपिंग जैसे अविवेकपूर्ण पारिस्थितिक अभ्यासों एवं मृदा के व्यवस्थित क्षरण और प्रौद्योगिकी एवं रसायन की बढ़ती लागत (जिसने किसानों को प्रगति की उनकी न्यायसंगत हिस्सेदारी से बाहर किया है) तथा इससे भी उल्लेखनीय जलवायु परिवर्तन का गहराता संकट इसके कुछ प्रमुख परिणाम रहे हैं।

कार्बन फार्मिंग (Carbon farming) को हमारी खंडित खाद्य प्रणालियों को ठीक करने के विवेकपूर्ण तरीकों में से एक के रूप में देखा जा सकता है।

कार्बन फार्मिंग क्या है ?

- कार्बन फार्मिंग, जिसे कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन (Carbon Sequestration) भी कहा जाता है, कृषि प्रबंधन की एक प्रणाली है जो भूमि को अधिक कार्बन जमा करने और वायुमंडल में उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों (GHG) की मात्रा को कम करने में मदद करती है।
- इसमें वे अभ्यासों शामिल हैं जो वातावरण से CO_2 को हटाने और इन्हें पादप सामग्री एवं मृदा के कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने की दर में सुधार लाने के लिये जाने जाते हैं।
- कार्बन फार्मिंग तब सफल मानी जाती है जब वर्द्धित भूमि प्रबंधन या संरक्षण प्रथाओं के परिणामस्वरूप कार्बन लाभ की स्थिति कार्बन हानि से अधिक हो जाती है।

कृषि उत्सर्जन

- कृषि पृथ्वी के आधे से अधिक स्थलीय पृष्ठ को कवर करती है और वैश्विक GHG उत्सर्जन में लगभग एक तिहाई का योगदान देती है।

- वर्ष 2021 के आरंभ में भारत सरकार द्वारा UNFCCC को सौंपी गई तीसरी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट के अनुसार देश का कृषि क्षेत्र इसके कुल GHG उत्सर्जन में 14% हिस्सेदारी रखता है।
- भारत में कृषि उत्सर्जन मुख्य रूप से पशुधन क्षेत्र (54.6%) और नाइट्रोजन उर्वरकों (19%) के उपयोग से प्रेरित है।
- इनमें से वर्ष 2016 के दौरान चावल की खेती से GHG उत्सर्जन322 मिलियन टन 'CO_2 समतुल्य' था और विश्लेषकों का अनुमान है कि यह वर्ष 2018-19 के दौरान 72.329 मिलियन टन 'CO_2 समतुल्य' के स्तर तक पहुँच गया होगा।
- पुनर्योजी कृषि पद्धतियों (Regenerative Agriculture Practices) की ओर आगे बढ़ने से इसे कम किया जा सकता है और कार्बन फार्मिंग इस संक्रमण की गति को तीव्र कर सकती है।

कार्बन फार्मिंग एक व्यवहार्य विकल्प क्यों है ?

- जलवायु के अनुकूल: कार्बन फार्मिंग एक साहसिक नए कृषि व्यवसाय मॉडल का वादा करती है जो जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला कर सकती है, नए रोज़गार अवसरों का सृजन करेगी और लाभहीन भविष्य से खेतों की रक्षा करेगी।
- संक्षेप में यह एक जलवायु समाधान है, यह आय सृजन के अवसरों में वृद्धि करती है और वृहत आबादी के लिये खाद्य सुरक्षा जाल सुनिश्चित करती है।
- 'कार्बन कैप्चर' को इष्टतम करना: यह 'कार्बन कैप्चर' को इष्टतम करने के लिये एक समग्र कृषि दृष्टिकोण है जो उन अभ्यासों का अनुपालन करती है जो वातावरण से CO_2 को हटाने और इन्हें पादप सामग्री एवं मृदा के कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करने की दर में सुधार लाने के लिये जाने जाते हैं।
- कार्बन फार्मिंग हमारे किसानों को उनकी कृषि प्रक्रियाओं में पुनर्योजी अभ्यासों का अनुपालन करने के लिये प्रोत्साहित कर सकती है, जहाँ वे अपना ध्यान पैदावार में सुधार लाने से कार्यशील पारिस्थितिकी तंत्र और कार्बन की जब्ती (जिन्हें फिर कार्बन बाज़ारों में बेचा जा सकता है) की ओर मोड़ सकते हैं।
- किसानों के अनुकूल: यह न केवल मिट्टी के स्वास्थ्य में सुधार लाता है, बल्कि हाशिये पर स्थित किसानों के लिये कार्बन क्रेडिट से प्राप्त वर्द्धित/द्वितीय आय के साथ-साथ बेहतर गुणवत्तायुक्त, जैविक और रसायन-मुक्त खाद्य (Farm-to-Fork Models) जैसे परिणाम दे सकता है।
- कार्बन बाज़ार का विकास: वर्ष 2020 में वैश्विक कार्बन बाज़ारों के कुल मूल्य में 20% की वृद्धि हुई (रिकॉर्ड वृद्धि का लगातार चौथा वर्ष) और यह अधिकाधिक निवेशकों को आकर्षित करने की राह पर है।
- वर्ष 2021 में कार्बन डाइऑक्साइड परमिट के लिये वैश्विक बाज़ारों का कारोबार 164% बढ़कर 760 बिलियन यूरो (851 बिलियन डॉलर) के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।
- इस प्रकार कार्बन प्रभावी रूप से किसानों के लिये भविष्य की 'नकदी फसल' (cash crop) साबित हो सकता है

कार्बन फार्मिंग के महत्त्व के बारे में विश्व कितना जागरूक है ?

- पेरिस जलवायु सम्मेलन, 2015 में शुरू की गई '4 per 1000' नामक एक अंतर्राष्ट्रीय पहल ने दिखाया है कि दुनिया भर में मृदा कार्बन में मात्र4% वार्षिक वृद्धि करने से जीवाश्म ईंधन से होने वाले CO_2 उत्सर्जन में उस वर्ष की नई वृद्धि की भरपाई हो सकती है।
- राजनीतिक एजेंडा और जलवायु घोषणापत्र के दृष्टिकोण से भी कार्बन फार्मिंग को पसंद किया जा रहा है। अमेरिकी प्रशासन जलवायु परिवर्तन से मुक़ाबला करने की अपनी योजना के तहत किसानों के लिये एक कार्बन बैंक शुरू करने की योजना बना रहा है।
- अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मृदा को जलवायु परिवर्तन की लड़ाई का अगला मोर्चा घोषित किया था।
- वैश्विक निजी क्षेत्र में भी एक उत्साह देखा जा रहा है जहाँ मैकडॉनल्ड्स, टारगेट, कारगिल (Cargill) जैसे कॉर्पोरेट दिग्गज पुनर्योजी अभ्यासों का समर्थन करने के लिये धन का उपयोग करने की वचनबद्धता जता रहे हैं।
- वर्ष 2022 कार्बन कैप्चर निवेश के मामले में सबसे उल्लेखनीय वर्ष रहा है जहाँ स्ट्राइप, अल्फाबेट, मेटा और शॉपिफाई जैसी बड़ी टेक कंपनियों ने अगले आठ वर्षों में 925 मिलियन डॉलर मूल्य के कार्बन रीमूवल ऑफसेट की घोषणा की है।
- निजी क्षेत्र के इस उत्साह और तेज़ी से बढ़ती बाज़ार भावना को सार्वजनिक क्षेत्र के प्रोत्साहन की भी पूरकता प्रदान की जानी चाहिये।

नोट :

- भारत में मेघालय वर्तमान में पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये संवहनीय कृषि मॉडल का एक प्रोटोटाइप बनाने के लिये एक कार्बन फार्मिंग अधिनियम का खाका तैयार कर रहा है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र ने जैविक और संवहनीय कृषि पद्धतियों को अपनाने में व्यापक प्रगति दिखाई है; वर्ष 2016 में सिक्किम विश्व का पहला राज्य बन गया जो पूर्णत: जैविक है।

कार्बन फार्मिंग को प्रोत्साहित करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- मृदा क्षमता का दोहन: मृदा जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध सबसे अप्रयुक्त और कम उपयोग किये गए रक्षात्मक उपायों में से एक है तथा एक कुशल कार्बन सिंक के रूप में कार्य करती है। भारत को अपने शुद्ध शून्य लक्ष्य की प्राप्ति और डीकार्बोनाइजिंग मार्ग पर आगे बढ़ने के लिये इसका लाभ उठाना चाहिये।
- अध्ययनों से पता चलता है कि मृदा हर साल दुनिया के जीवाश्म-ईंधन उत्सर्जन का लगभग 25% दूर करती है, लेकिन यह अभी तक वैश्विक स्तर पर निर्धारित कार्बन प्रबंधन अभ्यासों और आख्यानों की लापता कड़ी रही है।
- कार्बन फार्मिंग के लिये कानूनी समर्थन: एक व्यापक एवं भविष्योन्मुखी कार्बन फार्मिंग अधिनियम, एक सुदृढ़ संक्रमण योजना के साथ, कार्यशील भूमि पर कार्बन सिंक निर्माण के विचार को प्रभावी ढंग से प्रदर्शित कर सकता है और जलवायु संकट का मुक़ाबला करने, पोषण में सुधार, कृषक समुदायों के अंदर असमानताओं को कम करने, भूमि उपयोग में परिवर्तन लाने के साथ ही हमारी खंडित खाद्य प्रणालियों को ठीक करने हेतु अत्यंत आवश्यक समाधान प्रदान कर सकता है।
- किसानों के लिये प्रत्यक्ष प्रोत्साहन: जलवायु-तटस्थ अर्थव्यवस्था के निर्माण के लिये भूमि क्षेत्र अत्यंत महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह वातावरण से CO_2 जब्त कर सकता है।
- हालाँकि कृषि एवं वानिकी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करने के लिये जलवायु-अनुकूल अभ्यासों को अपनाने हेतु प्रत्यक्ष प्रोत्साहनों का सृजन आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान में कार्बन सिंक की वृद्धि और संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिये कोई लक्षित नीति उपकरण मौजूद नहीं है।
- कार्बन क्रेडिट और कार्बन बैंक: किसानों को वैश्विक स्तर पर व्यापार योग्य कार्बन क्रेडिट के माध्यम से पुरस्कृत किया जा सकता है। कार्बन बैंक भी बनाए जा सकते हैं जो किसानों के साथ कार्बन क्रेडिट की खरीद और बिक्री करेंगे।
- इन क्रेडिटों को उन निगमों को बेचा जा सकता है जिन्हें अपने उत्सर्जन की भरपाई करने की आवश्यकता है।
- कार्बन-रिक्त मृदा के पुनरुद्धार के लिये किसानों को भुगतान करना प्राकृतिक जलवायु समाधान के लिये और ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्थिर करने के लिये एक बड़ा अवसर प्रदान करता है।
- सामूहिक भागीदारी: कार्बन फार्मिंग के समग्र ढाँचे की सफलता के लिये इसमें ठोस नीतियों, सार्वजनिक-निजी भागीदारियों, सटीक परिमाणीकरण पद्धतियों और इस विचार को कुशलतापूर्वक लागू करने के लिये सहायक वित्तपोषण को शामिल करना होगा।
- इस कार्य को ऐसे पैमाने पर पूरा करने की आवश्यकता है जहाँ कार्बन को अवशोषित एवं संग्रहीत करने वाली स्वस्थ मृदा को बनाए रखने के साथ-साथ मापन-योग्य कार्बन कैप्चर की प्राप्ति हो सके।

जीएसटी और राजकोषीय संघवाद

संदर्भ

वित्तीय संसाधनों के आवंटन से लेकर वस्तु एवं सेवा कर (GST) की दरों को तय करने तक के विभिन्न मुद्दों पर केंद्र और राज्यों के बीच चल रहे विवाद ने एक बार फिर हमारी संघीय संरचना से संबद्ध समस्याओं की ओर ध्यान दिलाया है और देश की प्रगति के लिये इनका समाधान किया जाना आवश्यक है।

- संघवाद के प्रति पारंपरिक दृष्टिकोण—जहाँ प्रतिस्पर्द्धा और सहकारिता के बीच गहरी असहमति देखी जाती है, 1990 के दशक के बाद के परिदृश्य में अब प्रासंगिक नहीं रह गया है। सहकारी और प्रतिस्पर्द्धी भावना का संयोजन समतापूर्ण और न्यायसंगत तरीके से राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि और कल्याण सुनिश्चित करता है।
- सहयोग और प्रतिस्पर्द्धा के प्रति एक अनुरूप दृष्टिकोण अपनाकर ही विश्व मंच पर भारतीय अर्थव्यवस्था के बढ़ते कद को और सुदृढ़ किया जा सकता है।

संघवाद

- संघवाद (Federalism) मूलत: एक द्वैध शासन प्रणाली है जिसमें एक केंद्र और कई राज्य शामिल होते हैं। संघवाद भारतीय संविधान की मूल संरचना (Basic Structure) के प्रमुख स्तंभों में से एक है।
- संघीय सिद्धांतकार के.सी. व्हेयर ने भारतीय संविधान को अर्द्ध-संघीय (Quasi-Federal) प्रकृति का माना है।
- सत पाल बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य (वर्ष 1969) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी माना कि भारत का संविधान संघीय या एकात्मक की तुलना में अर्द्ध-संघीय अधिक है।
- राज्यों और केंद्र से संबंधित विधायी शक्तियाँ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 254 तक में उपलब्ध हैं।

संघवाद की भावना को बढ़ावा देने के हाल के प्रयास

- नीति आयोग के कार्यकरण में राज्यों को अधिक स्वतंत्रता प्रदान करना, मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की लगातार बैठकें और राज्यपालों के साथ भारत के राष्ट्रपति की आवधिक बैठकें इस दिशा में किये गए हाल के प्रयास हैं।
- विकास प्रयासों की प्रगति के समीक्षा के लिये 'प्रगति' (PRAGATI- Pro-Active Governance and Timely Implementation) के कार्यान्वयन ने केंद्र और राज्यों के बीच अपेक्षित सामंजस्य का भी सृजन किया है।

GST के संबंध में राज्यों द्वारा प्रस्तुत चुनौतियाँ

- GST ने राज्यों को उपलब्ध अधिकांश स्वायत्तता का अंत कर दिया है और देश की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को प्रकृति में एकात्मक बना दिया है।
- वर्ष 2017 में GST लागू होने के बाद राज्य सरकारों ने अपनी स्वतंत्र कराधान की शक्तियाँ खो दीं।
- GST व्यवस्था से बाहर केवल शराब और ईंधन दो महत्त्वपूर्ण मद रह गए हैं जहाँ राज्य केंद्र सरकार से अनुमोदन प्राप्त किये बिना स्वयं के राजस्व सृजित कर सकते हैं।
- भारत की GST व्यवस्था 'मुआवजे की गारंटी' की एक ढीली व्यवस्था के साथ कार्यान्वित है जहाँ राज्यों ने गारंटीकृत राजस्व के बदले अपनी वित्तीय शक्तियों का समर्पण कर दिया है।
- हालाँकि कोविड-19 महामारी के दौरान GST शासन के तहत राज्यों को प्राप्त मुआवजे की गारंटी का केंद्र सरकार ने बार-बार उल्लंघन किया। राज्यों को उनके बकाया का भुगतान करने में देरी से आर्थिक मंदी का प्रभाव और गहन हो गया।
- GST मुआवजे की अवधि जून 2022 में समाप्त हो रही है और राज्यों द्वारा बार-बार अनुरोधों के बावजूद इसकी समय-सीमा नहीं बढ़ाई गई है।

GST के संबंध में संघवाद पर सर्वोच्च न्यायालय का हाल का निर्णय

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक निर्णय में लोकतंत्र के हित के लिये 'सहकारी संघवाद' (Cooperative Federalism) की भावना का आह्वान करते हुए यह मत व्यक्त किया कि संघ और राज्य विधानसभाओं के पास वस्तु एवं सेवा कर के मामले में विधि-निर्माण की ''एकसमान, समवर्ती और अद्वितीय शक्तियाँ'' (Equal, Simultaneous and Unique Powers) हैं, और GST परिषद की अनुशंसाएँ उन पर बाध्यकारी नहीं हैं।
- शीर्ष अदालत का यह निर्णय गुजरात उच्च न्यायालय के उस निर्णय की पुष्टि में आया जहाँ कहा गया था कि केंद्र भारतीय आयातकों के समुद्री माल पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (Integrated Goods and Services Tax- IGST) नहीं लगा सकता।
- सरल शब्दों में, संसद और राज्य विधानमंडलों के पास GST के तहत विधि-निर्माण की समवर्ती शक्तियाँ हैं।

आगे की राह

- राज्यों के प्रति संशोधित दृष्टिकोण: केंद्र राज्यों की चिंताओं और राजकोषीय दुविधाओं के प्रति अधिक सुलहपूर्ण होने का प्रयास कर सकता है।
- राजकोषीय संघवाद पर महत्त्वपूर्ण संवाद को सही दिशा में आगे बढ़ाने और भरोसे की कमी को दूर करने के लिये परिषद को अधिकाधिक बैठकें करनी चाहिये।

- कई सुधार लंबित पड़े हैं जिनके लिये केंद्र को राज्यों के साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने के लिये और भूमि, श्रम बाज़ार एवं कृषि जैसे पीछे रह गए क्षेत्रों को आगे ले जाने के लिये यह सहयोग महत्त्वपूर्ण है।
- क्षैतिज और लंबवत स्तर पर सहयोग: केंद्र और राज्यों के बीच लंबवत (केंद्र और राज्यों के बीच) और क्षैतिज (राज्यों के बीच) दोनों स्तरों पर साथ ही विभिन्न मोर्चों पर सहयोग आवश्यक है।
- इसमें वांछित परिणामों के लिये विकासात्मक उपायों का सुसामंजन, विकास संबंधी नीतिगत निर्णय, कल्याणकारी उपाय, प्रशासनिक सुधार, रणनीतिक निर्णय आदि सभी शामिल हैं।
- GST परिषद में सुधार: यह GST तंत्र में सुधार का उपयुक्त समय है। आवश्यकता यह है कि GST परिषद में कार्यकुशलता आए, भले ही न्यायालय ने कहा हो कि परिषद राजनीतिक होड़ की भी उतनी ही जगह है जितनी सहकारी संघवाद की।
- परिषद को राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से परे जाकर कार्य करना चाहिये।
- परिषद में राज्यों के पास असहमति का अधिकार होना चाहिये और निर्णयन की सर्वसम्मति के नाम पर उनकी आवाज़ दबाई नहीं जानी चाहिये।

सकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा को प्रोत्साहन: कैसे और क्यों?

- कैसे:
- राज्यों को एक-दूसरे के सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित कर संघवाद के प्रतिस्पर्द्धात्मक पहलू का सकारात्मक उपयोग किया जा सकता है। यह सकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा लंबवत और क्षैतिज रूप से सुनिश्चित की जा सकती है।
- निवेश आकर्षित करने की दिशा में राज्यों के सकारात्मक प्रयास शहरी और पिछड़े क्षेत्रों में समान रूप से आर्थिक गतिविधियों के लिये अनुकूल वातावरण तैयार कर सकते हैं।
- एक पारदर्शी रैंकिंग प्रणाली के साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा संघीय ढाँचे की वृहत लेकिन अब तक अप्रयुक्त क्षमता के पूर्ण भौतिककरण को सुनिश्चित करेगी।
- राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा से उन्हें स्थानीय व्यवसायों के लिये आवश्यक सहक्रियाओं के नवोन्मेष और सृजन में भी मदद मिलेगी।
- क्यों:
- सर्वोत्तम अभ्यासों को अपनाने और ज़मीनी स्तर पर सुधारों को लागू करने से MSMEs के लिये कारोबार सुगमता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- यह भारत की विनिर्माण क्षमता को अगले स्तर तक बढ़ाएगा और भारत की विकास कथा को मौलिक रूप से रूपांतरित करेगा।
- आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के परिणामस्वरूप GST का उच्च संग्रह होगा और इससे सरकार के कल्याणकारी उपायों को बढ़ावा मिलेगा।
- राज्यों के बीच प्रतिस्पर्द्धा के साथ केंद्र का उन्हें सहयोग एवं समर्थन वर्ष 2024 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को साकार कर सकता है।
- संबंधित पहल:
- राज्यों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा को बढ़ावा देने में नीति आयोग के क्षेत्र-विशिष्ट सूचकांकों ने महत्त्वपूर्ण योगदान किया है। ऐसे सूचकांक हैं:
- स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक
- सतत विकास लक्ष्य सूचकांक
- राज्य स्वास्थ्य सूचकांक
- भारत नवाचार सूचकांक
- समग्र जल प्रबंधन सूचकांक
- निर्यात प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक

नोट :

जैव-विविधता के संरक्षण हेतु बायोस्फीयर

संदर्भ

जैव-विविधता (Biodiversity) पृथ्वी की एक अत्यंत प्रमुख विशेषता है। इसकी उपस्थिति के बिना पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व की कल्पना करना संभव नहीं है।'जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये अंतर-सरकारी विज्ञान-नीति मंच' (Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services- IPBES) द्वारा वर्ष 2019 में 'जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट' (Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services) जारी की गई।

- इस रिपोर्ट का मुख्य लक्ष्य जैव-विविधता के क्षरण, जलवायु परिवर्तन, आक्रामक प्रजातियों, प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और शहरीकरण जैसी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना है।

IPBES

- यह एक अंतर्राष्ट्रीय और अंतर-सरकारी एजेंसी है जिसका उद्देश्य जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के लिये विज्ञान-नीति अंत:क्रिया की वृद्धि करना है।
- इसका मूल उद्देश्य जैव-विविधता संरक्षण (Biodiversity Conservation) और सतत् विकास (Sustainable Development) को बढ़ावा देना है।
- IPBES में आधिकारिक तौर पर 137 सदस्य राष्ट्र हैं। IPBES की सदस्यता किसी भी ऐसे देश के लिये उपलब्ध है जो संयुक्त राष्ट्र का सदस्य हो।
- हालाँकि IPBES संयुक्त राष्ट्र से संबद्ध नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) से सचिवालय की सेवाएँ प्राप्त करता है।

'जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर वैश्विक मूल्यांकन रिपोर्ट'

- इस मूल्यांकन का व्यापक लक्ष्य जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में वर्तमान स्थिति और प्रवृत्तियों का आकलन करना है।
- यह रिपोर्ट मानव कल्याण पर जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के प्रभावों के साथ-साथ 'जैव-विविधता के लिये रणनीतिक योजना' (Strategic Plan for Biodiversity) और 'आईची जैव-विविधता लक्ष्य' (Aichi Biodiversity Targets) जैसे उपचारात्मक उपायों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन भी करती है।
- रिपोर्ट पिछले पाँच दशकों के रुझानों की जाँच करती है और सतत् विकास एवं पर्यावरणीय प्रभावों के बीच के अंतर्संबंध पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।

आईची जैव-विविधता लक्ष्य

- आधिकारिक तौर पर 'जैव-विविधता के लिये रणनीतिक योजना 2011-2020' के रूप में 20 महत्त्वाकांक्षी किंतु प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों (जिन्हें A से E तक के 5 खंडों में विभाजित किया गया है) की एक शृंखला प्रदान करती है, जिन्हें सामूहिक रूप से 'आईची जैव-विविधता लक्ष्य' के रूप में जाना जाता है।
- रणनीतिक लक्ष्य A: सरकार और समाज के बीच जैव-विविधता को मुख्यधारा में लाकर जैव-विविधता के क्षरण के अंतर्निहित कारणों को संबोधित करना
- रणनीतिक लक्ष्य B: जैव-विविधता पर प्रत्यक्ष दबाव को कम करना और सतत उपयोग को बढ़ावा देना
- रणनीतिक लक्ष्य C: पारिस्थितिक तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता की रक्षा करके जैव-विविधता की स्थिति में सुधार करना
- रणनीतिक लक्ष्य D: जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं से सभी के लिये लाभ की वृद्धि करना
- रणनीतिक लक्ष्य E: भागीदारी योजना, ज्ञान प्रबंधन और क्षमता निर्माण के माध्यम से कार्यान्वयन में वृद्धि करना।

पृथ्वी की वहन क्षमता पर दबाव के कारण

- पारिस्थितिकीय वहन क्षमता (Ecological Carrying Capacity) को प्रजातियों की उस अधिकतम संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका वहन किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा किया जा सकता है।

नोट :

- पारिस्थितिक तंत्र की वहन क्षमता में कई गुना वृद्धि हुई है। पारिस्थितिकी तंत्र की वहन क्षमता में वृद्धि के साथ पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की उपलब्धता में वृद्धि होगी।
- पारिस्थितिक तंत्र सेवाएँ तभी लाभ प्रदान कर सकती हैं जब एक पारिस्थितिकी तंत्र का स्वास्थ्य और जैव-विविधता के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाए।
- जैव-विविधता के संरक्षण का वायु, जल और मृदा के प्रदूषण नियंत्रण उपायों से प्रत्यक्ष संबंध है।
- उच्च गुणवत्तापूर्ण पेयजल, पर्याप्त आहार एवं स्वस्थ आवास की उपलब्धता तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब प्रकृति के संतुलन को प्रभावित किये बिना पारिस्थितिकी तंत्र की जैव-विविधता का संरक्षण कर पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बहाल रखा जाए।
- यह हमारी ज़िम्मेदारी है और निश्चित रूप से हमारे हित में है कि हम पर्यावरण का सम्मान करें; यह सम्मान पर्यावरणीय, सांस्कृतिक या धार्मिक किसी भी दृष्टिकोण से प्रेरित हो सकता है।

बायोस्फीयर रिज़र्व पारितंत्र को यूनेस्को का समर्थन

- संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization- UNESCO) ने सर्वोत्कृष्ट तंत्रों में से एक की स्थापना की है जिसे 'वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व' के रूप में जाना जाता है।
- 'वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व' जब भी और जहाँ भी संभव हो, नए बायोस्फीयर रिज़र्व की स्थापना कर विश्व में बायोस्फीयर रिज़र्व की संख्या में वृद्धि का उद्देश्य रखता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी।
- बायोस्फीयर रिज़र्व मूल रूप से उन जगहों की सहकारिता और सह-अस्तित्व को बढ़ावा दे रहे हैं जहाँ मनुष्य प्रकृति के साथ सद्भाव में रहते हैं।
- पहला बायोस्फीयर रिज़र्व वर्ष 1977 में श्रीलंका में स्थापित किया गया था जिसे हुरुलु बायोस्फीयर रिज़र्व (Hurulu Biosphere Reserve) के रूप में जाना जाता है।
- यूनेस्को ने वर्ष 2000 में नीलगिरी पहाड़ियों को भारत के पहले बायोस्फीयर रिज़र्व के रूप में नामित किया।
- नीलगिरि बायोस्फीयर रिज़र्व तीन राज्यों—तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में विस्तृत है।
- वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिज़र्व द्वारा भारत के 18 स्थलों को बायोस्फीयर रिज़र्व की सूची में रखा गया है।
- वर्ष 2020 में पन्ना बायोस्फीयर रिज़र्व, मध्य प्रदेश को इस सूची में शामिल किया गया।
- भूटान, भारत और नेपाल में ग्लेशियर पारिस्थितिकी तंत्र, झील पारिस्थितिकी तंत्र और अल्पाइन पारिस्थितिकी तंत्र जैसे विभिन्न पारितंत्र मौजूद हैं। दक्षिण एशियाई भूभाग बायोस्फीयर रिज़र्व की बड़ी संख्या से समृद्ध है।
- कंचनजंघा बायोस्फीयर रिज़र्व (Khangchendzonga Biosphere reserve) की स्थापना वर्ष 2018 में हुई। यह विश्व के कुछ सबसे उच्चतम पारिस्थितिक तंत्रों से समृद्ध है।
- कंचनजंघा बायोस्फीयर रिज़र्व ऑर्किड की विभिन्न प्रजातियों और पादपों एवं जीवों की अन्य विभिन्न प्रजातियों को संपोषण देता है।
- इन बायोस्फीयर रिज़र्व से जुड़ी प्रमुख गतिविधियों में फसल उत्पादन, पशुपालन, मत्स्यग्रहण, डेयरी उत्पादन, कुक्कुट पालन आदि शामिल हैं।
- यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व के रूप में किसी स्थल को निर्दिष्ट किये जाने हेतु नामांकन राष्ट्रीय सरकार द्वारा किया जाता है, जिसे फिर यूनेस्को द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

दबाव कम करने के लिये क्या कदम उठाए जा सकते हैं?

- जैव-विविधता के संरक्षण के संबंध में विज्ञान-आधारित प्रबंधन योजनाओं पर यूनेस्को बायोस्फीयर रिज़र्व को प्राथमिकता से ध्यान देना चाहिये।
- जैव-विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा के लिये जैव-विविधता संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु, पर्यावरण शिक्षा, जल संरक्षण एवं अपशिष्ट प्रबंधन के संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान और निगरानी आवश्यक है। इसका उद्देश्य परिवर्तनों का पता लगाना और जलवायु प्रत्यास्थता की वृद्धि के लिये समाधान खोजना है।

- बांग्लादेश, भूटान और नेपाल यूनेस्को की प्राथमिकता सूची में हैं क्योंकि इन देशों में कोई भी बायोस्फीयर रिज़र्व मौजूद नहीं है। दृष्टिकोण यह यह है कि इनमें से प्रत्येक देश में कम से कम एक बायोस्फीयर रिज़र्व की स्थापना से आशा का संचार होगा।
- अंतर्राष्ट्रीय जैव-विविधता दिवस (International Day for Biological Diversity) जैव-विविधता संरक्षण की भावना को बढ़ावा देता है। इसमें पर्यावरण के प्रति सम्मान और इसके संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व की भावना निहित है।
- संवहनीय मानव जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण के मूल्यांकन के साथ-साथ वनस्पतियों एवं जीवों की प्रजातियों के संरक्षण और पुनर्बहाली के लिये स्थानीय समाधान एवं सर्वोत्तम अभ्यासों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

कोविड के दौर में FDI

संदर्भ

वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोविड-19 महामारी से प्रेरित व्यापक मंदी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में 30-40% की अपेक्षित गिरावट की विश्व निवेश रिपोर्ट के अनुमानों के बावजूद प्रत्यास्थी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं में FDI प्रवाह की अनुकूल स्थिति देखी गई जो वस्तुत: वैश्विक औसत से अधिक रही है।

- इसके अतिरिक्त, दक्षिण एशिया में भी इस अवधि के दौरान FDI में एक मज़बूत उछाल देखा गया जहाँ भारत में 27% की वृद्धि दर्ज हुई। उपयुक्त और त्वरित नीतिगत पहलें और अधिक विदेशी निवेशों को सुगम बनाएँगी और परिणामत: वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत की क्षमता में वृद्धि होगी।

विदेशी प्रत्यक्ष निवेश

- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) किसी एक देश के फर्म या व्यक्ति द्वारा दूसरे देश में स्थित व्यावसायिक हितों में किया गया निवेश है। FDI किसी निवेशक को एक विदेशी देश में प्रत्यक्ष व्यावसायिक हित खरीद की सुविधा प्रदान करता है।
- निवेशक कई तरह से FDI कर सकते हैं। दूसरे देश में एक सहायक कंपनी की स्थापना करना, किसी मौजूदा विदेशी कंपनी का अधिग्रहण या विलय अथवा किसी विदेशी कंपनी के साथ संयुक्त उद्यम साझेदारी इसके कुछ सामान्य तरीके हैं।
- प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आर्थिक विकास का एक महत्त्वपूर्ण चालक होने के साथ ही देश के आर्थिक विकास के लिये एक प्रमुख गैर-ऋण वित्तीय संसाधन भी रहा है।
- भारत सरकार ने हाल के वर्षों में रक्षा क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल रिफाइनरियों, दूरसंचार, बिजली एक्सचेंज और स्टॉक एक्सचेंज आदि में FDI मानदंडों में ढील देने जैसे कई कदम उठाए हैं।

भारत में FDI अंतर्वाह का विकास दर परिदृश्य

- वैश्विक स्तर पर और विभिन्न क्षेत्रों/देशों में FDI प्रवाह के हाल के रुझानों के एक विश्लेषण से पता चलता है कि भारत ने आम तौर पर उच्च FDI प्रवाह को आकर्षित किया है और पूंजी खाता उदारीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में अपने FDI नीति को क्रमिक रूप से उदार बनाकर अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिये शीर्ष आकर्षक स्थलों में से एक बना हुआ है।
- वर्ष 2017-18 में पहली बार FDI अंतर्वाह ने 60 बिलियन डॉलर को पार कर लिया और उद्योग संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT) ने वर्ष 2019-20 में 14% FDI विकास का आकलन किया जो पिछले चार वर्षों में सर्वाधिक था।
- वित्त वर्ष 2020-21 में कुल FDI प्रवाह7 बिलियन डॉलर का रहा जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 10% अधिक था, जबकि वित्त वर्ष 2021-22 में FDI 83.57 बिलियन डॉलर के 'उच्चतम' स्तर तक पहुँच गया।
- सिल्वर लेक, गूगल, फेसबुक, फॉक्सकॉन, पीआईएफ (सऊदी अरब), जनरल अटलांटिक (सिंगापुर), हिताची, वॉलमार्ट और कैटरटन जैसे कॉर्पोरेट दिग्गजों से भारतीय अर्थव्यवस्था में अरबों डॉलर के निवेश की उम्मीद है।

नोट :

किन कारकों ने उच्च FDI अंतर्वाह को सुगम बनाया?

- 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियानों के साथ ही वैश्विक आपूर्ति शृंखलाओं में भारत की मज़बूत स्थिति ने पिछले कुछ वर्षों में FDI प्रवाह को गति प्रदान की है।
- कोविड-19 महामारी की पहली लहर ने लगभग 1,000 कंपनियों को अपना बेस चीन से बाहर स्थानांतरित करने के लिये प्रेरित किया, जिनमें से लगभग 300 कंपनियाँ चिकित्सकीय एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, मोबाइल और वस्त्र क्षेत्रों की थीं।
- 600 से अधिक कर्मचारियों वाली लावा इंटरनेशनल जैसी कंपनी ने अपना बेस चीन से भारत में स्थानांतरित करने की मंशा प्रकट की है।
- अर्थव्यवस्था के अधिकांश क्षेत्रों के लिये भारत विश्व में सबसे उदारीकृत FDI कानूनों का प्रवर्तन करता है, जो स्वचालित मार्ग से 100% तक विदेशी निवेश की अनुमति देता है।
- भारत ने अपनी FDI नीति में नकारात्मक सूची दृष्टिकोण को अपनाया है, जहाँ केवल उन क्षेत्रों एवं गतिविधियों को सूचीबद्ध किया गया है जो विदेशी निवेश के लिये विनियमन के अधीन हैं। दस्तावेज में जिन क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया गया है, वे सभी स्वचालित मार्ग से 100% FDI प्राप्त करने के लिये खुले हैं।
- निवेशकों के लिये उदार एवं आकर्षक नीति व्यवस्था, एक अच्छा कारोबारी माहौल और सरल नियामक ढाँचे के कारण उच्च FDI प्रवाह संभव हुआ है।

इन FDI अंतर्वाहों का क्या प्रभाव होगा?

- स्थूल आर्थिक चरों पर FDI प्रवाह में हाल के उछाल के प्रभाव को देखते हुए भारत के सकल घरेलू उत्पाद में68% की अनुमानित वृद्धि होगी।
- धातु, निर्माण, मशीनरी व उपकरण, मोटर वाहन के पुर्जे, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑप्टिकल उत्पादों जैसे क्षेत्रों के औद्योगिक उत्पादन में अन्य क्षेत्रों की तुलना में भारी वृद्धि की उम्मीद है।
- पैमाने में FDI-प्रेरित वृद्धि, गुणवत्ता मानक एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ-साथ रोज़गार के अवसरों में वृद्धि से निर्यात में भी वृद्धि की उम्मीद है।

भारत इस विकास को कैसे बरकरार रख सकता है?

- वैश्विक निवेशकों के लिये अनुकूल माहौल के निर्माण में सरकारी नीतियाँ और निर्णय महत्त्वपूर्ण हैं। महामारी से प्रेरित व्यवधानों ने भारत को अपने वैश्विक उपस्थिति का विस्तार करने का अवसर दिया है।
- सरकार सभी स्तरों पर नीतिगत पहलों और सुधारों की एक शृंखला के माध्यम से FDI वातावरण को सुदृढ़ करने का प्रयास कर रही है।
- इस क्रम में निर्यात में और वृद्धि हेतु एक मज़बूत व्यापार नीति, समावेशी विकास को बढ़ावा देना और भारतीय उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनाने के लिये अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करना महत्त्वपूर्ण होगा।
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) की तुलना में FDI में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को बढ़ावा देने की अधिक क्षमता है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि भारत गंभीर, दीर्घकालिक निवेशकों के लिये एक आकर्षक, सुरक्षित, अनुमानित गंतव्य बना रहे।
- यदि हम निरंतर विदेशी निवेश की इच्छा रखते हैं तो एक समान अवसर प्रदान किया जाना भी आवश्यक है। स्थानीय खिलाड़ियों के प्रति गुप्त वफादारी की प्रवृत्ति से बचना चाहिये।

फोकस के मुख्य क्षेत्र कौन-से होने चाहिये?

- कुछ राज्यों में केंद्रित: FDI कुछ भारतीय राज्यों में केंद्रित रहा है। भारत में 60-70% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे तेज़ी से विकास कर रहे राज्यों को प्राप्त होते हैं। इन राज्यों में भी आपस में व्यापक विषमता है।
- यही वे राज्य भी हैं जो FDI अनुमोदनों को वास्तविक अंतर्वाह में परिवर्तित करने में सबसे अधिक सफल रहे हैं।
- अन्य राज्यों को FDI प्रवाह के दायरे में लाना प्रमुख फोकस क्षेत्रों में से एक होना चाहिये।
- राज्यों की भूमिका: भारत की संघीय संरचना राज्यों को कुछ क्षेत्रों के लिये विशिष्ट प्रोत्साहनों की पेशकश के साथ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये अपनी स्वयं की निवेश नीतियों की अभिकल्पना का अधिकार देती है।

- उदाहरण के लिये, कर्नाटक FDI आकर्षित करने के मामले में बेहद आक्रामक रहा है और उसने निवेश सब्सिडी, निर्यात-उन्मुख इकाइयों के लिये छूट, और आईटी, जैव प्रौद्योगिकी एवं व्यापार प्रक्रिया आउटसोर्सिंग जैसे विशिष्ट उद्योगों के लिये रिफंड एवं वित्तीय प्रोत्साहन जैसी नीतियों की एक विस्तृत शृंखला की रूपरेखा तैयार की है।
- अन्य राज्यों द्वारा भी कर्नाटक के उदाहरण का अनुकरण किया जा सकता है।
- अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों पर समान रूप से ध्यान केंद्रित करना: भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रभावित करने वाले अन्य महत्त्वपूर्ण कारकों में कॉर्पोरेट कर, व्यापार खुलापन और अन्य व्यावसायिक जलवायु मुद्दों सहित व्यापक आर्थिक नीतियाँ शामिल हैं।
- अपनी FDI व्यवस्था के उदारीकरण में भारत की प्रगति उल्लेखनीय FDI प्रवाह आकर्षित करने के लिये एक आवश्यक तो है लेकिन यही पर्याप्त शर्त नहीं है।
- FDI के लिये भारत की अपार क्षमता पर वर्तमान अंतरराष्ट्रीय ध्यान के साथ यह उपयुक्त समय है कि भारत संरचनात्मक सुधारों की दिशा में तीव्र प्रगति पर बल दे ताकि FDI अंतर्वाह में व्यापक वृद्धि हो।

ईएसजी: महत्त्व एवं संभावनाएँ

संदर्भ

परंपरागत रूप से निवेश संबंधी निर्णय मुख्य रूप से वित्तीय मानकों द्वारा संचालित होते हैं। हालाँकि, जलवायु परिवर्तन को लेकर बढ़ती चिंताओं के साथ, विकास के सतत् मॉडल (और इसलिये, निवेश) की ओर आगे बढ़ने के माध्यम से इसके प्रति अनुकूलित होना और इसके परिणामों का शमन करना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख चिंताओं के रूप में उभरा है।

- सतत्/संवहनीय निवेशन पर निवेशकों का ध्यान बढ़ रहा है, जहाँ वे वित्त-केंद्रित निवेश मॉडल से अधिक सामाजिक एवं पर्यावरणीय रूप से उत्तरदायी दीर्घकालिक निवेश प्रवृत्तियों की ओर आगे बढ़ रहे हैं। परिणामस्वरूप वैश्विक स्तर पर 'पर्यावरण, सामाजिक और शासन (Environmental, Social and Governance- ESG) निवेश की मांग ने उल्लेखनीय आकर्षण प्राप्त किया है।
- पिछले कुछ वर्षों में 'ईएसजी फंड' (ESG Funds) की परिसंपत्ति का आकार लगभग पाँच गुना बढ़कर 12,300 करोड़ रुपए का हो गया है।

ईएसजी लक्ष्य (ESG Goals) क्या हैं?

- 'पर्यावरण, सामाजिक और शासन लक्ष्य' कंपनी के संचालन के लिये मानकों का एक ऐसा समूह है जो कंपनियों को बेहतर शासन, नैतिक अभ्यासों, पर्यावरण-अनुकूल उपायों और सामाजिक उत्तरदायित्वों का पालन करने के लिये विवश करते हैं।
- पर्यावरणीय मानदंड इस बात पर विचार करते हैं कि कोई कंपनी प्रकृति के परिचारक के रूप में कैसा प्रदर्शन करती है।
- सामाजिक मानदंड यह परीक्षण करते हैं कि कंपनी अपने कर्मचारियों, आपूर्तिकर्त्ताओं, ग्राहकों और स्थानीय समुदायों (जहाँ वह संचालित होती है) के साथ अपने संबंधों का प्रबंधन कैसे करती है।
- शासन किसी कंपनी के नेतृत्व, कार्यकारी वेतन, लेखा परीक्षा, आंतरिक नियंत्रण और शेयरधारक अधिकारों से संबोधित होता है।
- यह निवेश निर्णयों को निर्देशित करने के लिये एक मीट्रिक के रूप में गैर-वित्तीय कारकों पर ध्यान केंद्रित करता है जहाँ वित्तीय रिटर्न में वृद्धि अब निवेशकों का एकमात्र उद्देश्य नहीं रह गया है।
- वर्ष 2006 में 'यूनाइटेड नेशंस प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट' (United Nations Principles for Responsible Investment- UN-PRI) के आरंभ के साथ ईसीजी ढाँचे को आधुनिक समय के व्यवसायों की एक अविभाज्य कड़ी के रूप में मान्यता दी गई है।

ईएसजी फंड

- ईएसजी फंड एक प्रकार का म्यूचुअल फंड है। इसका निवेश सतत् निवेश या सामाजिक रूप से उत्तरदायी निवेश के समानार्थी रूप से उपयोग किया जाता है।
- इस प्रकार, ईएसजी फंड और अन्य फंडों के बीच प्रमुख अंतर 'विवेक' का है।

- ईएसजी फंड पर्यावरण-अनुकूल अभ्यासों, नैतिक कारोबार अभ्यासों और कर्मचारी-अनुकूल रिकॉर्ड रखने वाली कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करता है।
- इस फंड को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

ईएसजी कॉरपोरेट्स और उनके हितधारकों के लिये मूल्य सृजन कैसे करता है?

- राजस्व में वृद्धि: ईएसजी सिद्धांतों के साथ संरेखण से कंपनियों को मौजूदा बाज़ारों का विस्तार करने और उनकी 'ब्लू ओशन रणनीति' (Blue Ocean Strategy) के एक अंग के रूप में विकास के नए अवसर प्रदान करने में मदद मिलती है।
- सार्वजनिक छवि में सुधार: ईएसजी-अनुपालनकर्त्ता कंपनियों को कम लागत पर संसाधनों (प्राकृतिक, वित्तीय, मानव प्रतिभा आदि) तक आसान पहुँच प्राप्त होती है।
- धन जुटाने के लिये ईएसजी महत्त्वपूर्ण है और भारत जैसे देशों में अन्य संसाधनों तक मुक्त पहुँच भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है, जहाँ कंपनियों को आरक्षित क्षेत्रों में नई परियोजनाएँ शुरू करते समय स्थानीय समुदायों के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है।
- दीर्घकालिक संवहनीयता: ईएसजी ढाँचे का अनुपालन कंपनियों को अधिक सतत् निवेश अवसरों की तलाश करने के लिये प्रोत्साहित करता है जो दीर्घावधि में प्रतिस्पर्द्धात्मक लाभ सृजित करता है।
- निम्न कार्बन उत्सर्जन, अपशिष्ट में कमी, इष्टतम जल-उपयोग, उच्च रोज़गार सृजन और अपेक्षाकृत बेहतर प्रकटीकरण रखने वाली कंपनियाँ ईएसजी सूचकांक में उच्च स्कोर प्राप्त कर सकेंगी।
- कर्मचारी उत्पादकता में वृद्धि: कंपनी पारितंत्र के साथ ईएसजी का एकीकरण कर्मचारियों के बीच एक 'उद्देश्य-संचालित-जीवन' (Purpose-Driven-Life) सन्निहित करता है ताकि वे अपनी नौकरी में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकें।
- लागत/जोखिम में कमी: शेयरधारक शिकायत का निवारण, मानवाधिकार और कंपनियों की लैंगिक विविधता जैसे ईएसजी मानदंडों की पूर्ति के परिणामस्वरूप अर्थदंड एवं प्रवर्तन कार्रवाई में कमी आएगी।

ईएसजी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये कौन-सी पहलें की गई हैं?

- कंपनियों के लिये ईएसजी प्रकटीकरण आवश्यकताओं की पहचान करने की दिशा में प्रारंभिक उल्लेखनीय कार्रवाई वर्ष 2011 में कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई 'कारोबार के सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक दायित्वों पर राष्ट्रीय स्वैच्छिक दिशानिर्देश' (National Voluntary Guidelines on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business) के रूप में प्रकट हुई।
- वर्ष 2012 में सेबी ने 'बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट' (BRR) तैयार की, जिसने बाज़ार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 100 सूचीबद्ध संस्थाओं (जिसे वर्ष 2015 में शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं तक विस्तारित कर दिया गया) के लिये उनकी वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में BRR फ़ाइल करना अनिवार्य कर दिया।
- वर्ष 2021 में सेबी ने मौजूदा बीआरआर रिपोर्टिंग आवश्यकता को एक अधिक व्यापक एकीकृत तंत्र 'बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट' (BRSR) से प्रतिस्थापित कर दिया।
- यह वित्त वर्ष 2022-23 से शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध संस्थाओं (बाजार पूंजीकरण के अनुसार) पर अनिवार्य रूप से लागू होगा।
- BRSR 'उत्तरदायी व्यावसायिक आचरण पर राष्ट्रीय दिशानिर्देश' (NGBRCs) के नौ सिद्धांतों पर सूचीबद्ध संस्थाओं से उनके प्रदर्शन पर प्रकटीकरण की अपेक्षा रखता है।

हितधारक इस पर कैसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं?

- भारतीय निवेशक ईएसजी अनुपालनकर्त्ता कंपनियों और निवेश उत्पादों में अधिक रुचि दिखा रहे हैं और कंपनियां अपनी कॉर्पोरेट प्रशासन रणनीतियों में ईएसजी को शामिल करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही हैं।
- उदाहरण के लिये, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने वर्ष 2030 तक 'शुद्ध शून्य उत्सर्जन' प्राप्त करने के लिये अपने पूर्ण GHG उत्सर्जन को कम करने की योजना का खुलासा किया है।
- गाजियाबाद नगर निगम भारत का पहला नगर निकाय बन गया है जिसने अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग के लिये पर्यावरणीय रूप से संवहनीय एक परियोजना हेतु बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) में सूचीबद्ध ग्रीन बॉण्ड जारी किया है।

नोट :

आगे की राह

- नीति-निर्माताओं की भूमिका: नीति निर्माताओं को धीरे-धीरे एक अधिक व्यापक और विस्तृत ईएसजी रिपोर्टिंग व्यवस्था के निर्माण की ओर आगे बढ़ना चाहिये जहाँ लक्ष्य हो कि सभी सूचीबद्ध एवं गैर-सूचीबद्ध संस्थाओं को शामिल किया जाए और उन्हें ईएसजी रिपोर्टिंग ढाँचे के दायरे में लाया जाए।
- ईएसजी निवेश की बढ़ती मांग का अर्थ है कि पर्याप्त प्रकटीकरण की बढ़ती हुई आवश्यकता और एक रिपोर्टिंग तंत्र की स्थापना की जाए ताकि पर्यावरणीय, सामाजिक और शासन संबंधी चुनौतियों के जोखिम मूल्यांकन और शमन उपायों को शामिल कर दीर्घावधि के स्थायी रिटर्न के लक्ष्यों की ओर झुकाव वाले बदलते निवेश रुझानों के साथ तालमेल बिठाया जा सके।
- मानकीकृत ईएसजी मानदंड: ईएसजी मानदंडों पर मात्रात्मक और मानकीकृत प्रकटीकरण एक अधिक समग्र दृष्टिकोण सुनिश्चित करेगा, हितधारकों को वित्तीय और गैर-वित्तीय दोनों सूचनाएँ प्रदान करेगा और इस बारे में संक्षिप्त संचार करेगा कि संवहनीयता संबंधी मुद्दों पर अधिक पारदर्शिता प्राप्त करने के उद्देश्य के अनुरूप कैसे एक संगठन की रणनीति, शासन, प्रदर्शन और संभावनाएँ समय के साथ मूल्य सृजित करेंगी।
- निवेशकों और कंपनियों की भूमिका: निवेशकों को न केवल बढ़े हुए वित्तीय रिटर्न हासिल करने की ओर उन्मुख होना चाहिये, बल्कि सतत् विकास के साथ अपने पोर्टफोलियो को संरेखित करने के लिये भी तत्पर रहना चाहिये।
- कंपनियों के कॉर्पोरेट प्रशासन अभ्यासों के साथ ईएसजी प्रकटीकरण को एकीकृत करना निवेश के दृष्टिकोण से अत्यंत परिणामी होता जा रहा है क्योंकि यह कंपनियों के मूल्य का आकलन करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- व्यापार रणनीति/नीतियों में ईएसजी कारकों को ध्यान में नहीं रखने के परिणाम भविष्य में व्यावसायिक प्रक्रियाओं को निरर्थक बना सकते हैं, क्योंकि कानूनी और विनियामक परिवर्तन भविष्य में कारोबार करने के विशेष तरीके को निषिद्ध कर सकते हैं और इस प्रकार निवेशकों के दृष्टिकोण से इसकी व्यवहार्यता कम हो सकती है।

किन अन्य चुनौतियों को संबोधित करने की आवश्यकता है?

- सीमा-पार रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के मानकीकरण की कमी ईएसजी सिद्धांतों, ढाँचे और विचारों के सामंजस्य में कठिनाइयाँ उत्पन्न कर सकती हैं।
- ईएसजी मानकों की पारदर्शिता, निरंतरता, भौतिकता और तुलनीयता से संबंधित अन्य चुनौतियाँ भी आगे ईएसजी रिपोर्टिंग ढाँचे के निर्बाध कार्यान्वयन में बाधाएँ खड़ी कर सकती हैं।
- हालाँकि मध्यम और लघु कंपनियों में ईएसजी का उपयोग बढ़ रहा है, लेकिन इन छोटे व्यवसायों को उच्च पूंजी लागत और/या ऐसे उपायों को लागू करने में विशेषज्ञता की कमी के कारण ईएसजी पर न्यूनतम से अधिक करने के लिये सीमित किया जा सकता है।
- भविष्य में ईएसजी रिपोर्टिंग का एक प्रभावी और कुशल तंत्र तैयार करने के लिये इन चिंताओं को दूर किया जाना चाहिये।

खाद्य सुरक्षा तथा वर्तमान परिदृश्य

यूरोप में अप्रत्याशित रूस-यूक्रेन युद्ध ने सभी आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित कर दिया और गेहूं से लेकर जौ, खाद्य तेल और उर्वरकों तक प्रत्येक वस्तु की कमी की स्थिति उत्पन्न की। हालाँकि, अधिक गहरी, दीर्घकालिक चिंता जलवायु परिवर्तन के साथ-साथ बढ़ते तापमान को लेकर है जो फसलों को और खाद्य आत्मनिर्भरता को प्रभावित करेंगे।

सरकार यह भी समझती है कि कोविड-19 महामारी के कारण लोगों के व्यय करने की शक्ति में भारी गिरावट आई है और कुछ के लिये भूख एक लगातार बढ़ता संकट बनता जा रहा है। इसलिये, सरकार ने मुफ्त राशन योजना की अवधि को सितंबर 2022 तक के लिये छह माह और बढ़ा दिया है।

वृहत परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व के तीसरे सबसे बड़े ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक और जलवायु परिवर्तन के प्रति सबसे संवेदनशील देशों में से एक के रूप में भारत के लिये अपने आर्थिक विकास को निम्न कार्बन गहन बनाना उसके व्यापक हित में है।

जलवायु परिवर्तन खाद्य सुरक्षा से कैसे संबंधित है ?

- जलवायु परिवर्तन और खाद्य प्रणाली का अंतर्संबंध: जलवायु संकट वैश्विक खाद्य प्रणाली के सभी अंगों को—उत्पादन से लेकर उपभोग तक, प्रभावित करता है।
- यह भूमि एवं फसलों को नष्ट करता है, पशुधन की हानि करता है, मत्स्य पालन को कम करता है और बाज़ारों की ओर परिवहन को बाधित करता है जो आगे खाद्य उत्पादन, उपलब्धता, विविधता, पहुँच और सुरक्षा को प्रभावित करता है।
- इसके साथ ही, खाद्य प्रणालियाँ पर्यावरण को भी प्रभावित करती हैं और जलवायु परिवर्तन की वाहक होती हैं। आकलन बताते हैं कि खाद्य क्षेत्र वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 30% का योगदान करता है।
- वैश्विक समस्या: भारत और पाकिस्तान के साथ-साथ कई अन्य देशों में भीषण गर्मी की घटनाएँ प्रकट हो रही हैं। मई 2022 में फ्राँस में कई दिनों 30-35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया।
- इसके अतिरिक्त, वर्षा में सामान्य से एक तिहाई की कमी आई है और इससे गेहूँ एवं जौ जैसी शीतकालीन फसलें प्रभावित होंगी।
- अनाज उत्पादन में गिरावट: कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे विश्व के अन्य हिस्सों ने भी पिछले दो-तीन वर्षों में असामान्य रूप से शुष्क एवं गर्म मौसम का अनुभव किया है।
- दूसरी बड़ी अनिश्चितता यह है कि क्या 'ला नीना' तीसरे वर्ष भी जारी रहेगी और अमेरिका के अनाज उत्पादन को आगे और प्रभावित करेगी।

जलवायु परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा की वर्तमान स्थिति

- भारतीय मौसम विभाग (IMD) द्वारा मार्च 2022 को 122 वर्ष पूर्व रिकॉर्ड-कीपिंग शुरू किये जाने के बाद से अब तक का सबसे गर्म माह घोषित किया गया।
- औसत तापमान से लगातार ऊपर का तापमान: अध्ययन के अनुसार तापमान में औसत तापमान से लगातार 3-8 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई है जिसने देश के कई हिस्सों में कई दशकों के और कुछ सर्वकालिक रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
- भारत ने अप्रैल 2022 में वनाग्नि की लगभग 300 घटनाएँ देखी।
- इसने भारतीय उपमहाद्वीप में भविष्य में ग्रीष्म लहरों की स्थिति के बारे में कुछ अनुमान भी प्रकट किये हैं।
- चरम मौसम और इसका प्रभाव: चरम मौसमी घटनाएँ, जिनके बारे में माना जाता था कि वे 100 वर्षों में एक बार घटित होती हैं, अब पहले की तुलना में 30 गुना अधिक (अथवा प्रत्येक तीन से पाँच वर्ष के मध्य) होने की संभावना रखती हैं।
- मार्च 2022 सबसे शुष्क दर्ज माहों में से एक रहा और अप्रैल 2022 में उत्तर भारत के फसल उत्पादन क्षेत्रों में सामान्य से कम वर्षा हुई।
- केरल के कुछ हिस्सों में बेमौसम बारिश ने किसानों को जलमग्न खेतों से धान की कटाई के लिये मज़बूर किया, जिसके परिणामस्वरूप निम्न-गुणवत्ता की फसलें प्राप्त हुई।
- विदेशी बिक्री प्रतिबंध: अत्यधिक कम वर्षा के साथ चरम ग्रीष्म लहर ने भारत के पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अनाज उत्पादन क्षेत्रों में गेहूँ की फसल को प्रभावित किया।
- फसल की पैदावार में 20% की कमी आई है और इसके कारण सरकार को 'दुनिया का पेट भरने' ('feed the world') का अपना प्रस्ताव वापस लेना पड़ा क्योंकि निर्यातित गेहूँ की हाजिर कीमतों में माह-दर-माह 60% की वृद्धि हुई। सरकार द्वारा गेहूँ की विदेशी बिक्री पर प्रतिबंध के बाद इनकी कीमतों में नरमी आ सकी।

खाद्य सुरक्षा पर रूस-यूक्रेन युद्ध का प्रभाव

- मुद्रास्फीति की वृद्धि: विश्व के गेहूँ, मक्का एवं जौ का एक महत्त्वपूर्ण अंश युद्ध के कारण रूस और यूक्रेन में अटक गया है, जबकि विश्व के उर्वरकों का इससे भी बड़ा अंश रूस और बेलारूस में फँस गया है।
- इसके परिणामस्वरूप वैश्विक खाद्य और उर्वरकों की कीमतें बढ़ रही हैं। रूसी आक्रमण के बाद से गेहूँ की कीमतों में 21%, जौ की कीमतों में 33% और कुछ उर्वरकों की कीमतों में 40% वृद्धि दर्ज की गई है।
- उर्वरक बाज़ारों पर प्रभाव: प्रतिबंधों ने रूस के सबसे निकट सहयोगी बेलारूस को भी प्रभावित किया है, जो पोटाश-आधारित उर्वरक का एक प्रमुख उत्पादक है। सोयाबीन और मकई सहित कई प्रमुख फसलों के लिये पोटाश अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

- एक रिपोर्ट के अनुसार, उर्वरक बाज़ारों पर युद्ध का प्रत्यक्ष प्रभाव सर्वप्रथम भारत और ब्राजील में खाद्य उत्पादन के मौसम में अनुभव किया जाएगा।
- ईंधन की कीमतों में उछाल: रूस-यूक्रेन संघर्ष ईंधन की बढ़ती कीमतों के लिये ज़िम्मेदार है क्योंकि आपूर्ति शृंखला (विशेष रूप से कच्चे तेल की) बाधित हो गई है, जो पहले से ही दबावग्रस्त वैश्विक आपूर्ति और विश्व भर में निम्न भंडारण स्तर पर और भी अधिक दबाव बढ़ाएगी।

जलवायु परिवर्तन के बीच खाद्य सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है?

- प्रौद्योगिकी का विकास: सरकार नए बीज विकसित कर सकती है और प्रौद्योगिकी में सुधार कर सकती है जो अनाज भंडारण की समस्या को दूर करने, सिंचाई कवरेज में सुधार लाने, उर्वरक का अधिक प्रभावी उपयोग करने और मृदा का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करेगी।
- कृषि को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और लाभदायक बनाना भी आवश्यक है।
- निर्धनों के लिये प्रत्यास्थता का निर्माण: निर्धन और कमज़ोर समुदायों के लिये अनुकूलन और प्रत्यास्थता-निर्माण खाद्य सुरक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बढ़ते तापमान के साथ लोगों और प्रकृति पर जलवायु चरमता के प्रतिकूल प्रभाव बढ़ते रहेंगे, कार्रवाई और समर्थन (वित्त, क्षमता-निर्माण और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण) की वृद्धि के लिये तत्काल बल दिया जाना उपलब्ध सर्वोत्कृष्ट विज्ञान के अनुरूप अनुकूलन क्षमता को बढ़ाने, प्रत्यास्थता को सुदृढ़ करने और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को कम करने के लिये आवश्यक है।
- संवहनीय खाद्य प्रणाली: उत्पादन, मूल्य शृंखला और उपभोग में संवहनीयता हासिल करनी होगी। जलवायु-प्रत्यास्थी फसल पैटर्न को बढ़ावा देना होगा। संवहनीय/सतत कृषि के लिये किसानों को इनपुट सब्सिडी देने के बजाय नकद हस्तांतरण किया जा सकता है।
- जलवायु-भूख संकट (Climate-Hunger Crisis) से निपटने के लिये बहु-आयामी दृष्टिकोण: कमज़ोर समुदायों की आजीविका की रक्षा और उसमें सुधार के माध्यम से प्रत्यास्थी आजीविका एवं खाद्य सुरक्षा समाधानों का निर्माण करना।
- जलवायु जानकारी एवं तैयारियों के साथ छोटे किसानों के लिये सतत अवसरों, वित्त तक पहुँच और नवाचार के माध्यम से एक प्रत्यास्थी कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देना।
- खाद्य सुरक्षा और जलवायु जोखिम के बीच के संबंध को संबोधित कर खाद्य सुरक्षा बढ़ाने के लिये भेद्यता विश्लेषण हेतु नागरिक समाज और सरकारों की क्षमता एवं ज्ञान का निर्माण।
- भारत की भूमिका: राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर चल रहे और अब पर्याप्त नीतिगत कार्य के साथ भारत को एक बड़ी भूमिका निभानी है।
- भारत को अपनी खाद्य प्रणालियों को रूपांतरित करना होगा ताकि उच्च कृषि आय और पोषण सुरक्षा के लिये उन्हें अधिक समावेशी और संवहनीय बनाया जा सके।
- जल के अधिक समान वितरण और संवहनीय एवं जलवायु-प्रत्यास्थी कृषि के लिये मोटे अनाज, दलहन, तिलहन और बागवानी की ओर फसल पैटर्न के विविधीकरण की आवश्यकता है।
- अनुकूलन वित्त: विकासशील देशों में अनुकूलन का समर्थन करने के लिये विकसित देशों द्वारा जलवायु वित्त को बढ़ाने पर हाल में जताई गई प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य है।
- हालाँकि, अनुकूलन के लिये वर्तमान जलवायु वित्त और हितधारकों का आधार बिगड़ते जलवायु परिवर्तन प्रभावों पर कार्रवाई के लिये अपर्याप्त है।
- बहुपक्षीय विकास बैंक, अन्य वित्तीय संस्थान और निजी क्षेत्र जलवायु योजनाओं की पूर्ति के लिये (विशेष रूप से अनुकूलन के लिये) आवश्यक संसाधनों के वृहत स्तर पर वितरण हेतु वित्तपोषण में वृद्धि कर सकते हैं।

निष्कर्ष

नवीकरणीय ऊर्जा के मामले में प्रगति, इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने और भारत को हरित ऊर्जा पावरहाउस में बदलने के साथ भारत सरकार एक शुरुआत कर रही है। इसके साथ ही, लाखों लोगों को निर्धनता से बाहर निकालने की भी तत्काल आवश्यकता है और इस स्थिति को अभी संबोधित करना अनिवार्य है क्योंकि कृषि उत्पादकता में गिरावट के परिणामस्वरूप खाद्य कीमतों में वृद्धि होगी और इसका अर्थ होगा उनके लिये अधिक आर्थिक कठिनाइयाँ।

नोट :

महिलाओं में पोषण

संदर्भ

विभिन्न अध्ययनों के अनुसार किशोरावस्था जीवन का वह चरण है जो पोषकता के दृष्टिकोण से विशिष्ट मांग रखता है। यद्यपि इस अवस्था के दौरान किशोर लड़के और लड़कियाँ दोनों ही भावनात्मक परिवर्तनों का सामना करते हैं, लेकिन लड़कियों को लड़कों की तुलना में अधिक शारीरिक आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है और इसलिये उन्हें स्थूल एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को अधिक मात्रा में ग्रहण की आवश्यकता होती है।

- समाज में महिलाओं के साथ पारंपरिक रूप से भेदभाव किया जाता रहा है और उन्हें राजनीतिक एवं परिवार-संबंधी निर्णयों से बाहर रखा जाता है। परिवार के भरण-पोषण में उनके दैनिक योगदान के बावजूद उनकी राय को शायद ही कभी महत्त्व दिया जाता है और उनके अधिकार सीमित हैं।
- समाज वस्तुत: कई महिला अधिकारों को चिह्नित भी करता है, जिसमें राजनीतिक भागीदारी, पारिवारिक भत्ता और व्यवसाय स्थापित करने जैसे अधिकार शामिल हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता और सूचना का अभाव महिलाओं की स्वतंत्रता और सशक्तिकरण के मार्ग में वास्तविक बाधाएँ बनी हुई हैं।

महिला-संबंधी विभिन्न मुद्दे

- कन्या शिशु हत्या और भ्रूण हत्या:
- वैश्विक स्तर पर कन्या भ्रूण हत्या के उच्चतम दर वाले देशों में भारत एक है।
- पुत्र को जन्म की प्रबल इच्छा, दहेज की प्रथा और उत्तराधिकारी की पितृवंशीय आवश्यकता के कारण कन्या भ्रूण हत्या को बल मिलता है।
- वर्ष 2011 की जनगणना में 0-6 वर्ष आयु वर्ग में 914 का न्यूनतम लिंगानुपात दर्ज किया गया जहाँ एक दशक में बालिकाओं की संख्या 3 मिलियन तक कम हो गई (वर्ष 2001 में8 मिलियन से घटकर वर्ष 2011 में 75.8 मिलियन)।
- बाल विवाह:
- भारत में हर वर्ष 18 साल से कम आयु की कम से कम5 मिलियन लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है जो भारत को विश्व में सर्वाधिक बाल वधुओं वाला देश बनाता है। बाल वधुओं की कुल वैश्विक संख्या का एक तिहाई भारत में मौजूद है। वर्तमान में देश की 15-19 आयु वर्ग की लगभग 16% किशोरियों का विवाह हो चुका है।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आँकड़ों के अनुसार देश में बाल विवाह की दर में कमी तो आई है, लेकिन यह मामूली ही है (वर्ष 2015-16 में 27% से घटकर वर्ष 2019-20 में 23%)।
- शिक्षा:
- बालिकाएँ समय-पूर्व स्कूल छोड़ देती हैं और घरेलू कार्यों में संलग्न और प्रोत्साहित की जाती हैं।
- 'इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमन' के एक अध्ययन में पाया गया है कि स्कूल प्रणाली से बाहर मौजूद बालिकाओं के विवाह की संभावना4 गुना अधिक होती है या स्कूल में नामांकित बालिकाओं की तुलना में उनका विवाह पहले ही तय हो चुका होता है।
- स्वास्थ्य और मृत्यु दर:
- भारत में बालिकाओं को अपने घरों के अंदर और बाहर समुदायों में, दोनों ही जगह भेदभाव का सामना करना पड़ता है। भारत में असमानता का अर्थ है बालिकाओं के लिये असमान अवसर।
- पाँच वर्ष से कम आयु की बालिकाओं की मृत्यु दर बालकों की तुलना में3% अधिक है। वैश्विक स्तर पर बालकों के लिये यह आँकड़ा 14% अधिक है।
- कुपोषण:
- बालकों और बालिकाओं दोनों के कुपोषित होने की संभावना लगभग एक सी ही होती है। लेकिन बालिकाओं के लिये पौष्टिकता ग्रहण, गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही मामले में अपेक्षाकृत कम है। कच्ची आयु में गर्भधारण और बार-बार गर्भधारण के अतिरिक्त बोझ के कारण भी बालिकाओं का स्वास्थ्य प्रभावित होता है।

- समाज की पितृसत्तात्मक प्रवृत्ति के कारण बालकों को अपेक्षाकृत अधिक पौष्टिक भोजन दिया जाता है क्योंकि उन्हें परिवार का कमाऊ भविष्य माना जाता है, विशेष रूप से यदि परिवार गरीब हो और सभी बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं हो।
- प्रजनन काल के दौरान महिलाओं की खराब पोषण स्थिति बच्चों के अल्पपोषण के लिये ज़िम्मेदार है।
- घरेलू हिंसा: समानता, विकास एवं शांति की उपलब्धि के साथ-साथ महिलाओं एवं बालिकाओं के मानवाधिकारों की पूर्ति के लिये महिला-विरुद्ध हिंसा एक बाधा बनी हुई है।
- घरेलू असमानता: घरेलू संबंध दुनिया भर में और विशेष रूप से भारत में असीम रूप से कम लेकिन उल्लेखनीय तरीकों से लैंगिक पूर्वाग्रह प्रदर्शित करते हैं। तथाकथित कार्य विभाजन द्वारा घरेलू कार्य, बच्चों की देखभाल और सेवा संबंधी कार्य महिलाओं पर अधिक लाद दिये गए हैं।

महिला स्वास्थ्य की वर्तमान स्थिति

- एनीमिया के जोखिम में वृद्धि: राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आँकड़े (2019-20) NFHS-4 की तुलना में किशोर लड़कियों में एनीमिया में 5% वृद्धि की पुष्टि करते हैं।
- महामारी-पूर्व की स्थिति: व्यापक राष्ट्रीय पोषण सर्वेक्षण, 2019 से पता चलता है कि महामारी के पहले भी किशोरों के बीच विविध खाद्य समूहों की खपत कम थी।
- महामारी के बाद की स्थिति: कोविड-19 ने विशेष रूप से महिलाओं, किशोरों और बच्चों के बीच आहार विविधता की स्थिति को और बदतर कर दिया है।
- 'टाटा-कॉर्नेल इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर एंड न्यूट्रिशन' के एक अध्ययन के अनुसार, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान भारत में महिलाओं की आहार विविधता में 42% की गिरावट आई जहाँ उन्होंने फल, सब्जियों और अंडे का कम सेवन किया।
- पोषण सेवाओं की आपूर्ति में कमी: लॉकडाउन के कारण मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी प्रभावित हुआ और किशोर लड़कियों के लिये स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंट (WIFS) और पोषण शिक्षा में रुकावट आई।
- स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों को पोषण सेवाएँ प्रदान करने में निहित चुनौतियों से यह स्थिति और जटिल बनी, जिससे बदतर पोषण परिणामों के प्रति उनकी संवेदनशीलता और बढ़ गई।
- आहार विविधता की आवश्यकता: किशोरावस्था एक अवसर की खिड़की होती है जहाँ विशेष रूप से बालिकाओं के लिये पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिये और शरीर में बेहद आवश्यक पोषक तत्वों की पुन:पूर्ति के लिये आहार विविधता अभ्यासों का निर्माण किया जा सकता है।
- सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी: वर्तमान में 80% किशोर सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण 'गुप्त भूख' (Hidden Hunger) से पीड़ित हैं। बालिकाओं में यह प्रवृत्ति और अधिक प्रचलित है जहाँ वे पहले से ही कई पोषण अभावों से पीड़ित हैं।
- न केवल आयरन और फोलिक एसिड की कमी बल्कि विटामिन B12, विटामिन D और जिंक की कमी को दूर करने के लिये मौजूद पहलों को सशक्त करने की आवश्यकता है।

NFHS-5 के महिला-केंद्रित निष्कर्ष

- अल्पायु में विवाह:
- अल्पायु में विवाह के राष्ट्रीय औसत में गिरावट आई है।
- NFHS-5 के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल3% महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की कानूनी आयु प्राप्त करने से पहले हो गया था जो कि NFHS-4 में रिपोर्ट किये गए 26.8% की तुलना में कम है।
- पुरुषों के लिये अल्पायु में विवाह का यह आँकड़ा7% (NFHS-5) और 20.3% (NFHS-4) है।
- उच्चतम उछाल:
- पंजाब, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, त्रिपुरा और असम में यह दर बढ़ी है।
- त्रिपुरा में उच्चतम उछाल प्रकट हुई है, जहाँ यह आँकड़ा महिलाओं के लिये1% (NHFS-4) से बढ़कर 40.1% और पुरुषों के लिये 16.2% से बढ़कर 20.4% हो गया।

- अल्पायु में विवाह की उच्चतम दर:
- बिहार और पश्चिम बंगाल अल्पायु में विवाह की उच्चतम दर प्रदर्शित करने वाले राज्य हैं।
- अल्पायु में विवाह की न्यूनतम दर:
- जम्मू-कश्मीर, लक्षद्वीप, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गोवा, नगालैंड, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु अल्पायु विवाह की न्यूनतम दर प्रदर्शित करते हैं।
- अल्पायु/किशोरावस्था में गर्भधारण: अल्पायु में गर्भधारण की दर9% से घटकर 6.8% हो गई है।
- महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा:
- समग्र रूप से घरेलू हिंसा वर्ष 2015-16 में2% से मामूली रूप से घटकर वर्ष 2019-21 में 29.3% हो गई है।
- राज्यवार उच्चतम और न्यूनतम स्तर:
- महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा 48% के आँकड़े के साथ सर्वाधिक कर्नाटक में दर्ज की गई, जिसके बाद बिहार, तेलंगाना, मणिपुर और तमिलनाडु का स्थान रहा।
- महिला सशक्तिकरण: महिला सशक्तिकरण संकेतकों ने अखिल भारतीय स्तर पर और चरण-II के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय सुधार दिखाया है।
- अखिल भारतीय स्तर पर महिलाओं द्वारा बैंक खातों के संचालन में NFHS-4 और NFHS-5 के बीच महत्त्वपूर्ण प्रगति (53% से बढ़कर 79%) दर्ज की गई है।
- दूसरे चरण के प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश में 70% से अधिक महिलाओं के पास सक्रिय बैंक खाते मौजूद हैं।
- एनीमिया: भारत के सभी राज्यों में एनीमिया की स्थिति बदतर हुई है (महिलाओं के लिये1 से बढ़कर 57% और पुरुषों के लिये 22.7 से बढ़कर 25%)। ज्ञात हो कि 20-40% एनीमिया को मध्यम माना जाता है।
- केरल (39.4%) के अतिरिक्त अन्य सभी राज्य 'गंभीर' श्रेणी में शामिल हैं।

आगे की राह

- बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिये एकीकृत प्रयास: NFHS के निष्कर्ष बालिकाओं की शिक्षा में मौजूद अंतराल को दूर करने और महिलाओं की खराब स्वास्थ्य स्थिति को संबोधित करने की तत्काल आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाते हैं।
- वर्तमान परिदृश्य में सभी स्वास्थ्य संस्थानों, शिक्षाविदों और स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध अन्य भागीदारों की ओर से एकीकृत और समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है ताकि इन सेवाओं को सुलभ, किफायती और स्वीकार्य बनाया जा सके, विशेष रूप से उन लोगों के लिये जो आसानी से इसका वहन नहीं कर सकते।
- महिलाओं के बीच प्रौद्योगिकी-आधारित सेवाओं को बढ़ावा देना: अगले कुछ वर्षों में मोबाइल प्रौद्योगिकी, बैंकिंग, शिक्षा और महिला आर्थिक सशक्तिकरण का संयोजन अनौपचारिक भेदभावपूर्ण मानदंडों को संबोधित कर सकने के लिये महत्त्वपूर्ण चालक होगा।
- यद्यपि मोबाइल, इंटरनेट और बैंकिंग सुविधाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं का प्रतिशत बढ़ा है, फिर भी यह अभी पुरुषों के बराबर नहीं है।
- महिलाओं के बीच ऐसी सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा देने और उन्हें सहज करने पर पर्याप्त बल दिया जाना चाहिये क्योंकि ऐसे संसाधनों की उपलब्धता और उपयोग भी महिलाओं के सशक्तिकरण का एक संकेतक है।
- विभिन्न मुद्दों को एक साथ सुलझाने की जरूरत: महिलाओं के विरुद्ध अपराध को केवल न्यायालय में नहीं सुलझाया जा सकता। आवश्यकता एक व्यापक दृष्टिकोण और पूरे पारितंत्र में बदलाव लाने की है।
- विधि निर्माताओं, पुलिस अधिकारियों, फोरेंसिक विभाग, अभियोजकों, न्यायपालिका, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, गैर-सरकारी संगठनों और पुनर्वास केंद्रों सहित सभी हितधारकों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है।
- भेदभावपूर्ण सामाजिक मानदंडों को संबोधित करना: महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के लिये बाल विवाह और पक्षपातपूर्ण लिंग चयन जैसे हानिकारक अभ्यासों को संबोधित करना अनिवार्य है।

- असमान शक्ति संबंधों, संरचनात्मक असमानताओं और भेदभावपूर्ण मानदंडों, दृष्टिकोण एवं व्यवहार को रूपांतरित करने की दिशा में कार्य कर महिलाओं और बालिकाओं के महत्त्व को संवृद्ध करने की आवश्यकता है।
- इसके साथ ही, सकारात्मक पुरुषत्व और लैंगिक-समानता मूल्यों को बढ़ावा देने के लिये पुरुषों और बालकों के साथ विशेष रूप से उनके आरंभिक वर्षों में संलग्न होना महत्त्वपूर्ण है।
- विविध आहार स्रोतों और पोषण परामर्श के समावेशन की आवश्यकता: WIFS के सेवा वितरण की निरंतरता के साथ ही सरकार की स्वास्थ्य और पोषण नीतियों को विविधिकृत आहार और शारीरिक गतिविधियों के दृढ़ अनुपालन पर बल देने की आवश्यकता है। इसमें स्थानीय स्तर पर उत्पादित फल एवं सब्जियाँ, मौसमी आहार और मोटे अनाज को संलग्न करना शामिल है।
- इसे आगे सामुदायिक कार्यकर्त्ताओं द्वारा घरों के दौरे के माध्यम से किशोर लड़कियों के लिये प्रभावशील पोषण परामर्श, स्वस्थ आदतों एवं आहारों को बढ़ावा देने के लिये स्कूलों में एक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और समुदाय आधारित आयोजनों एवं 'ग्रामीण स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषाहार दिवसों' या पोषण पखवाड़े के माध्यम से वर्चुअल परामर्श एवं व्यापक पोषण परामर्श द्वारा पूरकता प्रदान किये जाने की आवश्यकता है।
- नीतिगत हस्तक्षेपों में सुधार: हाल ही में महिलाओं के लिये विवाह की कानूनी आयु को 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने जैसे सुधारात्मक कदम स्वागतयोग्य हैं। महिला केंद्रित नीति निर्माण के साथ एक एकीकृत दृष्टिकोण की आवश्यकता है जहाँ महिलाओं को निष्क्रिय लाभार्थी के रूप में नहीं देखा जाए, बल्कि समाज के लिये संभावनाशील योगदानकर्त्ता के रूप में देखा जाए।

निष्कर्ष

सभी नीतियों और हस्तक्षेपों के साथ ही यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्त्वपूर्ण है कि बालिकाएँ स्कूल में बनी रहें या औपचारिक शिक्षा पूरी करें, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और उनके स्वास्थ्य एवं पोषण को प्राथमिकता दी जाए। तभी ऐसे उपाय बालिकाओं को उनके पोषण और स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के अवसर प्रदान कर सकते हैं।

हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा: महत्त्व

संदर्भ

चीन द्वारा अपने रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के लिये संपूर्ण हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुदृढ़ व्यापार और निवेश साझेदारी के निर्माण के बीच अब अमेरिका भी इस दिशा में आगे बढ़ा है और हाल ही में टोक्यो में आयोजित 'क्वाड शिखर सम्मेलन' में इस भूभाग को अपने विकास लक्ष्यों की पूर्ति हेतु बेहतर विकल्प प्रदान करने के उद्देश्य से 'हिंद-प्रशांत आर्थिक ढाँचा' (Indo-Pacific Economic Framework-IPEF) की पेशकश की है।

- IPEF क्वाड प्लस प्रारूप में आउटरीच को बढ़ावा देगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत एवं पारदर्शी मानदंड के आधार पर क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग हेतु एक नया मंच प्रदान करेगा।
- भारत, जो न तो 'क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी' (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) का अंग है और न ही 'ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी के लिये व्यापक और प्रगतिशील समझौता' (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership- CPTPP) से संलग्न है, के लिये यह नवीन पहल इस भू-भाग में अपने व्यापार और आर्थिक संलग्नता को आगे बढ़ाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान कर रही है।

IPEF क्या है?

- इसे अमेरिका के एक दशक पुराने 'एशिया धुरी' (pivot to Asia) रणनीति के एक अंग के रूप में एक महत्त्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यह ढाँचा हिंद-प्रशांत क्षेत्र को वैश्विक आर्थिक विकास का इंजन बनाने की सामूहिक इच्छा की घोषणा है।
- इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में प्रत्यास्थता, संवहनीयता, समावेशिता, आर्थिक विकास, निष्पक्षता और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ावा देने के लिये भागीदार देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करना है।

- IPEF में क्वाड के सदस्य देशों भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के अलावा 10 आसियान देश, दक्षिण कोरिया और न्यूज़ीलैंड शामिल हुए हैं।
- IPEF को एक दर्जन आरंभिक भागीदारों के साथ लॉन्च किया गया है जो संयुक्त रूप से वैश्विक जीडीपी के 40% का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- IPEF के चार स्तंभ हैं:
- आपूर्ति-शृंखला प्रत्यास्थता/लचीलापन
- स्वच्छ ऊर्जा, डीकार्बोनाइजेशन और आधारभूत संरचना
- कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी पहल
- निष्पक्ष और लचीला व्यापार।

IPEF महत्त्वपूर्ण क्यों है?

- चीन से मुकाबला हेतु: चीन का इसका सदस्य नहीं होना समूह को एक अलग भू-राजनीतिक स्थिति प्रदान करता है क्योंकि इसके सभी सदस्य चीन के आक्रामक राष्ट्रवाद और विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षाओं को लेकर एक साझा विचार रखते हैं।
- आर्थिक सहयोग और एकीकरण: निवेश में सहयोग और स्वच्छ ऊर्जा के लिये प्रौद्योगिकी विकास के संदर्भ में यह आर्थिक मोर्चे पर कई तात्कालिक लाभ उत्पन्न करेगा।
- यह समान विचारधारा वाले देशों के दीर्घकालिक आर्थिक एकीकरण का आधार भी बन सकता है।
- भारत के लिये अवसर: IPEF में भारत का शामिल होना हिंद-प्रशांत लक्ष्यों और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को व्यापक बनाने के प्रति उसकी प्रतिबद्धता की सशक्त अभिव्यक्ति है, विशेष रूप से जबकि भारत ने 15 देशों के RCEP से बाहर रहने का निर्णय लिया था।

कौन-सी चुनौतियाँ उभर सकती हैं?

- देशों के लिये सामान्य आधार: अमेरिका ने यह स्पष्ट कर दिया है कि IPEF कोई मुक्त व्यापार समझौता नहीं है; न ही यह टैरिफ में कटौती या बाजार पहुँच बढ़ाने पर कोई चर्चा करेगा। इससे इस ढाँचे की उपयोगिता के बारे में सवाल उठते हैं।
    - इसके चार स्तंभ भी भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, जिससे फिर यह प्रश्न उठता है कि क्या इसके 13 सदस्य देशों (जो बेहद अलग-अलग आर्थिक व्यवस्था के अंग हैं) के मध्य साथ मिलकर एक समान मानकों को तय करने के लिये पर्याप्त साझा आधार मौजूद है या वे उन मुद्दों पर विचार करने के लिये तैयार हैं जो प्रत्येक देश के लिये भिन्न-भिन्न हैं।
- भारत का पारंपरिक रुख: IPEF के तहत चिह्नित किये गए कुछ क्षेत्रों में प्रगति के मामले में भारत के पारंपरिक रुख से बार-बार विचलन की स्थिति बन सकती है।
- ऐसा नहीं होना चाहिये कि भारत के वार्ताकार विकसित देशों के प्रतिभागियों की किसी भी मांग को सरलता से स्वीकार कर लें।
- कराधान: कर प्रावधान एक अन्य विषय है जो समस्या पैदा कर सकता है। कराधान को एक संप्रभु कार्य के रूप में देखने की प्रवृत्ति रही है और इसलिये इसे समझौता वार्ता के अधीन नहीं किया जाता है।
- व्यवसायों के अनसुने विचार: उन भारतीय व्यवसायों के विचार प्राय: नहीं सुने जाते हैं जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्द्धी बनने की क्षमता रखते हैं। उन व्यवसायों की बात सुनी जाती है जो प्रतिस्पर्द्धा से भयभीत हैं और अस्तित्व बनाए रखने के लिये संरक्षणवाद के पक्ष में पैरवी करते हैं।
- नए एकीकरण के समर्थन में भारतीय व्यवसाय को गतिशील बनाने की भी आवश्यकता है।
- जटिल वार्ता प्रक्रिया: व्यापार वार्ता में कई मंत्रालय शामिल होते हैं, जो फिर बोझिल अंतर-मंत्रालयी परामर्श में संलग्न होते हैं। वार्ताओं में नेगोशिएशन इतनी जटिल प्रक्रिया होती है कि अकेले किसी मंत्रालय द्वारा प्रबंधित नहीं की जा सकती क्योंकि उनके ऊपर पूर्व के कार्यों का भी भर रहता है।
- IPEF की विश्वसनीयता: इस तथ्य को देखते हुए कि अमेरिका की पिछली पहलों—ब्लू डॉट नेटवर्क और बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड (B3W) ने इस भूभाग की ढाँचागत आवश्यकताओं की पूर्ति के मामले में बहुत कम प्रगति की है, IPEF को विश्वसनीयता की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

नोट :

आगे की राह

- साझा मानकों की स्थापना: तात्कालिक ध्यान साझा मानकों को स्थापित करने पर होना चाहिये, जो भविष्य में गहन एकीकरण का आधार बन सकते हैं।
- इस तरह के मानकों में श्रम अधिकार, पर्यावरण मानक, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण और डिजिटल अर्थव्यवस्था को दायरे में लेने वाले नियम शामिल होंगे।
- आत्मनिर्भरता और वैश्वीकरण को संतुलित करना: सरकार ने बार-बार स्पष्ट किया है कि 'आत्मनिर्भरता' का आशय अलगाव और संरक्षणवाद नहीं है।
- इसके साथ ही, भारत ने हमेशा विदेशी निवेश को आकर्षित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का हिस्सा बनने की इच्छा व्यक्त की है।
- यह सही दृष्टिकोण है और विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला का निर्माण IPEF एजेंडा का एक स्पष्ट अंग है।
- कराधान के मुद्दे का प्रबंधन: भारत को विशेषज्ञों और राजस्व विभाग को संलग्न करते हुए अपने कर प्रशासन की आंतरिक समीक्षा शुरू करनी चाहिये ताकि आवश्यक बदलाव लाए जा सकें।
- यह एक व्यापारिक भागीदार के रूप में और विशेष रूप से नई आपूर्ति श्रृंखलाओं में निवेश हेतु एक गंतव्य के रूप में भारत के आकर्षण को बढ़ाएगा।
- प्रौद्योगिकी संबंधी मुद्दों को संबोधित करना: डिजिटल व्यापार एवं ई-कॉमर्स IPEF के तहत शामिल एक अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है। सॉफ्टवेयर विकास और अनुप्रयोग में भारत के तुलनात्मक लाभ को देखते हुए वांछनीय होगा कि नियमों की एक सहमत श्रृंखला विकसित की जाए जिसे समान विचारधारा वाले देशों में लागू किया जा सकता है।
- पारदर्शिता, निष्पक्ष प्रतिस्पर्द्धा की आवश्यकताएँ और व्यक्तिगत डेटा का स्वामित्व एवं स्थानीयकरण जैसे कई विवादास्पद मुद्दे भी मौजूद हैं।
- एक वैश्विक सर्वसम्मति के निर्माण के लिये रचनात्मक भूमिका निभाई जानी चाहिये।
- व्यापार वार्ता को सरल बनाना: जटिल व्यापार वार्ता प्रक्रिया को देखते हुए, संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करने और गुण-दोषों के मूल्यांकन के साथ प्रधानमंत्री एवं प्रमुख मंत्रियों को रिपोर्ट करने के लिये एक सशक्त व्यापार वार्ताकार की आवश्यकता है।
- नीति आयोग को व्यापक विचार-विमर्श करने और राज्य सरकारों सहित हितधारकों की राय जानने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिये।

न्याय: बस एक क्लिक भर दूर

संदर्भ

कोविड-19 प्रतिबंधों ने भारतीय न्यायालयों के डिजिटलीकरण (Digitization) को उल्लेखनीय प्रोत्साहन दिया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अग्रणी कदम के साथ न्यायपालिका ने अत्यावश्यक मामलों के लिये ई-फाइलिंग व्यवस्था को अपनाया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामलों की लगातार सुनवाई की।

- भारतीय न्यायपालिका के लिये डिजिटलीकरण लंबित मामलों की बड़ी संख्या को कम करने और दशक पुराने दस्तावेजों को संरक्षित करने का एक सुनहरा अवसर प्रस्तुत करता है।
- इसलिये यह आवश्यक है कि डिजिटल तकनीक के उपयोग पर विचार किया जाए ताकि इसकी क्षमता का, विशेष रूप से कोर्ट रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण, मामलों की ई-फाइलिंग एवं वर्चुअल सुनवाई और न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग के संदर्भ में, बेहतर उपयोग किया जा सके।

न्यायपालिका में प्रौद्योगिकी का आगमन

यह कब शुरू हुआ?

- भारत में न्याय प्रशासन के क्षेत्र में ई-गवर्नेंस का आरंभ 1990 के दशक के अंत में ही हो गया था, लेकिन 'सूचना एवं प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000' के अधिनियमन के बाद इसमें विशेष तेज़ी आई।

- 21वीं सदी के आरंभ के साथ कोर्ट रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण और देश भर में ई-कोर्ट स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया।
- वर्ष 2006 राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना (National e-Governance Plan- NeGP) के एक भाग के रूप में ई-कोर्ट (e-courts) लॉन्च किये गए।

न्यायालयों के डिजिटलीकरण के लिये कौन-से कदम उठाए गए हैं?

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस संबंध में एक मार्गदर्शक उदाहरण है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ने एक वर्ष में लगभग एक करोड़ केस फाइलों के डिजिटलीकरण के लिये एक परियोजना की संकल्पना और पहल की।
- कृष्णा वेणी नागम बनाम हरीश नागम (वर्ष 2017) मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से वैवाहिक मामलों की सुनवाई को मंज़ूरी प्रदान कर दी। हालाँकि यह निर्देश अल्पकालिक ही रहा।
- वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय ने 'स्वप्निल त्रिपाठी बनाम भारत के सर्वोच्च न्यायालय (वर्ष 2018)' मामले के निर्णय के आधार पर संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों की लाइव-स्ट्रीमिंग की अनुमति प्रदान कर दी।
- न्यायालय की कार्यवाही का लाइव-स्ट्रीमिंग या सीधा प्रसारण पारदर्शिता और खुलापन सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम है।
- जुलाई, 2021 में गुजरात उच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला न्यायालय बना।
- आगे कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश और पटना उच्च न्यायालय द्वारा इसका अनुकरण किया गया।
- ई-कोर्ट परियोजना के तृतीय चरण के लिये दृष्टिकोण-पत्र (Vision Document for Phase III of the e-Courts Project) कोविड-19 महामारी के दौरान न्यायपालिका के डिजिटल अभाव को दूर करने के लिये पेश किया गया।
- यह न्यायिक प्रणाली के लिये एक ऐसी अवसंरचना की परिकल्पना करता है जो 'मूल रूप से डिजिटल' हो और भारत की न्यायिक समयरेखा और सोच पर महामारी के प्रभाव को परिलक्षित करता हो।
- हाल ही में विधि मंत्री ने कहा कि ई-कोर्ट परियोजना के दूसरे चरण को लागू करने के लिये मशीन लर्निंग (ML) और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की नई, अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है ताकि न्याय वितरण प्रणाली की दक्षता को बढ़ाया जा सके।
- न्यायिक क्षेत्र में AI के उपयोग का पता लगाने के लिये भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक 'आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिति' का गठन किया है।

न्यायपालिका के डिजिटलीकरण की आवश्यकता क्यों है?

- भौतिक अभिलेखों को बनाए रखने में कठिनाई: बड़ी संख्या में फाइलों को संग्रहीत करने के लिये न केवल एक बड़े स्थान की आवश्यकता होती है, बल्कि दशकों पुराने दस्तावेजों को मैन्युअल तरीके से संरक्षित करना भी पर्याप्त कठिन होता है।
- देखा गया है कि मामलों को केवल इसलिये स्थगित कर दिया जाता है क्योंकि वर्षों पहले दायर किये गए हलफनामों को रिकॉर्ड के साथ पुनर्बहाल नहीं किया गया था या उनका पता नहीं लग पाया।
- दोषियों का बरी होना: इसका एक अन्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ये फाइल इलेक्ट्रॉनिक रूप से और जब भी आवश्यक हो, उपलब्ध कराए जा सकें। कोर्ट रिकॉर्ड के लापता या अनुपलब्ध होने के गंभीर परिणाम उत्पन्न हो सकते हैं।
- कई पुराने मामलों में आपराधिक रिकॉर्ड गायब पाए जाते हैं, जिससे फिर आरोपित बरी हो जाते हैं।
- 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम अभय राज सिंह' मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना था कि यदि कोर्ट रिकॉर्ड लापता हो जाते हैं और उनका पुनर्निर्माण संभव नहीं हो तो न्यायालय दोषसिद्धि को रद्द करने के लिये बाध्य हैं।
- मामलों में देरी: निचली अदालतों से अपीलीय अदालतों में रिकॉर्ड मँगाने में लगने वाला समय मामलों में देरी के प्रमुख कारकों में से एक है।

न्यायपालिका के डिजिटलीकरण में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है?

- कनेक्टिविटी की समस्या: इंटरनेट कनेक्टिविटी और एक पर्याप्त सुविधा-संपन्न स्थान की आवश्यकता (जहाँ अधिवक्ता अपने मामलों को आगे बढ़ा सकें), कुछ प्रमुख समस्याएँ हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
- अर्द्ध-शहरी और ग्रामीण ज़िलों में वकीलों को ऑनलाइन सुनवाई की व्यवस्था चुनौतीपूर्ण लगती है, क्योंकि एक तो कनेक्टिविटी संबंधी समस्याएँ पाई जाती हैं, दूसरा वे इस कार्य व्यवस्था से अभी सहज नहीं हैं।

- डिजिटल साक्षरता: कई न्यायाधीश, न्यायालय के कर्मचारी और वकील डिजिटल प्रौद्योगिकी और इसके लाभों से अच्छी तरह वाकिफ नहीं हैं।
- गोपनीयता संबंधी चिंताएँ: बढ़ते डिजिटलीकरण (विशेष रूप से कोर्ट रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण) के साथ आने वाले वर्षों में न्यायिक और सार्वजनिक विचार-विमर्श में गोपनीयता संबंधी चिंताएँ एक प्रमुख विषय बन सकती हैं।
- हैकिंग और साइबर सुरक्षा: प्रौद्योगिकी के चरम पर साइबर सुरक्षा भी एक बड़ी चिंता होगी। सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिये उपचारात्मक कदम उठाए हैं और साइबर सुरक्षा रणनीति (Cyber Security Strategy) तैयार की है।
- हालाँकि इसका व्यावहारिक और वास्तविक कार्यान्वयन एक चुनौती बना हुआ है।

अन्य चुनौतियाँ:

- पिछले एक दशक में न्यायालयों का डिजिटलीकरण एकल रूप से अलग-अलग वादियों पर केंद्रित रहा है जहाँ न्यायालय की वेबसाइटों को मामला विशेष तक पहुँच की अनुमति देने के लिये डिज़ाइन किया गया है। न्यायपालिका के प्रणाली-स्तरीय परीक्षण के लिये कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है।
- पर्याप्त योजना और सुरक्षा उपायों के साथ तैनात प्रौद्योगिकीय साधन 'गेम चेंजर' साबित हो सकते हैं। हालाँकि प्रौद्योगिकी स्वत: मूल्य-तटस्थ नहीं होती, अर्थात् यह पूर्वाग्रहों से प्रतिरक्षित नहीं है। शक्ति असंतुलन पर नियंत्रण होना चाहिये।

न्यायपालिका के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिये कौन-से कदम उठाए जा सकते हैं?

- न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं की भूमिका: डिजिटलीकरण प्रक्रिया को सफल बनाने के लिये राजनीतिक इच्छाशक्ति और न्यायाधीशों एवं अधिवक्ताओं का समर्थन आवश्यक है।
- समय की मांग है कि उन्हें संबंधित प्रौद्योगिकियों से अवगत कराया जाए और पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाए।
- ई-कोर्ट ढाँचे और कार्यवाहियों से न्यायाधीशों को अवगत कराने हेतु प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किये जाने से ई-कोर्ट के सफल संचालन को बड़ा प्रोत्साहन मिल सकता है।
- कुछ मामलों में ही वर्चुअल सुनवाई: यह समझना भी आवश्यक है कि वर्चुअल सुनवाई सभी मामलों के लिये समान रूप से भौतिक अदालती सुनवाई का विकल्प नहीं हो सकती।
- हालाँकि, न्यायालय प्रशासन द्वारा चिह्नित किये गए मामलों की कुछ श्रेणियों में वर्चुअल सुनवाई को अनिवार्य बनाया जा सकता है।
- प्रौद्योगिकी उपयोग का विनियमन: प्रौद्योगिकी के विकास और विस्तार के साथ डेटा संरक्षण, गोपनीयता, मानवाधिकार और नैतिकता के बारे में उत्पन्न चिंताएँ नई चुनौतियाँ पेश करेंगी और इसलिये इन प्रौद्योगिकियों के डेवलपर्स द्वारा वृहत स्व-नियमन की आवश्यकता होगी।
- इसके लिये विधायिका द्वारा विधि, नियमों, विनियमों के माध्यम से और न्यायपालिका द्वारा न्यायिक समीक्षा एवं संवैधानिक मानकों के परीक्षण माध्यम से बाह्य विनियमन की भी आवश्यकता होगी।
- प्रशिक्षण: सरकार को समस्त ई-डेटा के रखरखाव के लिये कर्मियों के प्रशिक्षण पर समर्पित प्रयास करने की भी आवश्यकता है।
- इनमें ई-फाइल विवरण प्रविष्टियों, अधिसूचना, सेवा, समन, वारंट, जमानत आदेश, आदेश की प्रतियाँ, ई-फाइलिंग आदि के उचित रिकॉर्ड बनाए रखना शामिल है।
- संगोष्ठियों के माध्यम से न्यायपालिका में ई-कोर्ट और प्रौद्योगिकियों के बारे में जागरूकता पैदा करने से सुविधाओं को प्रकाश में लाने में मदद मिल सकती है और इस तरह की पहल से व्यवस्था सरल बन सकती है।

नोट :

दृष्टि मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

- ''समय के साथ फ्रीबीज़ भारतीय राजनीति का अभिन्न अंग बन गए हैं। यद्यपि सार्वजनिक वितरण योजना और मनरेगा जैसी कुछ पहलें भारत की विकास रणनीति का एक महत्त्वपूर्ण घटक बन गई हैं, फ्रीबीज़ मैक्रोइकोनॉमिक स्थिरता के बुनियादी ढाँचे को कमज़ोर भी करते हैं।'' चर्चा कीजिये।
- "भारत का पड़ोस उसकी राजनयिक नीति में हमेशा से एक विशेष स्थान रखता रहा है। भारत द्वारा सेमीकंडक्टर विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने का अर्थ होगा-दक्षिण एशियाई क्षेत्र का सामूहिक विकास।'' टिप्पणी कीजिये।
- भारत के MSMEs को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं (GVCs) में एकीकृत करने के महत्त्व पर चर्चा कीजिये और इस उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिये किये जा सकने वाले उपायों के सुझाव दीजिये।
- "पश्चिमी यूरोप भारत की विदेश एवं सुरक्षा नीतियों के हाशिये से निकलकर अब केंद्र में आ गया है। यूक्रेन संकट ने भारत और उसके यूरोपीय भागीदारों के बीच गहरे रणनीतिक सहयोग की अनिवार्यता को गहन कर दिया है।" चर्चा कीजिये।
- "निर्यात देश के सकल घरेलू उत्पाद का महत्त्वपूर्ण अंग हैं और विदेशी व्यापार को पर्याप्त महत्त्व एवं निवेश सहयोग दिया जाना चाहिये। आगामी विदेश व्यापार नीति को यह सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय कदम उठाने चाहिये कि भारतीय कंपनियों के लिये निर्यात संवहनीय हो और विश्व व्यापार संगठन के मानदंडों के अनुरूप हो।'' चर्चा कीजिये।
- भारत में हर वर्ष ही उभर आने वाले बिजली संकट के समाधान के लिये किये जा सकने वाले उपायों की चर्चा कीजिये।
- ''भारतीय संदर्भ में, जहाँ बहुधा न्यायिक त्रुटि की घटना होती रहती है, मृत्युदंड का न्यायिक उन्मूलन आवश्यक है।'' आलोचनात्मक चर्चा कीजिये।
- भारत में विश्वविद्यालयों के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा कीजिये और उन सुझावों को दीजिये जो भारत को 'विश्वस्तरीय विश्वविद्यालयों का घर' होने की अपनी पूर्वस्थिति को पुनः प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं।
- ''भारत के विनिर्माण क्षेत्र के लिये नीतिगत दृष्टिकोण को निवेश के लिये एक अनुकूल वातावरण का निर्माण करने, आधुनिक एवं कुशल अवसंरचना को विकसित करने और विदेशी पूंजी के लिये नए क्षेत्रों को खोलने की आवश्यकता है।" टिप्पणी कीजिये।
- "भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रेपो दर और नकद आरक्षित अनुपात (CRR) को बढ़ाने की हालिया कार्रवाई देश में मुद्रास्फीति की गंभीर स्थिति की पहचान करना है।'' बढ़ती मुद्रास्फीति के कारणों की चर्चा कीजिये और इसे नियंत्रित कर सकने के उपाय सुझाइए।
- ''बाढ़ के बाद ग्रीष्म लहर भारत की दूसरी सबसे घातक आपदा है और इसे प्राकृतिक आपदा घोषित करना समय की आवश्यकता बन गई है।'' चरम ग्रीष्म लहरों के प्रभावों को कम करने के लिये कुछ दीर्घकालिक उपायों के सुझाव दीजिये।
- "कृषि एक पेशे या व्यवसाय से अधिक भारत की संस्कृति है। मौजूदा कृषि अभ्यासों में कृषि-पर्यटन जैसे अतिरिक्त आय सृजक गतिविधियों को जोड़ने से निश्चित रूप से राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में कृषि के योगदान की वृद्धि होगी और किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। चर्चा कीजिये।
- जलवायु परिवर्तन दक्षिण एशियाई देशों के बीच सहयोग के अवसरों में से एक साबित हो सकता है। चर्चा कीजिये।
- ''हमारे दंडात्मक कानूनों को समानता, न्याय और निष्पक्षता की चिंता से प्रेरित होना चाहिये।'' आधुनिक भारत में देशद्रोह अधिनियम के आलोक में इस कथन की चर्चा कीजिये।
- "कच्चे तेल पर अपनी आयात निर्भरता को कम करने की प्रक्रिया में भारत अन्य खनिजों पर निर्भर बन सकता है जो उसकी EV महत्त्वाकांक्षा को खतरे में डालेगा। यदि भारत EVs की ओर आगे बढ़ना चाहता है तो इसके खनिज संसाधनों को सुरक्षित करना अनिवार्य है जो इसके विकास के लिये सबसे उपयुक्त होगा। चर्चा कीजिये।
- "कच्चे तेल पर अपनी आयात निर्भरता को कम करने की प्रक्रिया में भारत अन्य खनिजों पर निर्भर रह सकता है जो उसकी इलेक्ट्रिक वाहन (EVs) संबंधी महत्त्वाकांक्षा को खतरे में डालेगा। यदि भारत EVs की ओर आगे बढ़ना चाहता है तो अपने खनिज संसाधनों को सुरक्षित करना अनिवार्य है जो इसके विकास के लिये सबसे उपयुक्त होगा।" चर्चा कीजिये।
- ''कार्बन फार्मिंग को हमारी खंडित खाद्य प्रणालियों को ठीक करने के विवेकपूर्ण तरीकों में से एक के रूप में देखा जा सकता है।'' टिप्पणी

नोट :

कीजिये।

- ‘‘यह निर्विवाद है कि किसी देश की संघीय संरचना के सुचारू कार्यकरण के लिये सहयोग महत्त्वपूर्ण है। हालाँकि, यदि इसे राज्यों के बीच सकारात्मक प्रतिस्पर्द्धा के साथ संयुक्त कर दिया जाए तो यह देश भर में बड़े पैमाने पर आर्थिक विकास का समग्र परिणाम देगा।’’ टिप्पणी कीजिये।
- ‘‘सतत विकास हेतु पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण और बहाली के स्थानीय समाधानों को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।’’ चर्चा कीजिये।
- ‘‘वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में FDI अंतर्वाह 83.57 बिलियन डॉलर के उच्चतम स्तर तक पहुँच गया।’’ FDI अंतर्वाह में इस उछाल को बनाए रखने के लिये भारत द्वारा किये जा सकने वाले उपायों की चर्चा कीजिये।
- भारत में पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ESG) मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिये किये जा सकने वाले उपायों पर चर्चा कीजिये।
- ‘‘वैश्विक स्तर उभरते मौजूदा संकट प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से खाद्य सुरक्षा को प्रभावित कर रहे हैं।" चर्चा कीजिये।
- ‘‘समाज में महिलाओं के साथ पारंपरिक रूप से भेदभाव किया जाता रहा है और उन्हें राजनीतिक एवं परिवार संबंधी निर्णयों से बाहर रखा जाता है। महिला-विषयक विभिन्न चिंताओं में से उनके अपर्याप्त पोषण का विषय भी एक प्रमुख चिंता है।’’ व्याख्या कीजिये।
- भारत, जो न तो RCEP का अंग है और न ही CPTPP से संलग्न है, के लिये IPEF का शुभारंभ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में अपने व्यापार और आर्थिक संलग्नता को बढ़ाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है। टिप्पणी कीजिये।
- न्यायपालिका के डिजिटलीकरण के संदर्भ में भारत के समक्ष विद्यमान प्रमुख चुनौतियों की चर्चा कीजिये और उन उपायों के सुझाव दीजिये जो इन चुनौतियों से पार पाने के लिये किये जा सकते हैं।

The Vision

नोट :